खण्ड–494, अंक–4
बुधवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1937
(19 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा की मांग ...	7
विधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लगा होने की जानकारी ...	7
प्रश्नोत्तर	8–120
उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री चितरंजन स्वरूप के निधन की सूचना	120
वर्तमान विधान सभा के सदस्य एवं राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप के निधन के कारण आज की मदें कल यथावत् लिये जाने का अनुरोध	120–121
विधान सभा के वर्तमान सदस्य एवं राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार	121–124
नत्थी	125–126

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–362

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय, श्री वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री बरेली
11. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
22. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
26. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
34. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
35. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
36. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
42. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
43. आशीष यादव, श्री बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
45. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
46. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
47. इकबाल, श्री बिजनौर
48. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर

50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्य, श्री वाराणसी
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
65. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
66. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
67. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
68. काली चरन सुमन, श्री आगरा
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
71. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
72. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
73. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
74. कैलाश, श्री गाजीपुर
75. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
77. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
78. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
79. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
80. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
81. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
82. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
83. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
84. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
85. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
86. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
87. गोमती यादव, श्री लखनऊ
88. गोरख पासवान, श्री बलिया
89. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
90. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
91. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
92. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
93. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
94. जगपाल, श्री सहारनपुर
95. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
96. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
97. जफर आलम, श्री अलीगढ़
98. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
99. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
100. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
101. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
102. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
103. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
107. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
108. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
111. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
112. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
113. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर

114. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
115. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
118. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
119. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
122. धर्मराज, श्री बाराबंकी
123. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
124. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
125. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
126. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
127. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
128. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
129. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
130. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
131. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
132. नारद राय, श्री बलिया
133. नाहिद हसन, श्री शामली
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
136. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
137. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
140. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
141. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
142. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
143. पीतमराम, श्री पीलीभीत
144. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
145. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
146. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
147. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
148. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
149. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
150. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
151. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
152. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
153. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
154. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
155. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
156. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
157. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
158. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
159. बदलू खां, श्री उन्नाव
160. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
161. बाबू खां, श्री हरदोई
162. बाबूलाल, श्री गोण्डा
163. बावन सिंह, श्री गोण्डा
164. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
165. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
166. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
167. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
168. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
169. बैजनाथ, श्री मऊ
170. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
171. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
172. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
173. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
174. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
175. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
176. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
177. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद

178. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
179. मनबोध, श्री देवरिया
180. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
181. मनीष रावत, श्री सीतापुर
182. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
186. महबूब अली, श्री अमरोहा
187. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
188. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
189. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
190. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
191. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
192. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
193. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
194. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
195. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
196. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
197. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
198. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
199. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
200. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
201. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
202. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
203. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
204. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
205. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
206. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
207. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
208. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
209. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
210. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
211. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
212. यासर शाह, श्री बहराइच
213. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
214. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
215. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
216. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
219. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
220. रणजीत सुमन, श्री एटा
221. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
222. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
223. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
224. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
225. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
226. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
229. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
230. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
231. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
232. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
233. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
234. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
235. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
236. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
237. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
238. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
239. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
240. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
241. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
242. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
243. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
244. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर

245. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
246. राधे श्याम, श्री अमेठी
247. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
248. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
249. राम करन आर्य, श्री बस्ती
250. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
251. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
252. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
253. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
254. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
255. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
256. राम मगन, श्री बाराबंकी
257. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
258. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
259. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
260. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
261. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
262. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
263. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
264. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
265. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
266. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
267. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
268. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
269. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
270. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
271. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
272. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
273. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
274. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
275. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
276. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
277. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
278. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
279. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
280. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
281. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
282. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
283. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
284. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
285. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
286. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
287. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
288. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
289. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
290. विजय सिंह, श्री रामपुर
291. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
292. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
293. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
294. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
295. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
296. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
297. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
298. वीरपाल राठी, श्री बागपत
299. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
300. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
301. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
302. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
303. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
304. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
305. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
306. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
307. शाकिर अली, श्री देवरिया
308. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
309. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़

310. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
311. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
312. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
313. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
314. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
315. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
316. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
317. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
318. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
319. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
320. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
321. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
322. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
323. संजय कपूर, श्री रामपुर
324. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
325. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
326. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
327. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
328. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
329. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
330. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
331. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
332. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
333. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
334. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
335. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
336. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
337. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
338. सियाराम सागर, डा0 बरेली
339. सीमा, श्रीमती जौनपुर
340. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
341. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
342. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
343. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
344. सुधाकर, श्री मऊ
345. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
346. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
347. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
348. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
349. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
350. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
351. सुरेश राणा, श्री शामली
352. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
353. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
354. सुल्तान बेग, श्री बरेली
355. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
356. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
357. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
358. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
359. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
360. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
361. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
362. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर दो दिन सदन का उपवेशन बढ़ा दिया। कांग्रेस वालों के कहने पर मजिस्ट्रेटी जांच करा दी और इन सबका निवेदन मांग लिया तथा लॉ–एण्ड–आर्डर पर चर्चा के लिए डेढ़ घण्टे का समय दे दिया। हमारे सभी विधायकों ने कल गन्ने के ऊपर नियम–56 के तहत सूचना दी थी। आपने सबों को समय दे दिया है हम आपसे निवेदन करते हैं कि गन्ना पर बहस करने के लिए हमें भी आज समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जब नियम–56 आयेगा तो आप अपने नियम–56 की ग्राह्यता पर बोल लीजिएगा।

श्री दलवीर सिंह–

अध्यक्ष जी, नियम–56 में कल सूचना दी थी, जैसे आपने कानून–व्यवस्था पर समय दिया है उसी प्रकार दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये। तारांकित प्रश्न संख्या–1, नत्थी (क) डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश राणा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री सतीश महाना, श्री धर्मपाल सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी।

विधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लगा होने की जानकारी

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है..

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब बैठिये, पहले प्रश्न हो जाने दीजिए, यह अच्छी बात नहीं है।

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

इसको अलग से देना, प्रिविलेज में देना। अब बैठिये, प्रश्न का उत्तर लेने दीजिए।

डा0 मो0 अयूब–

मान्यवर, राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लगा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

श्री अध्यक्ष–

आपको ध्वज से बहुत प्रेम है, मैं जानता हूं। अब बैठिये। डा0 साहब आपने अपनी बात कह ली, अब बैठो। (डा0 मो0 अयूब के बोलते रहने पर) डा0 साहब आप क्या चाहते हैं सदन बंद कर दें। महाना जी, आप अपनी सीट पर बैठिये। डा0 साहब पहले प्रश्न ले लेने दीजिए। जीरो ऑवर में इसको उठाइयेगा। अब बैठिये।

डा0 मो0 अयूब–

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बात है।

(डा0 अयूब अपनी बात कहते हुए सदन के फलोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, आप अपनी सीट पर चलिये। आपको जो कहना है अपनी सीट से कहिये। आप लोग अगर सदन न चलाने की इच्छा हो तो वैसा कहिये। महाना साहब ने आपको उकसा दिया। आप चलिये अपनी सीट पर। देखिये आप लोग अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो हमें बता दीजिये। क्या फायदा रोज वही हो रहा है।

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी, यह झंडे का अपमान है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। विधान भवन के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज लगा है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब चलिये, अपनी सीट पर जाइये। आपने अपनी बात कह दी है। जीरो आवर में उठाइयेगा।

(डा0 अयूब अपने स्थान पर चले गये)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने कोई उकसाया नहीं है। मैंने कहा कि आपको अभी नहीं कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

चलिये ठीक है, आप बैठिये।

प्रश्नोत्तर

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बिजली की भारी कटौती से त्रस्त लोगों को निजात दिलाने की मांग

'01–डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश राणा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री सतीश महाना, श्री धर्मपाल सिंह तथा डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनता भारी बिजली कटौती से त्रस्त है तथा फसलें भी सूख रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार 15–16 घण्टों से भी अधिक हो रही बिजली कटौती को बन्द कर विद्युत आपूर्ति सुचारु करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घोषित रोस्टर के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाती है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, पिछले साढ़े तीन साल में जबसे वर्तमान सरकार आई है प्रदेश में बिजली की दरें 50 प्रतिशत बढ़ गई हैं और विद्युत आपूर्ति माननीय अध्यक्ष जी प्रदेश में इस समय बिल्कुल ध्वस्त है। 15 से 16 घंटे कटौती हो रही है माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में। रात में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली काटी जा रही है पूरे प्रदेश में। हमारा टी0टी0जेड0 क्षेत्र और बुन्देलखण्ड तो मान्यवर, तिहरी मार झेल रहा है। पूरे प्रदेश के किसान 100 रुपये प्रति हार्स पावर देते हैं और हमारा टी0टी0जेड0 और बुन्देलखण्ड क्षेत्र का किसान 160 रुपये प्रति हार्स पावर देता है और माननीय अध्यक्ष जी, जो घरेलू बिल है टी0टी0जेड0 क्षेत्र और बुन्देलखंड 326 रुपये प्रति किलोवाट देता है और पूरा प्रदेश केवल 223 रुपये प्रति किलोवाट दे रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि टी0टी0जेड0 क्षेत्र और बुन्देलखंड में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो लेकिन वर्तमान सरकार 15 से 16 घंटे कटौती कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा क्षेत्र परेशान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या टी0टी0जेड0 क्षेत्र और बुन्देलखण्ड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं 24 घंटे बिजली सप्लाई के, वह देने का कष्ट करेंगे ?

श्री यासर शाह–

मान्यवर, विद्युत की उपलब्धता के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर यथा ग्रामीण स्तरीय क्षेत्र में 10 घंटे, तहसील स्तरीय क्षेत्र में 12 घंटे, जनपद व समकक्ष स्तरीय क्षेत्र में 15 घंटे, मंडल स्तरीय क्षेत्र में 18 घंटे, महानगर स्तरीय क्षेत्र में 20 घंटे, बुन्देलखंड क्षेत्र में 15 घंटे (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नहीं आ रही है की आवाज) आप बोलने देंगे कि मैं बैठ जाऊं ? टी0टी0जेड0 में 24 घंटे के आधार पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों के अवसर पर अतिरिक्त ऊर्जा क्रय करके 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराई जाती है। वर्तमान में विद्युत उपलब्धता 11,488 मेगावाट है जबकि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के लिये 5,384 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होती है जिसे परिस्थितियों के अनुसार क्रय करके उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी एवं राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के कारण कभी–कभी अपरिहार्य रूप से बिजली की कटौती करनी पड़ती है परन्तु स्थिति सामान्य होते ही पुनः निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाती है।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

महाना जी को बुला लिया। आप लोगों का भी है। सतीश महाना जी का भी है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बहुत सारी बातें कहीं, भाषण दिया कि वह ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण विद्युत कटौती करनी पड़ती है और उसके बाद फिर नार्मलाइज कर देते हैं मान्यवर, मैं अपनी निश्चित जानकारी के हिसाब से इस बात को यहां पर कहने के लिये खड़ा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछले एक महीने से 4 घंटे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। 4 से कम भी हो रही है लेकिन 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही है। मान्यवर, यह कौन सी अपरिहार्य परिस्थितियां हैं जो महीने तक चलती हैं। अपरिहार्य परिस्थितियां तो यह हैं कि ग्रिड फेल हो गई तो आपूर्ति बाधित हो गई और ठीक हो जाने पर आपूर्ति सुनिश्चित हो जाय। मैंने पिछले सत्र में भी पूछा था और आज भी मेरा प्रश्न है आप कृपा करके अगर देखेंगे अतारांकित प्रश्न है। उसका उत्तर मुझे मिला है। जो बात माननीय मंत्री जी ने यहां कही है वह मान्यवर, उत्तर से एकदम विपरीत है। चार घंटे किसानों के लिए समय है। वर्षा बहुत स्थानों पर नहीं हुई है। बिजली है नहीं, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, किसान बहुत परेशान हैं, चार घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह आश्वासन विधान सभा में चाहूंगा, मान्यवर, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की चार घंटे की बात कर रहा हूं शहरी क्षेत्रों की दस से बारह घंटे की बात आदरणीय धर्मपाल जी ने कही है वहां दस से बारह घंटे बिजली दी जा रही है जहां के लिए 22 घंटे और 16 घंटे का कमिटमेंट है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

बोलने दीजिए।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं क्या मा0 मंत्री जी की जानकारी में है, मा0 मंत्री जी ने रोस्टरिंग वाला जबाव दिया, जो इसमें नहीं है, आपने कहा कि रोस्टरिंग के हिसाब से, रोस्टर इसमें नहीं दिया है, लेकिन दूसरे प्रश्न के माध्यम से रोस्टर भी पता चल गया जिसमें इन्होंने कहा कि तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे बिजली दी जा रही है। मान्यवर, यह असत्य है यह बात मैं बड़े विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो यह 12 घंटे की बात कह रहे हैं यह असत्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि आपने जो ग्रामीण क्षेत्रों का दस घंटे का रोस्टर बताया है आज से ही क्या आप इस रोस्टर के हिसाब से बिजली देना सुनिश्चित करेंगे ताकि कल हम फिर इस बात को

विधान सभा में उठा सकेंगे, क्या मा0 मंत्री जी इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि आज से ही रोस्टर के हिसाब से बिजली उपलब्ध करायेंगे और अगर कोई तात्कालिक परेशानी हो तो उसे भी बता दें ताकि इनको बहानेबाजी न करनी पड़े।

श्री अध्यक्ष–

रोस्टर के हिसाब से बिजली उपलब्ध करायेंगे।

श्री यासर शाह–

रोस्टर के हिसाब से बिजली की आपूर्ति पहले से ही प्रदेश में कराई जा रही है। अगर इनके पास कोई सुनिश्चित जानकारी है तो उसको अलग से बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में भी यह विषय है उस पर भी चर्चा होगी उसमें बहुत सी बातें आ जाएंगी।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी पहले फेस में जो प्रश्न है कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनता भारी बिजली कटौती से त्रस्त है तथा फसलें भी सूख रही हैं। इस पर उत्तर आया, जी नहीं, यह किसान वर्ष है सरकार ने किसान वर्ष घोषित किया है और मैं कोई आरोप के लिए नहीं संवेदनाओं के लिए कह रहा हूं किसान की जो हालत है ऐसी हालत में यह जवाब दे देना कि फसल नहीं सूख रही है जबकि यहां अधिकांश लोग किसान बैठे हुए हैं सबको जानकारी है मैं अभी पूरे वेस्टर्न यू0पी0 की बात कहूं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में घोषित है डार्क जोन घोषित होने के कारण वहां नये कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। पानी का नहरी संकट भी है और जैसा अभी मा0 मंत्री जी ने बिजली के बारे में कहा कि पर्याप्त जानकारी हो तो, मैं अभी दस बिजली घरों के नाम ले सकता हूं जहां बिजली रोस्टर के हिसाब से नहीं है। हमारे यहां जो सोम बिजली घर है वह चार फीडरों में चलता है ढाई घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है मेरे सोम के थाना देहात के बिजली घर में चार से पांच घंटे बिजली की आपूर्ति है तमाम बिजली घर के मैं नाम ले सकता हूं जहां चार–पांच घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करें।

श्री सुरेश राणा–

सरकार ने पहले दिन से घोषणा की थी कि 15–16 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दी जाएगी। 22 घंटे शहरी क्षेत्रों में बिजली दी जाएगी। मैं मा0 मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि किसान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहां डार्क जोन पहले से घोषित है और जिस तरह का संकट किसान के सामने खड़ा है आपने जो रोस्टर दिया है

उसको बढ़ाकर, आपने 15–16 घंटे की बात कही थी चार घंटे बिजली आ रही है तो क्या आप 15–16 घंटे में से 12 से 14 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे। दूसरी बात लाइन लॉस के कारण बड़ा संकट प्रदेश में खड़ा है जहां केन्द्रीय स्तर पर 14 से 15 परसेन्ट का लाइन लॉस है वहां 36–37 परसेन्ट लाइन लॉस प्रदेश में हो रहा है तो इस लाइन लॉस को कम करने की, क्योंकि लाइन लॉस कम होगा तो कहीं न कहीं बिजली आपूर्ति भी बढ़ेगी तो कोई कार्य योजना इसके लिए सरकार ने तैयार की है।

श्री यासर शाह–

पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि बिजली की उपलब्धता जो होती है उसके अनुसार हम लोग विद्युत आपूर्ति बढ़ाते या घटाते हैं। जो रोस्टर हमारा इस समय है उसको हमने बता दिया है। अगर माननीय सदस्य पुनः चाहें तो मैं उनको रोस्टर दे सकता हूं। जो सरकार ने वायदा किया था 16 से 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देने का और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे बिजली देने का मैं इस बात को पुनः इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार अपने वायदे में पूरा खरी उतरेगी। (मेजें थपथपाई गईं) जहां तक तैयारी की बात है तो वह तैयारी चल रही है सिर्फ कह देने से तैयारी नहीं होती तैयारी बहुत सी होती हैं। जो माननीय सदस्य ने विद्युत चोरी और विद्युत चोरी रोकने की बात कही है मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं अच्छी बात है मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाता हूं यह सरकार विश्वास दिलाती है कि हम सतत् प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए कि विद्युत चोरी रोकी जाय और प्रदेश की जनता को अच्छी से अच्छी बिजली मिल सके।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

इस पर सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए।

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी आप बैठें। आपका सवाल नहीं है जिनका सवाल है पहले उन्हें पूछने दें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है माननीय मंत्री जी का विद्युत आपूर्ति हेतु समय सारिणी क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन जो हकीकत है 16 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे और 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है नियमित बिजली एक घंटे भी नहीं आती है। मान्यवर, मैं भी किसान का बेटा हूं आज भी खेती से जुड़ा हूं और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं हम समझते हैं कि सभी कृषक परिवार से ही आए हुए हैं और मान्यवर, अपने दिल पर पत्थर रख कर अगर इस बात को एहसास करेंगे तो पता चलेगा सरकार द्वारा जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनसे काम नहीं चलेगा अगर यह सही होता इनकी बात सही होती तो समाजवादी पार्टी के सदस्य माननीय रविदास मेहरोत्रा जी को इस प्रश्न को लगाने का क्या औचित्य था। मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रविदास

मेहरोत्रा जी ने यह प्रश्न पूछकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की जो भी घोषणाएं हैं वह हवा हवाई हैं व्यवहारिक रूप में कहीं चरितार्थ नहीं हैं और 16 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे की आपूर्ति झूठी है ट्यूबवेल आज सूखती फसलों को बचाने के लिए केवल किसानों के पास ट्यूबवेल मात्र सहारा है वह ट्यूबवेल भी एक घंटे नियमित नहीं चल पाता 10 मिनट के लिए बिजली आती है। 15 मिनट के लिए चली जाती है आधे घंटे बाद फिर आती है 10 मिनट बिजली रहती है फिर 15 मिनट चली जाती है आना–जाना यानी किसान का ट्यूबवेल नियमित रूप से एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा बिजली नहीं पाता है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप 16 घंटे, 18 घंटे बिजली मत दो हमें पांच घंटे, 6 घंटे दो लेकिन जब भी नियमित दो उसमें किसी प्रकार की कटौती न हो यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बद से बदतर हालात बन गए हैं शहरी क्षेत्रों में लखनऊ जैसे शहर में कटौती होती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इस पर चर्चा भी है उस समय बोलिएगा इस समय प्रश्न तक सीमित रखिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी का जवाब किसानों की आंख में धूल झोंकने वाला है। यह सरकार किसान विरोधी है इसलिए बहुजन समाज पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मुझे भी इस पर एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब आपने नियम–56 में दिया है इसको नियम–56 में पूछ लीजिए उस समय इस पर चर्चा भी होगी और पूरी बात आएगी। इस समय दूसरा प्रश्न ले लें। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा। सारी समस्या इस बात की है कि जब किसी शहर में कटौती होती है तो उस शहर के नागरिकों का एक बड़ा सीधा आरोप है कि फलाना शहर में बिजली 24 घंटे मिलती है, फलाना शहर में बिजली 24 घंटे मिलती है। तुमको हमने प्रतिनिधि चुना है तुम किस लायक हो कि हमको 8 घंटे–10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। असली पीड़ा का विषय यहां है। फर्क यही है कि हमारे पास अगर एक रोटी होगी तो हम सबको समान रूप से बाटेंगे। कुछ लोग पूरी रोटी खा जायेंगे और कुछ लोग भूखे रह जायेंगे, आक्रोश यहां पैदा होता है। रोस्टर का आधार सिर्फ दो हो सकता है या तो जो आपने बनाया था कि मंडलीय, नगरीय, तहसील, आप महा नगरों को साईज के हिसाब से और उनके प्रशासनिक और उनके आध्यात्मिक, धार्मिक और शैक्षणिक महत्व के हिसाब से बिजली काटें। जो बड़े शहर होंगे उनको आप 22 घंटे बिजली देंगे, जो छोटे शहर होंगे उनको आप 16 घंटे बिजली देंगे,

जो और छोटे होंगे उनको 10 घंटे देंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लिये विशेष व्यवस्था करेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, दूसरा आधार यह बनता है कि जिस जिले से हमने जितनी बिजली दी है और उसके बदले में जितना रेवेन्यू हमको वापस मिला है वही दो आधार पूरे देश में, पूरी दुनिया में बनते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना सवाल पूछ लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नगर ईमानदारी के साथ विद्युत मूल्य की आपूर्ति कर रहे हैं उन्हें उन नगरों के मुकाबले जहां विद्युत मूल्य की आपूर्ति बहुत कम हो रही है प्रपोर्शनेट आधार पर बिजली देने की नीति बनायेगी ?

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, जैसाकि मा0 सदस्य जी चाहते हैं वैसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह चाहते हैं कि अगर कोई गरीब शहर है जहां पर बहुत इण्डस्ट्रीज नहीं हैं, बहुत परिवार नहीं हैं, वहां का रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो हम वहां बिजली ज्यादा दे दें तो यह पक्षपात नहीं चल पायेगा।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, प्रपोर्शनेट भुगतान की बात हो रही है कम और ज्यादा की नहीं। अगर आपने 10 करोड़ की बिजली दी है और हमने आपको 10 करोड़ का राजस्व दिया है तो हमारा अधिकार ज्यादा है बनिस्बत किसी ऐसे शहर के जिसने 10 करोड़ की बिजली पायी है और 5 करोड़ का भुगतान किया है। सवाल यहां है मा0 मंत्री जी।

श्री यासर शाह–

मा0 अध्यक्ष जी, इस बात पर सरकार बहुत गम्भीर है। इस बात पर विचार चल रहा है कि जो शहर, जो इलाके जहां पर 15 परसेन्ट से कम लाइन लॉस हो जायेगा हम वहां पर विद्युत आपूर्ति 22 घंटे के आसपास करेंगे। जिन इलाकों में 12 परसेन्ट से कम लाइन लॉस होगा उन इलाकों में हम 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देंगे, इस बात पर पूरी तरह विचार चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब, इस पर नियम–56 में चर्चा होगी तो उसमें आप लोग अपनी बात कह दीजियेगा। जब प्रश्न में ही सारी चर्चा हो जायेगी तो चर्चा किस बात की होगी।

(नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सभी सदस्यों के साथ सदन में वापस आ गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का जवाब अभी आया है। उस जवाब के सम्बन्ध में जो सवाल उठता है, जो सवाल बनता है उसको पूछने की केवल इजाजत दे दें। यह जवाब अभी आया है और उस जवाब के बाद हमारा कोई वर्जन उसमें नहीं आ पायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप ही ने कल कहा था कि विद्युत पर आज चर्चा करा दीजिये। जब चर्चा होगी तो उसमें आप विस्तृत बातें रखेंगे और मंत्री जी उसका पूरा जवाब देंगे। अब अगला प्रश्न लेने दीजिये, एक सवाल में 25 मिनट के करीब होने जा रहे हैं। मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, मेरा आपसे आग्रह है कि अभी नियम–56 में वह अपना मामला उठायेंगे, उस समय उस पर चर्चा होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब दूसरा प्रश्न लेने दीजिये।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के पर्यटक स्थलों को हेरिटेज पर्यटन विकास नीति बनाने की मांग

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों को अधिक से अधिक आकर्षक बनाकर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या सरकार हेरिटेज पर्यटन विकास नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन नीति शासनादेश संख्या–1614/41–2014–174सा0/13, दिनांक 18–07–2014 द्वारा लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे पास निश्चित जानकारी है, आगरा, बनारस में पर्यटकों की संख्या पिछले सालों में घट रही है। चाहे वह विदेशी हों, चाहे वह अपने देश के हों। मा0 अध्यक्ष जी, जो पर्यटक हमारे यहां आते हैं, यदि उनके आने की संख्या के बारे में हम बात करें तो प्रदेश अभी भी देश में दूसरे नम्बर पर है और मा0 अध्यक्ष जी, यदि सुविधाओं की बात करें, तब भी उत्तर प्रदेश देश में आठवें नम्बर पर है। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन नीति बनायी और इसको बनाये हुए एक साल हो गए। जब पर्यटक हमारे प्रदेश में आयेगा और जब तक वह नाइट स्टे यहां नहीं करेगा, तब तक प्रदेश को न तो राजस्व मिलेगा और न ही प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में पर्यटक रात प्रवास करे, नाइट स्टे करें, इसके लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और दूसरा अभी तक जो हेरिटेज पर्यटन नीति थी और जो प्रदेश में हेरिटेज सम्पत्तियां थीं, उनको होटल में कनवर्ट करने के लिए यह लाई गई है, जो इसका उद्देश्य है। अभी तक ऐसे कितने हेरिटेज सम्पत्ति स्वामियों ने पूरे प्रदेश में इसके लिए प्रार्थना–पत्र दिया है और उन पर अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, यह मेरे दो प्रश्न माननीय मंत्री जी से हैं।

श्री ओम प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन नीति में इसके अन्तर्गत पहली बार इस हेरिटेज कान्सेप्ट को आगरा में मुगल म्युजियम जिसके लिए कल सप्लीमेंट्री में पैसा भी दे दिया गया है, उसे तत्काल शुरू करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, यह व्यवस्था केवल आगरा में ही नहीं बल्कि प्रदेश में जैसा माननीय सदस्य ने बताने का काम किया, भारत सरकार का आंकड़ा है, यह मेरा नहीं है कि विदेशी पर्यटन में हम इन लोगों के राजपाट में पांचवे–छठवें पर थे, आज तीसरे पर हैं। अब पता नहीं इनके पास कौन सी किताब पहुंच गई है जिससे इनको यह समझ में आ रहा है कि पर्यटक घट रहे हैं। आप आगरा की बात कर रहे हैं, आगरा–बनारस में इस बार 7,26,091 संख्या बढ़ी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यह किताब हमारी नहीं है, भारत सरकार की है, जहां आपका रिश्ता अच्छा रहता है। दूसरी बात 10 लोगों ने आवेदन दिया है और पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज पर्यटन नीति को लागू करने का केवल शासनादेश ही नहीं किया बल्कि उस पर गंभीरता से काम भी हो रहा है और इस क्षेत्र के जो जाने–माने लोग हैं, उनकी मीटिंग भी कराये हैं और जितनी अच्छी हेरिटेज पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश शासन ने तय की है, अभी तक देश में कहीं नहीं बनी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इसकी पूरी जानकारी कर लें, यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश से अलग होकर जब उत्तराखण्ड बना तो प्रदेश के अधिकांश पर्यटक स्थल उत्तराखण्ड में चले गए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन तलाशने की अपार सम्भावनायें हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सरकार ने हेरिटेज पर्यटन नीति बनायी है, हम जानना चाहते हैं कि हेरिटेज पर्यटन विकास नीति क्या है और दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो महाभारतकालीन परिपथ बने हैं, ऐसे ही क्या एक पांचाल परिपथ बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, हेरिटेज में जो हेरिटेज होटल परियोजनाओं में पूंजी निवेश में छूट प्राप्त करने का है, तो एक करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं में छूट देने के लिए हम 10 साल के लिए और जिसकी 01 करोड़ से नीचे की है, उसको 05 साल के लिए किया गया है। हेरिटेज होटल की व्यावसायिक संचालन तिथि अथवा आवेदक द्वारा इंगित तिथि के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 10 वर्षों तक और शहरी क्षेत्रों में आगामी 5 वर्षों तक मनोरंजन कर से सौ फीसदी छूट प्रदान की गयी है। हेरिटेज होटल के निर्माण एवं विस्तार हेतु जमीन की परियोजना लागत के सूचीगत भाग का 25 प्रतिशत अथवा 150 लाख, जो भी कम हो, बराबर की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा। दूसरा हेरिटेज होटल को उनके व्यावसायिक चलन तिथि अथवा आवेदक द्वारा इंगित तिथि जो भी बाद में हो 1 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाई को आगामी 10 वर्षों तक तथा 1 करोड़ से कम निवेश वाली इकाई को आगामी 5 वर्षों तक साधन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसमें मा0 सदस्य यदि और कोई जानकारी चाहेंगे तो मैं आपके माध्यम से भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

चलिए। अब यह हेरिटेज खत्म करो अब गन्ने का बहुत इम्पॉर्टेन्ट सवाल है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, एक आखिरी सवाल है। जो हमारे पास आंकड़े हैं वह भारत सरकार के ए0एस0आई0 के हैं।

श्री ओम प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जो हमारे मा0 सदस्य ने महाभारतकाल से अब तक की बात कर रहे हैं, मैं मा0 सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2013–14, 2014–15 और 2015–16 जो हमारी पी0आई0जी0डी0सी0 योजना थी जिसके तहत हम उन स्थलों को डेवलप करने के लिए भारत सरकार जो केन्द्रांश देने का काम करती थी, 2013–14 में पिछली कांग्रेस की सरकार ने जो टोकन ग्रान्ट 5–5 लाख थी, उस ग्रान्ट को जो अगले बजट में प्राविधान था, वह भी नहीं मिला। 2014–15 में भी नहीं मिला और 2015–16 योजना में जो, आप भारत सरकार में हैं आपने खुद कहा है मा0 अध्यक्ष जी, जिन जनपदों का डेवलपमेण्ट करने का, केन्द्रांश की जो योजना थी उसको आज तक भारत सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब नहीं। बैठो दीपक जी बैठो। अरे, आप सवाल नहीं पूछो, इनको पूछ लेने दो। आगे गन्ने का सवाल है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, जो आंकड़े हमने दिए हैं वह ए0एस0आई0 के थे जो टिकटें बिकती हैं, उससे वह तय करते हैं कि कितना पर्यटक आगरा में आया। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो अभी–अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने मुगलकालीन म्यूजियम के लिए आगरा को पैसा दिया है लेकिन इसी सरकार ने घोषणा की थी कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह कहां इससे संबंधित है ?

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, यह पर्यटन विभाग की घोषणा है।

श्री ओम प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हुई और पूरी जमीन तय करके भारत सरकार को दे दी और भारत सरकार के वायुसेना ने कहा कि यहां परमीशन देने में तकनीकी त्रुटि है। भारत सरकार ने कुशीनगर को भी नहीं दिया तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्टेट फण्ड से बनवाने का काम किया और मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल नेशनल नहीं

इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहती है लेकिन भारत सरकार से तो परमीशन मिले। सवाल भारत सरकार का है। भारत सरकार की न नीयत साफ है न करने का इरादा है।

श्री अध्यक्ष–

अब दूसरा सवाल लेते हैं। अब बैठ जाओ डा0 साहब। आप पूछिए।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, बनारस के हेरिटेज में बनारस का संगीत आता है, साहित्य आता है। क्या सरकार बनारस के हेरिटेज में संगीत–साहित्य को ला करके इनके लिए कोई प्रयास करेगी।

प्रदेश में विगत तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान विषयक

'02–श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री करतार सिंह भडाना, श्री नदीम जावेद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वर्तमान वर्ष 2015–16 में गन्ना मिलों पर किसानों का कुल कितना धन बकाया है ? क्या सरकार गन्ना मूल्य का नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

पेराई सत्र, 2014–15 के अन्तर्गत दिनांक 17–08–2015 की स्थिति के अनुसार सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 433.17 करोड़ तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 7096.18 करोड़ कुल रु0 7529.39 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है।

पेराई सत्र, 2015–16 के अन्तर्गत गन्ना पेराई का कार्य माह अक्टूबर, 2015 से प्रारम्भ होना सम्भावित है। तद्नुसार गन्ना मूल्य की वर्तमान में कोई देयता नहीं है।

पेराई सत्र, 2014–15 के लिये घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य पर नियमानुसार 14 दिन की अवधि के भीतर भुगतान न करने पर प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत ब्याज का आगणन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

चलिए। अब तारांकित प्रश्न संख्या–2 लेते हैं।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण सवाल पर अनुपूरक करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता गन्ने पर निर्भर करती है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 40 जिले ऐसे हैं जहां पर गन्ने की सर्वाधिक फसल होती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर किसान की स्थिति बद से बद्तर है। वह हताशा में है, निराशा में है आत्महत्या कर रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने बकाया गन्ना भुगतान का क्या कोई समय निश्चित किया है और दूसरा प्रश्न यह है कि गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया है सरकार उसका ब्याज सहित भुगतान करायेगी ?

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है। हमने भरसक कोशिश किया है और जैसा कि मा0 सदस्य ने पूछा। तो अभी तक जो हमारा अवशेष भुगतान रह गया है वह रु0 7529.35 करोड़ है। हमने अब तक 63.53 प्रतिशत गन्ने का भुगतान कर दिया है। यह सही है कि जो गन्ना के विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें अंतर है। कहीं पर 63 प्रतिशत, कहीं पर 65 प्रतिशत, कहीं पर 42 प्रतिशत है। हमारी सरकार गन्ना भुगतान का मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प है और हम मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन पर दबाव बना रहे हैं। मान्यवर, 22 करोड़ रुपया अभी कल वसूल किया है और यहां तक कि एक मिल मालिक जेल में भी है और 38 मिलों के खिलाफ हमने 71 एफ0आई0आर0 दर्ज करवाये हैं। हम दबाव डाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान किया जाये। अब मान्यवर, हम समय–सीमा तो तय नहीं कर सकते हैं लेकिन जल्दी से जल्दी हम भुगतान कराने के प्रयास में हैं। ऐसा हमारे शासन की नीति है।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का जो जवाब आया है उसमें जवाब में इन्होंने यह लिखकर दिया है कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 433.17 करोड़ तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर रु0 7096.18 करोड़, कुल रु0 7529.35 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। राज्य सरकार की गन्ना किसानों के गन्ना भुगतान की जो नीति है उससे निराश और उदास होकर किसानों का एक वर्ग उच्च न्यायालय भी गया और 29 जुलाई को उच्च न्यायालय के दो जजों की खण्डपीठ ने यह फैसला किया और उन्होंने यह कहा कि 15 अगस्त, 2015 तक 280 रुपये के रेट के आधार पर किसानों को हर हालत में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। राज्य सरकार से मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी और गन्ना किसानों की समस्याओं को देखने के बाद भी क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई परमानेंट ऐसी पालिसी ले आयें जो समयबद्ध और चरणबद्ध हो ताकि यह समस्या जो हर विधान सभा सत्र में उठती है उसका परमानेंट सोल्यूशन हो सके।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश 27–05–15 को किया और दूसरा आदेश उसने 29–07–15 को किया और तीसरा अभी आने वाली 29 तारीख को अभी फिर लगी हुयी है। मान्यवर, मा0 हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने बड़ी सख्ती के साथ पैसा वसूल किया है और आज 7506 करोड़ रुपया बकाया है। बड़ी सख्ती की गई है मिल मालिकों के ऊपर और इसके साथ ही साथ हमारे मिल मालिकों को हम लोगों ने बहुत सारी सहूलियतें भी दी हैं उनके ढुलाई के लिए और आप तो जानते हैं मान्यवर कि 40 रुपये गन्ने का मूल्य, हमारी सरकार दे रही है क्रमबद्ध से, अब जो मिलें टाइम से दे देती हैं, हम उनको 40 रुपये का भुगतान करते हैं, जो समय से नहीं दे पायेंगे, मान्यवर जैसा कि अभी बात हुई कि ब्याज सहित, मान्यवर कोशिश की जा रही है कि अण्डर टाइम ये मिलें भुगतान कर दें, जो नहीं भुगतान करते हैं, मान्यवर उस पर जो सदन का आदेश होगा उसके हिसाब से कार्यवाही

की जायेगी, लेकिन भुगतान कराने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। जहां तक नियमबद्ध का सवाल है मान्यवर, अब मैं कांग्रेस के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर से जो रा–शुगर आया है, कच्ची चीनी 26 रुपया बेचने पर, 24 रुपया बेचने पर, 6 रुपया मुनाफा होता है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको भी नहीं तोड़ा और हमारी जो चीनी मिलें हैं, मान्यवर मुनाफा नहीं आ रहा है।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(शोर के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, भारत सरकार ने यह कहा कि 6 हजार करोड़ रुपया हम बिना ब्याज के ऋण देंगे। उन्होंने जो शर्त लगाई, उस शर्त को अगर यह पूरी करें।

श्री अध्यक्ष–

पहले मंत्री जी की पूरी बात आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गन्ना का भुगतान पूरे प्रदेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम इस सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये।)

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य जो बी0जे0पी0 के हैं, यह कह रहे हैं कि 06 हजार करोड़ रुपये दिया है, जरा यह बताते जायं कि 06 हजार करोड़ रुपये कहां मिला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

06 हजार करोड़ रुपये देने को कहा।

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन खड़े हैं, आप लोग बैठ कर सुनें।

श्री अखिलेश यादव–

मा0 अध्यक्ष जी सुनेंगे, आधे साथी तो चले गये। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि जो 06 हजार करोड़ रुपये आपने दिये हैं जैसा कि आपने कहा, तो यह 06 हजार करोड़ रुपये आपने किसको दिये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमने क्या कहा मान्यवर, आप कार्यवाही देख लीजिए, हमने यह कहा कि 06 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार ने देने की घोषणा की।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें, मा0 खन्ना जी को अपनी बात कहने दीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह भाजपा कुछ दिन बाद घोषणा पार्टी हो जायेगी, भारतीय घोषणा पार्टी। मान्यवर, भारतीय घोषणा पार्टी ने 20 लाख रुपया देने का वायदा किया था, वह नहीं दिया। कल सवा सौ करोड़ रुपया बिहार में कह कर आये हैं और मान्यवर, फौजियों को देने के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए जो सवा सौ करोड़ रुपया बिहार में घोषणा की, उसमें आधा पैसा वह है जो पिछली सरकार दे चुकी है, वह भी जोड़ लिया है। तो मान्यवर, यह जो भारतीय घोषणा पार्टी है, यह अपनी बात पर अयोग्य है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, खन्ना जी को अपनी बात बोलने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, पहले हम जवाब दे लें।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जब आप आ ही गये हैं तो दो सवालों के जवाब दे दें, क्योंकि किसानों के पक्ष की बात आप रख रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य जवाब देना चाहते हैं तो इकट्ठा जवाब दे दें कि ओलावृष्टि में किसानों का जो नुकसान हुआ उसमें केन्द्र सरकार ने क्या सहयोग किया और दूसरा आप गन्ने वाला बता दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो गन्ने वाली बात हो जाये, इसके बाद हम आपकी बात का जवाब देंगे।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से उत्पन्न शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, खन्ना जी, अपनी बात कह रहे हैं। खन्ना जी, आप अपनी बात कहिये। मा0 सदस्यगण, तमाम प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश सरकार निजी चीनी मिल मालिकों से, सहकारी चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान नहीं करा पाई तो स्थिति केन्द्र के पास गई। केन्द्र ने यह कहा कि .....

(कतिपय सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, बोलने दीजिये भाई। खन्ना जी, आप बोलिये, काहे पीछे सुनते हैं। आप बोलिये, पीछे कहां तक सुनेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 6 हजार करोड़ रुपया केन्द्र ने .....

(कतिपय सदस्यों द्वारा खड़े होकर पुनः टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, आप खन्ना जी को सुनिये। खन्ना जी बोल रहे है, उनको सुन तो लीजिये। मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा है तो वह बता रहे हैं। आप लोग बैठिये।

(सदस्य, श्री दलवीर सिंह द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे, ठाकुर साहब, आप भी बैठ जाइये, उनको बोलने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, 6 हजार करोड़ रुपया यह कहकर दिया, घोषणा कि अगर 30 जून तक मिल मालिकों का, सहकारी चीनी मिलों का 50 परसेण्ट तक पैसे का ये भुगतान करा देंगे तो 6 हजार करोड़ रुपया बिना ब्याज का देंगे।

(कतिपय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण, आप लोग शान्त रहिये।

श्री अखिलेश यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, आप 6 हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं। आप यह बतायें कि आप 6 हजार करोड़ रुपये किसको दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, किसानों को।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से उत्पन्न शोर की स्थिति के मध्य)

श्री अखिलेश यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, इनकी जानकारी में नहीं है। गन्ना किसानों को ये पैसा नहीं मिल रहा है। आप फिर से जानकारी करके आयें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मुझे जानकारी है। पिछली बार 5 हजार करोड़ रुपया दिया था। पिछले सत्र में 5 हजार करोड़ रुपया दिया, वह गन्ना किसानों तक नहीं पहुंचा। पिछले साल 5 हजार करोड़ रुपया दिया वह गन्ना किसानों तक नहीं पहुंचा। मान्यवर, 777 करोड़ रुपया सूखा राहत का इनको दिया और ये उसे रिलीज तक नहीं कर पाये, ये उसे बांटने का तरीका नहीं तय कर पाये। मान्यवर, 777 करोड़ रुपया सूखा राहत में

दिया गया था उसके बाद 250 करोड़ रुपया दिया गया। मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है।

(शोर के मध्य)

(नेता विरोधी दल द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, पहले मेरा जवाब आ जाये। पहले पूरा जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आपने अपनी बात कह ली। अब आपकी बात खत्म हो गई। देखिये, सदन में नेता विरोधी दल और नेता सदन कभी भी किसी विषय में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है और यदि नेता विरोधी दल खड़े हो गये हैं तो उनको सुन लेना चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, केवल तीन मिनट, तीन मिनट का समय दें। मैं तीन मिनट में अपनी बात कर लूंगा। आपने हमको मौका दिया है हमें बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, ठीक है, तीन मिनट में अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हाउस व्यवस्थित करा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप कुछ इधर–उधर की सोच रहे हैं, हाउस तो व्यवस्थित है। आपको क्या हो गया है ? खन्ना जी आज आपको क्या हो गया है, हाउस व्यवस्थित है, आप अपनी बात कहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, 5000 करोड़ रुपये पिछले वर्ष दिया था गन्ना किसानों के भुगतान के लिए नम्बर एक। नम्बर दो...

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों ने एक साथ खड़े होकर उनकी बात का विरोध किया)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं। अब आप बैठिए। आप अपनी बात कहते नहीं हैं वेल में आने की धमकी देते हैं, वेल की कब तक धमकी देते रहेंगे। आपके अध्यक्ष ने वेल में आने पर दिल्ली में क्या किया हम वह नहीं करेंगे, इसलिए आप वहीं से कहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सुनिये 777 करोड़ रुपया सूखा राहत के मद में सरकार को दिया।

(मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव के बोलने हेतु अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब जब नेता सदन खड़े हो जायें तो माननीय सदस्य आप बैठ जाइये।

श्री अखिलेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार 3 हजार 500 करोड़ के लगभग अभी तक ओलावृष्टि किसानों को मदद कर चुकी है। अब आप बताइये कि हमने जो रिपोर्ट भेजी है, प्रदेश सरकार ने, वह केन्द्र सरकार कितना सहयोग करेगी हमारा।

श्री अध्यक्ष–

ये कोई भारत सरकार के मंत्री थोड़े न हैं जो यह जवाब देंगे। अनावश्यक आप इसमें उलझ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें कि जवाब पूरा आ जाए मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

भारत सरकार की तरफ से आप क्या जवाब देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जवाब पूरा होना चाहिए। यह हमारा अधिकार है। यह हमारा अधिकार है जवाब पूरा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

सवाल इसमें है नहीं, आप अपनी बात कह लीजिएगा, जो कहना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 777 करोड़ रुपया इन्हें सूखा राहत में दिया गया। उसके बाद 250 करोड़ रुपया ओलावृष्टि के तहत दिया गया और 2800 करोड़ रुपया मान्यवर, अभी जब आपने यहां से रिक्यूजीशन भेजा। अगर कहें तो हम तारीख बता दें मान्यवर। आपने पहली बार 10 अप्रैल को भारत सरकार से पैसा मांगा।

श्री अध्यक्ष–

अब ये बात मत करिए, यहां सवाल जवाब में मत उलझिए। अब आपका हो गया तीन मिनट, अब आप खत्म करिए, आप बैठिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह हमारी निश्चित जानकारी है कि 10 अप्रैल से पहले इस सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। हम किसानों को 6000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। 6000 करोड़ रुपया हम देंगे।

श्री अध्यक्ष–

देंगे ना, अभी दिया तो नहीं है। अब आप बैठ जाइये, अब आपकी बात खत्म हो गई, अब आप बैठ जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों से सम्बन्धित यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है और मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी गलत जगह से उत्तर मांग लिये हैं चूंकि ये हम लोगों की तरह सामान्य सदस्य हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि तो नहीं हैं कि इसका

उत्तर यहां देंगे। रही बात गन्ना किसानों से सम्बन्धित तो मान्यवर, सही मायने में यह मदारी हैं या खिलाड़ी (सदन में हंसी)

माननीय अध्यक्ष जी यह जो उत्तर है पिछले बजट सत्र में भी इस प्रश्न का उत्तर यही आया था, जो आज 6 महीने बाद आया। माननीय अध्यक्ष जी, यह कितनी गंभीर बात है कि यह सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बार–बार दृढ़ता के साथ उत्तर देती है कि हम शीघ्रातिशीघ्र कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के कई आदेश यहां तक की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान आज तक नहीं हुआ। ब्याज सहित तो करना दूर और जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 435.17 करोड़ और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर 7096.18 करोड यही आंकड़ा बजट सत्र के दौरान भी प्रश्न का उत्तर के रूप में माननीय मंत्री जी का आया यानी सरकार की रफ्तार कछुआ गति से भी कम। अगर छः महीने में एक पाई भी इन्होंने गन्ना किसानों का भुगतान करने का प्रयास नहीं किया तो किसानो के प्रति मान्यवर, जिस तरीके से उपेक्षात्मक रवैया है इनके बजट सत्र के उत्तर और वर्तमान उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार की नीति गन्ना किसानों को धोखा देना है, छलावा करना है और आज यही कारण है कि गन्ना किसान के बच्चे और गन्ना किसान का परिवार पढ़ाई, लिखाई, भुखमरी और शादी–विवाह सबके लिए परेशान है लेकिन गन्ना किसानों के प्रति दिल नहीं पसीज रहा है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखाकर किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं इसलिए मान्यवर, किसान विरोधी सरकार के रवैये पर बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी आपके निर्णय को चुनौती नहीं दूंगा न मुझे देना चाहिए लेकिन जिसके प्रश्न हैं वही बोलेगा, वही अनुपूरक करेगा मान्यवर यह सदन की परम्परा नहीं है। आपकी कृपा से सबको भाग लेने का अवसर मिलता है। एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मैं मांग रहा हूं। मैं राजनीति से ऊपर उठकर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, आज इस पर नियम–56 की भी सूचना है, लोक दल के सदस्यों ने दिया है। वह समय आयेगा तब आप बोल लीजियेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी नियम–56 तो व्यक्तिगत है, प्रश्न तो सार्वजनिक है तब आप हमें अवसर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, आपको उसमें अवसर देंगे। आप बैठिये। अब मैं प्रश्न संख्या–3 ले रहा हूं।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करते हुए सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे एक मौका दीजिये, यह गन्ने का सवाल लगा हुआ है। आप हमें एक मौका दीजिये।

श्री पंकज कुमार मलिक (वेल से)–

मान्यवर, एक मौका दीजिये।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप लोक दल को मौका ही नहीं देते हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 में सूचना दी है जब नियम–56 लिया जायेगा तो उस समय आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा।

श्री पंकज कुमार मलिक (वेल से)–

मान्यवर, एक सवाल ये पूछ लेंगे और एक मैं पूछ लूंगा। एक मौका दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुदेश शर्मा जी नियम–56 में बोल लीजियेगा। अब यह परम्परा नहीं है। आप बैठिये जाकर।

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य वेल में बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

वह सवाल जब सामने आने वाला है तो मैं कह रहा हूं कि उसमें पूछना, अभी बैठो, मैं समझ गया।

श्री पंकज कुमार मलिक (वेल से)–

मान्यवर, मुझे एक मौका दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब सवाल नहीं, अब आगे बढ़ गये हैं, मैंने चिकित्सा का प्रश्न ले लिया है।

बाजपेयी जी को समझा दिया वह मान गये आप भी मान जाइये, अब आप लोग जिद मत करिये। अब अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो पास कराकर चलें फिर आपका ऐसे ही रह जायेगा, बताइये क्या करें हम।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय माथुर साहब जब नियम–56 आ रहा है तो उसमें जो कहना हो कहियेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, जो प्रश्न के ठेकेदार हैं वही हावी रहते हैं और जो सदस्यों ने प्रश्न को लगाया है उनको मौका नहीं मिल पाता है इस तरह से प्रश्न कुछ लोगों के बीच में ही घूमता रहता है। यह पंकज मलिक का मामला है उनके क्षेत्र का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण इतने परिश्रम से प्रश्न लगाते हैं उसके बाद कितने परिश्रम से उसका उत्तर आता है । आपका जब नियम–56 में यह आयेगा तब बोलियेगा।

श्री सुदेश शर्मा (वेल से)–

मान्यवर, पहले मौका दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

आपने दिया है आप बोलेंगे पहले, चलिये, अब जाइये।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मान्यवर, पहले मौका दे देना।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपने–अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष–

इतना समय बर्बाद करते हैं, माथापच्ची करते हैं।

प्रदेश के अस्पतालों में अप्राकृतिक मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम का समय सवेरे 8.00 बजे रात्रि 10.00 बजे तक कराये जाने का प्रकरण

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम प्रक्रिया शाम 05.00 बजे के बाद अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न किये जाने से मृतक के परिजनों को आपातकाल में 20–24 घण्टों तक अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में इंतजार करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पोस्टमार्टम करने के समय को बढ़ाकर सुबह 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मात्र एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)–

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–2247/सेक–2–पांच–07–7(123)/07, दिनांक 31–07–2007 एवं फोरेन्सिक मेडिसिन में निहित प्राविधानों के अनुसार शव विच्छेदन का कार्य सम्पादित किया जाता है। प्रदेश के सभी जनपदों में पोस्टमार्टम कार्य हेतु प्रतिदिन दो चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी जाती है तथा ड्यूटी लिस्ट एक माह की अग्रिम तैयार की जाती है। इस प्रकार पोस्टमार्टम हाउस में आने वाले शवों का उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व दिन के प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है। अपरिहार्य परिस्थितियों में पुलिस के अनुरोध पर जिला अधिकारी की अनुमति से प्रशासनिक आधार पर सूर्यास्त के पश्चात् कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कमोवेश हम सभी सदस्यों के सामने प्रतिदिन खड़ा होता है उस पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, ईश्वर सबकी क्षेम रखे।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नियम–56 में लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अभी पहले प्रश्न लेने दें जीरो आवर में अपनी बात उठाना। क्यों टाइम खराब कर रहे हैं जीरो आवर में पूरी बात कहियेगा। आप आज दे रहे हैं सुदेश शर्मा पहले 3 दिन से लगा रहे हैं। कल मौका आया था आप बैठें और प्रश्न का उत्तर आने दें। (व्यवधान)

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, जीवन में सब सदस्यों के सामने यह परिस्थिति आती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आलोक शाक्य जी यह क्या कर रहे हो।

(कुछ सदस्यों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के आसन तक आकर पत्र दिए जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, यह अच्छा तरीका नहीं है। आप लोग अपने–अपने स्थान पर चलें, आप लोग दिन भर माननीय मुख्य मंत्री जी को कागज देते रहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इनको समझा दीजिये, यह लोग आपसे लम्बी वार्ता करना चाहते हैं। असीजा जी, अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया इन्हें बोलने दीजिये।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर विपरीत परिस्थितियों में दुःख के मारे परिवार के ऊपर ऐसी कोई घटना हो जाये जिससे उसके पारिवारिक सदस्य की आकस्मिक मत्यु हो जाये। मान लीजिये कि किसी की आकस्मिक मृत्यु दिन में दोपहर 12.00–01.00 बजे हो

जाये, तो हम सब लोग जानते हैं कि कम से कम चार घण्टे पंचनामा की कार्यवाही में निश्चित लगते ही लगते हैं। 12.00–01.00 बजे अगर किसी के ऊपर दुःख का पहाड़ टूटता है, तो शाम 05.00 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। अगर सामान्य परिवार का व्यक्ति हो तो उसको अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है, पूरे 24 घण्टे तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर अगले दिन दोपहर तक पोस्टमार्टम हो पाता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सब रोज की घटना है। इसमें एक बात और विशेष है कि विशेष परिस्थितियों में किसी राजनीतिक दल के एम0पी0, एम0एल0ए0, या डी0एम0 अथवा एस0पी0 या किसी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के अनुरोध पर किसी विशेष व्यक्ति का रात में कभी–कभी पोस्टमार्टम हो भी जाता है, लेकिन आमतौर पर जो सामान्य लोग हैं, वो रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मानवीयता की दृष्टि से यदि देखा जाये तो आम जीवन में हमको 10 मिनट की भी देरी बर्दास्त नहीं होती, आधे घण्टे की देरी भारी पड़ती है, लेकिन जब जीवन में सबसे बड़ा दुःख का पहाड़ किसी परिवार के ऊपर टूट पड़ता है, उसके ईष्टजनों के ऊपर टूट पड़ता है, तो उसको 24 घण्टे बिना किसी व्यवस्था के वहां पर पड़े रहना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय नेता सदन/मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं सदन के सभी साथियों का समर्थन लेकर माननीय मंत्री जी से प्रश्न के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप विशेष पहल करके सुबह आठ बजे से शाम दस बजे तक पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था अगर करा दें, तो वास्तव में यह रोज की जो समस्या है और उसके लिए समस्या शब्द भी छोटा है, इससे सामान्य जन को इस पीड़ा से बचाव मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप पोस्टमार्टम का समय बढ़ाने का कार्य करेंगे।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सुझाव और प्रश्न दोनों बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील हैं। हम आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए 24 घण्टे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि पोस्टमार्टम में सही तथ्य आने चाहिये। पोस्टमार्टम जो किया जाता है उसमें सबसे जरूरी बात होती है कि मत्यु का कारण क्या है और जो चोट लगी है अथवा जो घाव है उसका सही समय क्या है। पोस्टमार्टम में यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु होते हैं। पोस्टमार्टम जब दिन की रोशनी में किया जाता है, तो जो घाव लगा है और जिसके कारण उस व्यक्ति की मत्यु हुई है, उसका अलग नेचर होता है। घाव जब लगता है, तो पहले रेडिस होता है, फिर उसके बाद जैसे–जैसे समय बीतता जाता है, उसका कलर चेंज होता जाता है और अंत में वह ब्लैकिश हो जाता है। डे–लाइट में जब पोस्टमार्टम किया जाता है तभी इन चीजों का सही–सही आंकलन हो पाता है, जब कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम किया भी जाता है तो उस कृत्रिम प्रकाश में किये गये पोस्टमार्टम में कही न कहीं इरर आ जाती है। इस प्रकार पोस्टमार्टम का सही मूल्यांकन और उसका सही विश्लेषण हो पाये इसके लिए डे–लाइट होना जरूरी है। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी,

मैं बताना चाहूंगा कि न्यायिक दृष्टिकोण से भी सूर्योदय–सूर्यास्त के मध्य पोस्टमार्टम परीक्षण करवाना उचित होता है।....

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, दि टेक्स्ट बुक आफ मेडिकल जूरिसप्रूडेन्स एण्ड टेक्सीकोलाजी के चैप्टर–ष्ष पोस्टमार्टम एक्जामिनेशन औटोप्सी में उल्लिखित है कि–

''दि एक्जामिनेशन शुड बी कनडक्टेड इन डे–लाइट एण्ड नॉट इन आर्टीफिशियल लाइट ऐस फार ऐस पासिबिल।''

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में जवाब दे दीजिये। हो पायेगा कि नहीं हो पायेगा, हां, नहीं में, इतना जवाब दे दीजिये ।

श्री शंखलाल मांझी–

मैंने इसलिये इस बात को बता दिया कि माननीय सदस्य जी जिस बात को रखे हैं, उसमें यह आवश्यक है कि दिन की रोशनी में ही पोस्टमार्टम होना चाहिये । विशेष परिस्थितियों में ही केवल रात में पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन अब इस विषय में और समय बढ़ा पाना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब असीजा जी, आपका उत्तर आ गया कि समय नहीं बढ़ा पायेंगे।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कहां पोस्टमार्टम में आप पड़े हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अति संवेदनशील है। मनीष असीजा जी ने जो संवेदना व्यक्त की है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्व करते हुये दो सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं।

(श्री मनीष असीजा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

और भी सवाल लगे हैं, आपका जवाब आ गया, अब आप बैठ जाइये ।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी के जो दो तथ्य हैं उसके ऊपर मैं सही तर्क देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अरे और सवाल लेने दो। इसको रहने दो। भगवान न करे कहीं ऐसा दिन आवे।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो यह बात कहते हैं कि डे–लाइट पोस्टमार्टम के लिये आवश्यक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी भी जो पोस्टमार्टम होते हैं, वह बंद कमरे में होते हैं और उसमें कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग होता है। दूसरी बात यह है कि किसी एम0एल0ए0, एम0पी0, डी0एम0, एस0पी0, मंत्री या किसी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश पर प्रतिदिन रात्रि में भी पोस्टमार्टम होते हैं। परेशान होता है तो कोई सामान्य व्यक्ति या कोई गरीब गुरबा। अगर हम लोग कभी अस्पताल जाते हैं तो यह महसूस करते हैं कि हर बार विपत्ति में पड़ा हुआ परिवार गुहार लगाता है और यह जो बता रहे हैं कि रात के रोशनी में यह घाव नहीं देखे जाते।

श्री अध्यक्ष–

अब बस हो गया, अब आप बैठें।

श्री मनीष असीजा–

अध्यक्ष जी, आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप मुझे दो लाइन बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि अगर आप यह कहते हैं कि रात्रि प्रकाश में पोस्टमार्टम नहीं हो सकता तो इन्होंने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो यह जो बड़े–बड़े डाक्टर्स हैं, यह लाखों रुपया लेकर रात को आपरेशन करते हैं, सब काम होते हैं, दुखियारे परिवार पर सब दिन सब क्षेत्रों में यह जो पीड़ा आती है और उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके लिये आप माननीय मंत्री जी मजबूत पहल करें और यह रात्रि प्रकाश का इसमें कोई तर्क नहीं है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप पोस्टमार्टम का समय बढ़ाइये और अनेक दुखियारे परिवारों के साथ न्याय करिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय असीजा जी ने बहुत संवेदनशील प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे दुःख की बात यह है कि जब किसी का जवान बेटा गोली से मारा जाता है और पोस्टमार्टम हाउस में उसकी लाश आती है, उस वक्त उसके परिजनों से ढाई सौ, पांच सौ रुपये लिये जाते हैं तो यह इतना दिल दहलाने वाला कृत्य होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने प्रदेश के सभी पोस्टमार्टम हाउसों पर यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिये कर रखी है, मैं अलीगढ़ की निश्चित जानकारी देना चाहता हूं, वहां के विधायक जी यहां बैठे हैं मैं बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ में बिना 500 रुपया दिये पोस्टमार्टम नहीं होता है तो क्या यह पैसा लेने की व्यवस्था आप पूरे प्रदेश में बंद करायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस पर आपको निर्देश देना चाहिये कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें। यह ऐसी समस्या है जो कि सारे हाउस की समस्या है, आप इस पर निर्देश दे दें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष–

यह आपका जो रात्रि वाला प्रश्न है यह सबके सामने आता है। मा0 मंत्री जी जब अपनी कठिनाई बता रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, यह सही है कि कभी–कभी लोग शाम को पहुंचते हैं और लाश ले करके रात भर बैठे रहते हैं

फिर दूसरे दिन चार बजे पोस्टमार्टम होता है यह सही है। मा0 मंत्री जी क्या आप कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि जब ड्यूटी पर डॉक्टर आते हैं 2 बजे, ढाई बजे पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर आते हैं और चार–पांच बजे पोस्टमार्टम करके चले जाते हैं यदि कोई लाश 5 बजे पहुंचती है तो रात भर वहीं रखी रहती है और फिर दूसरे दिन भी 10 बजे उसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं बल्कि फिर उसी टाइम पर करते हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यदि शाम को पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है तो सुबह 10 बजे हो जाए।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, एक्सीडेंट होता है तो भी 24 घण्टे लग जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा मा0 मंत्री जी आप इस पर विचार कर लीजिएगा।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 मंत्री जी से कह दिया है वह इसे देखेंगे।

प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में मिड–डे–मील हेतु उत्कृष्ट एवं प्रोटीन युक्त भोजन बनाये जाने विषयक

'04–श्री सतीश महाना

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक विद्यालयों में मिड–डे–मील हेतु उत्कृष्ट एवं प्रोटीन युक्त भोजन बनाने हेतु अक्षय–पात्र नामक संस्था की भांति प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु किसी संस्था को नामित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों में अलग–अलग बीमारियों के कारण उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग–अलग प्रकार का भोजन उपचार करने वाले चिकित्सक के निर्देशानुसार चिकित्सालय में स्थापित रसोई में तैनात रसोइये के द्वारा तैयार किया जाता है जिसका पर्यवेक्षण चिकित्सालय प्रभारी द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जो मा0 मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा अलग–अलग डाइट के हिसाब से होता है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि अलग–अलग बीमारी के हिसाब से अलग–अलग डाइट का भोजन नहीं दिया जाता है बल्कि एक ही प्रकार का भोजन बनाकर सबको दिया जाता है। मान्यवर, जैसा मा0 मंत्री जी कह रहे हैं उस प्रकार से दिया जाना चाहिए लेकिन दिया नहीं जाता है। हम सब

लोगों की जानकारी में है आप हमारे संरक्षक हैं आपकी भी जानकारी में है कि हास्पिटल के अन्दर जो भोजन बन रहा है, कई बार उसकी शिकायतें आई हैं। सामान्य रूप से जो शिशुओं के लिए भोजन बनता था उसमें भी शिकायतें आती थीं और उसके बाद उसे अक्षयपात्र नामक संस्था को दिया गया। पिछले दिनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यहां आये थे और मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उनके साथ जा करके अक्षयपात्र का निरीक्षण किया था, आप शायद थे या नहीं थे लेकिन किया था यह आपको भी जानकारी होगी। मान्यवर, उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा अखबार में यह छपा था कि हास्पिटल्स के अन्तर्गत और जेलों में, दोनों बातें कही थीं कि उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का यह स्टेटमेंट आया था और मा0 मंत्री जी का यह स्टेटमेंट है कि विचार नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अक्षयपात्र संस्था के द्वारा एक अच्छा और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है जिसकी सूचना पूरे सदन को है और इसको उन्होंने प्रमाणित भी किया है। क्या इसके ऊपर पुनर्विचार करके क्योंकि हास्पिटल्स में सरकारी हास्पिटल्स में, कम से कम महानगरों से शुरूआत करें छोटे हास्पिटल्स जो डिस्ट्रिक्ट में हैं वहां बाद में देख लें तो क्या मा0 मंत्री जी इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे।

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य जिस अक्षयपात्र की बात कर रहे हैं, मानते हैं कि उच्च क्वालिटी का प्रोटीन युक्त भोजन।

प्रदेश में गन्ना उत्पादन पर लगातार बढ़ रही लागत को देखते हुए 350 रुपये प्रति कुन्तल भाव निर्धारित करने पर सरकार का विचार

'05–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन पर लगातार बढ़ रही लागत को देखते हुए सरकार वर्ष 2015–16 में गन्ना भाव 350 रुपये प्रति कुन्तल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राज्य सरकार द्वारा गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों पर किये जाने की व्यवस्था है। यह समिति गन्ने की उत्पादन लागत, चीनी एवं सह उत्पादों के मूल्य के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित पक्षकारों यथा–किसान एवं चीनी मिल प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों/विचारों तथा विभिन्न संस्थाओं के विषय विषेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गन्ने के मूल्य के निर्धारण का परामर्श देती है। तद्नुसार आगामी सत्र, 2015–16 के राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण के समय सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए गन्ना मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कराने विषयक

'06–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की घोर कमी के चलते बच्चों का इलाज समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है जो चिन्ता का विषय है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के करोड़ों बच्चों की संख्या के अनुपात में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 596 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं। 13 बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्योजित किया गया है तथा 19 बाल रोग विशेषज्ञ संविदा पर कार्यरत हैं। बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत चिकित्सालयों में उनकी तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत सब–स्टेशनों एवं ट्रांसफार्मरों में ओवर लोडिंग को देखते हुए स्थाई कार्रवाई किये जाने विषयक

'07–श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत सब–स्टेशनों एवं ट्रांसफार्मरों में ओवर लोडिंग के कारण आये दिन सब–स्टेशनों की मशीनें व ट्रासफार्मर के जलने के कारण राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ओवर लोडिंग पर कोई स्थाई कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कभी–कभी ओवर लोडिंग के कारण वितरण परिवर्तक जल जाते हैं, जिसके कारण राजस्व हानि होना स्वाभाविक है। शहरों में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 72 घण्टे में खराब ट्रान्सफार्मर बदलने की व्यवस्था निर्धारित है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अतिभारित परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि/नये परिवर्तक लगाये जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर ए0बी0सी0 केबिल डालना एवं चेकिंग कर अवैध संयोजनों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय बनाने की सरकार की योजना

'08–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर का गन्ना शोध परिषद् को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय बनाने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? क्या मुख्य

मंत्री जी बतायेंगे कि दिनांक 17–10–2014 को उन्होंने अपने शाहजहांपुर के दौरे के दौरान घोषणा की थी कि शाहजहांपुर का गन्ना शोध परिषद् अपग्रेड किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

निदेशक, उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर के माध्यम से गन्ना शोध परिषद् को अपग्रेड कर कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार किया गया तथा यह पाया गया कि उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप शोध परिषद् में आवश्यक भूमि व अन्य अपेक्षित संसाधन उपलब्ध नहीं है। जिसके दृष्टिगत शोध परिषद् को अपग्रेड कर कृषि विश्वविद्यालय न बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर को अपग्रेड कर कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

'09–श्री सुदेश शर्मा–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

प्रदेश में आई0 ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत जिलों में कार्य कराये जाने की जानकारी

'10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना लागू की जा रही है ? यदि हां, तो वर्तमान में इसके अन्तर्गत प्रदेश के किन–किन जिलों में क्या–क्या कार्य कराये जाने हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इस योजना के अन्तर्गत आर–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–ए में 168 नगरों एवं पार्ट–बी में 167 नगरों में कार्य कराया जा रहा है। पार्ट–बी के अन्तर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित कार्य जैसे परिवर्तक लगाना, नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण एवं क्षमतावृद्धि, रिकन्डक्टरिंग, एल0टी0 लाइन, एरिएल बन्च कण्डक्टर, 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण तथा मीटर स्थापना आदि मुख्य कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हिमोफीलिया तथा थेलाशिमियां एक जैनेटिक बीमारी से ग्रसित बच्चों को मुफ्त दवायें व इलाज की व्यवस्था कराने विषयक

'11–डा0 अरुण कुमार–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिमोफीलिया तथा थेलाशिमियां एक जैनेटिक बीमारी है तथा इसका इलाज जिन्दगी भर चलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में उक्त बीमारी से ग्रस्त बच्चों को मुफ्त दवायें एवं इलाज की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों हेतु 11 राजकीय मेडिकल कालेजों, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के0जी0एम0यू0, लखनऊ बी0एच0यू0, वाराणसी, ए0एम0यू0, अलीगढ़ के अतिरिक्त बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर बरेली एवं मुरादाबाद जिला चिकित्सालयों में हिमोफीलिया रोग से ग्रसित मरीजों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गयी है।

थेलाशिमियां रोग का उपचार के0जी0एम0यू0 लखनऊ में किया जा रहा है। इसमें होने वाले व्यय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट से वहन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के बिजली ट्रांसफार्मर फुंकने/खराब होने पर उसे ले जाने की जिम्मेदारी वितरण कम्पनी की जवाबदेही तय करने की मांग

'12–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के बिजली ट्रांसफार्मर फुंकने/खराब होने पर किसानों को स्वयं वितरण कम्पनी के भण्डार गृह तक ट्रांसफार्मर पहुंचाना व लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में इस व्यवस्था को परिवर्तित कर खराब ट्रांसफार्मर को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी वितरण कम्पनी की तय करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के द्वारा जले हुए परिवर्तकों को भण्डार गृह तक ले जाने व मरम्मतशुदा परिवर्तकों को क्षेत्र तक ले जाने का व्यय किसानों द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है।

वन क्षेत्राधिकारियों को सहायक वन संरक्षक पद पर उच्चीकृत किये जाने की कार्रवाई

'13–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर 65 (पैंसठ) वन क्षेत्राधिकारियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर उच्चीकृत करने हेतु मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 16–03–15 को दिये गये आदेश के क्रम में वित्त विभाग द्वारा भी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त अभी तक विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त आदेश का पालन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इसके लिये कोई दोषी नहीं है। प्रकरण में आदेश निर्गत करने से पूर्व विभिन्न माध्यमों से उ0प्र0 सहायक वन कर्मचारी संघ की आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिस पर भी विचार करते हुए समग्र निर्णय लिये जाने के क्रम में संघ की सुनवाई कर ली गयी है तथा अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

'14–श्री रविन्द्र भडाना–

खविस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों को उनकी विद्युत मूल्य वसूली के आधार पर कटौती से मुक्त करने विषयक सरकार की नीति

'15–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों को उनकी विद्युत मूल्य वसूली के आधार पर कटौती से मुक्त करने का कोई नीतिगत निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी जनपद को उनके विद्युत मूल्य वसूली के आधार पर कटौती से मुक्त करने की कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में गन्ने की फसलों को नष्ट करने वाले पायरीना नामक कीटाणु के बचने की ठोस कार्य योजना

'16–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में गन्ने की फसलों में पायरीला नामक कीटाणुओं के उत्पन्न होने से खराब हो रही किसानों

की फसलों को प्रभावित होने से बचाने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर तथा देवरिया व गोरखपुर परिक्षेत्र के कई जनपदों में पायरीला रोग के कारण गन्ना फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना का संज्ञान लेते हुए गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 के स्तर से स्थलीय निरीक्षण करके पायरीला रोग के अभाव का सर्वेक्षण कराने एवं आख्या प्रस्तुत किय जाने हेतु जांच दल का गठन किया गया था। उक्त जांच दल के द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं पायरीला रोग के प्रभाव से प्रभावित गन्ना फसल के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ के परिपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2015 द्वारा पायरीला रोग के रोकथाम के उपाय सुझाते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग के मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार गन्ना कृषकों में पायरीला रोग के रोकथाम के उपायों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार, किसान गोष्ठियां आयोजित करायी गयी तथा साहित्य का वितरण किया गया एवं कीट नियंत्रण हेतु रसायनिक दवाओं व यंत्रों का वितरण कराया गया। वर्तमान में विभाग द्वारा किये गये कार्यों/प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में पायरीला रोग पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मंहगाई के कारण बिजली गरीब किसानों व मजदूर को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने की सरकार की जानकारी

'17–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मंहगाई के कारण मंहगी बिजली से गरीब जनता किसान व मजदूर के सामने जीवन–यापन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो देश के अन्य राज्यों की भांति प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, गरीब किसानों आदि के लिये वर्तमान बिजली की दरों को आधी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू–जल स्तर के लगातार गिरने से उत्पन्न होने वाली समस्या के निजात हेतु जल संचयन संयंत्र हेतु आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने विषयक

'18–श्री अजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू–जल स्तर के लगातार गिरने से उत्पन्न होने वाले संकट को देखते हुए क्या सरकार नागरिकों को वर्षा जल संचयन संयंत्र लगाने के लिये आर्थिक अनुदान उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

नागरिकों को वर्षा जल संचयन संयंत्र लगाने के लिये आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा विभाग में मेरिट आर्डर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के आधार पर सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने विषयक

'19–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग में बिजली खरीदने के लिये मेरिट आर्डर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, जिसके अनुसार पहले सस्ती दरों पर उपलब्ध बिजली खरीदनी आवश्यक है, लागू है ? यदि हां, तो पिछले वर्ष तथा इस वर्ष क्या उक्त सिस्टम के अनुसार क्रय की गयी बिजली का विवरण सरकार उपलब्ध करायेगी ? क्या सरकार यह सूचना भी उपलब्ध करायेगी कि प्रश्नगत अवधि में केन्द्रीय या अन्य राज्य सेक्टरों में किस दर पर बिजली उपलब्ध थी ?

श्री अखिलेश यादव–

मांग के अनुसार विद्युत गृहों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इकोनामिक मेरिट आर्डर में डिस्पैच शिड्यूल कराये जाते हैं।

जी हां। जनवरी, 2014 से जुलाई, 2015 तक का माहवार विवरण संलग्न[४] है।

वर्ष 2014–15 व 2015–16 (माह मई, 2015 तक) में क्रय की गयी ऊर्जा की दरें निम्नवत् हैं :–

उपक्रम	वर्ष 2014–15 में क्रय की गयी ऊर्जा की समेकित दर (रु0 प्रति यूनिट)	वर्ष 2015–16 (माह मई, 2015 तक) में क्रय की गयी ऊर्जा की समेकित दर (रु0 प्रति यूनिट)

४ देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ–125–126 पर।

अ–सेन्ट्रल सेक्टर		
एन0पी0सी0आई0एल0	2.86	2.88
एन0एच0पी0सी0	3.23	2.80
एन0एच0पी0सी0	3.25	3.26
टी0एच0डी0सी0	5.40	4.68
ब–राज्य सेक्टर	4.01	3.55
स–अन्य	3.95	3.72

प्रदेश में विद्युत इकाइयों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे विद्युत उत्पादन तथा विद्युत आपूर्ति की योजना की जानकारी

'20–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन–किन विद्युत इकाइयों द्वारा प्रतिदिन कितना–कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है तथा उसके सापेक्ष प्रदेश में प्रतिदिन कितनी विद्युत की आवश्यकता है ? क्या सरकार की प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति निर्धारित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन विद्युत गृहों की इकाइयों से जुलाई माह का औसत विद्युत उत्पादन निम्नवत् है :–

विद्युत गृह का नाम	इकाई संख्या एवं क्षमता	विद्युत उत्पादन विगत माह (जुलाई, 2015)	
		मि0यू0	औसत मे0वा0
अनपरा	1 (210)	114.778	154
	2 (210)	107.150	144
	3 (210)	114.304	154
	4 (500)	323.080	434
	5 (500)	338.590	455
ओबरा	1 (50)	14.544	19
	2 (50)	19.836	27
	9 (200)	125.629	169
	12 (200)	70.199	94
	13 (200)	79.328	107
पनकी	3 (105)	41.239	55
	4 (105)	40.995	55

हरदुआगंज	7 (105)	43.258	58
	8 (250)	174.478	235
	9 (250)	171.328	230
पारीक्षा	1 (110)	44.982	60
	3 (210)	111.350	149
	4 (210)	120.610	162
	5 (250)	150.590	202
	6 (250)	150.686	203

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत उत्पादनरत विद्युत गृहों का जुलाई, 2015 में औसत भार 3171 मे0वा0 रहा है।

उ0 प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन जल विद्युत गृहों की मशीनें जल की उपलब्धता एवं सी0एल0डी0एस0, लखनऊ के निर्देशानुसार पीक आवर्स में चलाई जा रही हैं। वर्तमान में इन इकाइयो से जुलाई माह का औसत विद्युत भार/उत्पादन निम्नवत् है :–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे0वा0)	औसत विद्युत भार (मे0वा0)	विद्युत उत्पादन (मि0यू0)
1	रिहन्द जल विद्युत गृह, पिपरी–सोनभद्र।	300	86.75	64.54
2	ओबरा जल विद्युत गृह, ओबरा–सोनभद्र।	99	35.13	26.14
3	खारा जल विद्युत गृह, सहारनपुर।	72	57.80	43.00
4	माताटीला जल विद्युत गृह, ललितपुर।	30.6	3.95	2.94
5	लघु जल विद्युत गृह, (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं झांसी)।	25.1	2.37	1.76
	कुल योग :	**526.7**	**186.00**	**138.37**

उ0 प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत विद्युत गृहों का माह जुलाई, 2015 का औसत भार 186.00 मे0वा0 है।

वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु औसतन प्रतिदिन 11000–13500 मे0वा0 (प्रतिबन्धित मांग) विद्युत की आवश्यकता है।

जी हां।

अक्टूबर, 2016 से महानगरों में 24 घण्टे, जिले मुख्यालयों में 22 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की योजना है। वर्ष 2019 से सभी घरेलू व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की योजना विचाराधीन है।

साथ ही 132 के0वी0 से निकलने वाले 33 के0वी0 के स्वतंत्र औद्योगिक फीडरों पर अनवरत विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

श्री नरेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं व्यवसायिक शिक्षा उ0 प्र0 का स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

01–श्री पंकज गुप्ता–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश का पत्र सं0–वी0आई0पी0/ 817/रा0मं0/हो0गा0/प्रारवर0द0/व्या0शि0/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु क्या हैं ? क्या उक्त पत्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह यादव, मा0 राज्य मंत्री, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10 मई, 2013 के साथ श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री नन्दलाल शर्मा, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन का प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने एवं जांच पूर्ण होने तक अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण पर नियामानुसार समुचित आदेश देने का अनुरोध मा0 राज्य मंत्री न्रे किया है।

जी हां। प्रश्नगत प्रकरण में जांच हेतु निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। सम्प्रति जांच

प्रक्रियाधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री नन्द लाल शर्मा, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन का स्थानान्तरण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा दिनांक 14–7–2014 को जनपद कानपुर नगर कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जायेगी।

02–श्री काली चरन सुमन–

ख्ले गुरुवार के अता0प्र0सं0–145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

03–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में मुल्ला रोड पर निर्मित पुल के दोनों ओर पक्के सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रकरण

04–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में मुल्ला रोड पर निर्मित पुल के दोनों ओर जनता की समस्या को देखते हुए पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

जनपद शामली में थानाभवन मुल्लापुर मार्ग पर कृष्णी नदी पर बने पुल की पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य की परियोजना लागत रु0 18.00 लाख उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 24–3–2015 को सम्पन्न 185वीं बैठक द्वारा संस्तुत की जा चुकी है। परियोजना स्थायी संचालन समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

परियोजना के साध्य पाये जाने एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

05–श्री दीपक पटेल–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने विषयक

06–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों पर

आवश्यकतानुसार आर0सी0सी0 पुल/पुलिया/साइफन के निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 12–13/क–5 नं0–157641/3005, क–5 नं0–157640/3004, क–5 नं0–157638/3003, क–5 नं0– 157639/3007, क–5 नं0–157642/3006, दिनांक 02–02–2013 जो कि मुख्य मंत्री को संबोधित है, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में निम्न कार्य उल्लिखित हैं :–

1–पत्र सं0–157638/3003 में वर्णित 08 मार्गों में से क्रम सं0–1,2,3,4,5,7 व 8 पर अंकित मार्गों पर पुल/पुलिया/साइफन का कार्य कराया जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रमांक–6 पर अंकित पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–पत्र सं0–157639/3007 में वर्णित 07 ग्रामों में से क्रम सं0–1,2,5 व 7 लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रमांक–3 पर अंकित पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है। क्रमांक–4 व 6 पर वर्णित कार्यों का प्राविधान सिंचाई विभाग की सरयू परियोजना के अन्तर्गत नहीं है।

3–पत्र सं0–157640/3004 में वर्णित 08 मार्गों में से क्रम सं0–1,2,3, व 4 पर अंकित मार्गों पर पुल/पुलिया/साइफन का कार्य कराया जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रमांक–5, 6, 7 व 8 पर अंकित मार्गों पर पुल/पुलिया/साइफन का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

4–पत्र सं0–157641/3005 में वर्णित 07 मार्गों में से क्रम सं0–1,2,3,4 व 5 पर अंकित मार्गों पर पुल/पुलिया/साइफन का कार्य कराया जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रमांक–6 पर अंकित मार्ग पर पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रमांक–7 पर अंकित कार्य का प्राविधान बालापुर माइनर नहर निर्माण में सम्मिलित है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5–पत्र सं0–157642/3006 में वर्णित 07 मार्गों में से क्रम सं0–2,4,5 व 7 पर अंकित मार्गों पर पुल/पुलिया/साइफन का कार्य कराया जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रमांक–6 पर अंकित मार्ग पर पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रमांक–1 व 3 पर वर्णित कार्यों का प्राविधान सिंचाई विभाग की सरयू परियोजना के अन्तर्गत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

07–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत गुरेला से विस्वासी तक की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

08–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत गुरेला से विस्वासी तक लम्बाई 1.5 कि0मी0 सड़क नहीं बनी

है जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत गुलेरा से विस्वासी मार्ग की लम्बाई 0.700 कि0मी0 मार्ग गन्ना विकास विभाग द्वारा निर्मित है तथा वर्तमान में सही दशा में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

09–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

स्थगित शुक्रवार के अता0प्र0सं0–169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2010 से जनवरी, 2015 तक वर्षवार किसानों की शारीरिक अपंगता पर बीमा राशि का लाभ दिये जाने विषयक

10–श्री दलवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना में किसान की शारीरिक अपंगता पर बीमा राशि उपलब्ध कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2010 से जनवरी, 2015 तक वर्षवार कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2010 में 02 कृषकों, वर्ष 2012 में 03 कृषकों, वर्ष 2013 में 03 कृषकों, वर्ष 2014 में 02 कृषकों, वर्ष 2015 में 01 कृषक, इस प्रकार कुल 11 कृषकों में से 09 कृषकों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध करा दिया गया है तथा 02 प्रकरण लम्बित है।

जी हां।

वर्तमान में लम्बित 02 प्रकरण 26–06–2015 को जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है। जिनको कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास खण्ड निगोही से कटैया उस्मानपुर तक कच्चे मार्ग का निर्माण

11–श्री रोशन लाल वर्मा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 133, तिलहर में वि0 खण्ड निगोही के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उस्मानपुर तक कच्चा मार्ग अत्यन्त ऊबड–खाबड़ एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्ष 2014–15 में डामरीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

12–डा0 मो0 अयूब–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

13–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड–सिकन्दराबाद के गांव सरायघासी व आढ़ा के बीच करों नदी पर तथा गांव सैदमपुर के करीब गंदे नाले पर पुल बनाने विषयक

14–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड–सिकन्दराबाद के गांव सरायघासी व आढ़ा के बीच करों नदी पर तथा गांव सैदमपुर के करीब गंदे नाले पर पुल बनवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–550153, दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड–सिकन्दराबाद के गांव सरायघासी व आढ़ा के बीच पुल निर्माण का कार्य करबन नदी एवं काली नदी के बीच पड़ने वाले नालों की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना के साध्य पाये जाने एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् कार्रवाई किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

15–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद उन्नाव के लिये दिनांक 24 मार्च, 2013 को सिंचाई से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं का अनुपालन में की गई कार्रवाई

16–श्री पंकज गुप्ता–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा 24 मार्च, 2013 को सिंचाई से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं का अनुपालन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5/306906, दिनांक 12–09–2014 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद उन्नाव के लिये दिनांक 24 मार्च, 2013 को सिंचाई से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

1–जनपद उन्नाव में गंगा नदी पर 0.00 से 5.00 कि0मी0 तक (पुराने पुल से जाजमऊ पुल तक) बंधा बनाये जाने की परियोजना लागत रु0 145.67 करोड़ परियोजना दिनांक 21–05–2015 को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

2–जनपद उन्नाव में सिटी जेल ड्रेन को कि0मी0 0.00 से कि0मी0 29.800 तक पक्का कराये जाने का प्रकरण सिंचाई विभाग एवं नगर विकास विभाग से सम्बन्धित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सिटी जेल ड्रेन के कि0मी0 0.00 से 25.300 तक के नाले की पुनर्स्थापना का कार्य सिंचाई विभाग तथा नगरीय क्षेत्र के कि0मी0 25.300 से कि0मी0 29.800 तक ड्रेन को पक्का (लाइनिंग) करने का कार्य नगर विकास विभाग से कराने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

3–जनपद उन्नाव में लोनी ड्रेन की सफाई हेतु परियोजना धनराशि रु0 1.09 करोड़ अनुमोदित की गई है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रावधानित बजट रु0 50.00 लाख के सापेक्ष इस ड्रेन के कि0मी0 112.00 से कि0मी0 126.15 तक एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रावधानित बजट रु0 36.20 लाख के सापेक्ष कि0मी0 126.15 से कि0मी0 132.00 तक कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2013 को लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं का अनुपालन सम्बन्धित पत्र पर कार्रवाई विषयक

17–श्री पंकज गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा 24 मार्च, 2013 को लोक निर्माण से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं का अनुपालन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5/306907, दिनांक 12–09–2014 मुख्य सचिव, उ0 प्र0

को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में निम्न कार्यों का उल्लेख है :–

1–पटकापुर अमलौना एवं अतरी प्यारेपुर के मध्य लघु सेतु का निर्माण।

2–बन्दनपुरवा से मरौंदा मझवारा के मध्य आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण।

3–पटकापुर से अमलौना ग्राम के बीच सम्पर्क का निर्माण।

4–अतरी एवं प्यारेपुर ग्राम के बीच सम्पर्क का निर्माण।

5–बन्दनपुरवा से मरौंदा मझवारा मार्ग का पुनः निर्माण।

6–गंगा बैराज से गरेरे पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उक्त समस्त कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। क्रमांक–6 को छोड़कर सभी कार्य प्रगति पर है। क्रमांक–6 का आंशिक कार्य भूमि विवाद के कारण बाधित है।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र व जनपद उन्नाव में ऐरा भदियार स्थित विद्युत सब–स्टेशन के संचालन का प्रकरण

18–श्री पंकज गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र व जनपद उन्नाव में ऐरा भदियार स्थित विद्युत सब–स्टेशन के संचालन हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0 जी0–10558880 पत्र सं0–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0जी0–10558880/2014 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ऐरा भदियार स्थित 33/11 के0वी0 1ग5 एम0वी0ए0 उप संस्थान का निर्माण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत मे0 ए0बी0बी0 लिमिटेड, बंगलौर द्वारा किया जा रहा था। कार्यदायी संस्था के साथ गुणवत्ता को लेकर विवाद के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आबिट्रेशन पैनल के निर्णय के अनुसार उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो शीघ्र ही पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव–सिरोसी–परियर सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत कार्य कराने विषयक

19–श्री पंकज गुप्ता

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक–8078 सीजेडकाम/245सीजेड उन्नाव/14–15, दिनांक 17–01–2015 द्वारा उन्नाव–सिरोसी–परियर सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग के क्षतिग्रस्त भाग के विशेष मरम्मत कार्य हेतु रु0 109.22 लाख का आगणन मुख्य अभियन्ता (मु0–1) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यातायात मार्ग) लो0नि0वि0, लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील अकबरपुर अन्तर्गत सिकन्दरपुर से कुड़की सम्पर्क मार्ग को ठीक कराया जाना

20–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील अकबरपुर अन्तर्गत सिकन्दरपुर से कुड़की सम्पर्क मार्ग काफी समय से गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क को गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से गड्ढायुक्त है।

जी हां।

मार्ग को गड्ढामुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के चिरईगांव अस्पताल में बेड उपलब्ध न होने के कारण जमीन में नसबन्दी करके लिटा देने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग

21–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के चिरईगांव अस्पताल में बेड उपलब्ध न होने के बावजूद मात्र 4 घण्टे में 73 महिलाओं की नसबन्दी करके उनको जमीन पर ही लिटा दिया गया इसके कुछ दिन बाद ही इसी प्रकार से जनपद जौनपुर के मछलीशहर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र साढ़े चार घण्टे में 71 नसबन्दी कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से नसबन्दी करने वाले दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जनपद वाराणसी के चिरईगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नसबन्दी शिविर का उचित प्रबन्धन न करने के कारण उनको जनपद वाराणसी से हटाकर मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। जनपद जौनपुर के मछलीशहर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी नसबन्दी शिविर के उचित प्रबन्धन न किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर द्वारा एक जांच समिति गठित की गयी है, जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 33 के0वी0ए0 बिजली घरों के सापेक्ष अवर अभियन्ता एवं लाइन मैनों के रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती शुरू करने की मांग

22–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 33 के0वी0ए0 बिजली घरों के सापेक्ष अवर अभियन्ता एवं लाइन मैनों की संख्या मानक से कम है जिसके कारण टी0जी0–2 अथवा संविदा कर्मियों से उक्त काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवर अभियन्ता एवं लाइन मैनों के रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र भर्ती शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

नई भर्ती होने तक उपलब्ध अवर अभियन्ताओं एवं लाइनमैनों से ही काम लिया जा रहा है।

अवर अभियन्ता के पद पर विद्युत सेवा आयोग द्वारा भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लाइनमैनों के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति के पद हैं, जिस पर कुशल श्रमिकों से पदोन्नति की जाती है। इस पद पर पदोन्नति की कार्रवाई डिस्काम स्तर पर की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2012–2013 व 2013–14 में ब्लाकवार सोलर लाइटों को ठीक कराये जाने विषयक

23–श्री दलवीर सिंह–

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2012–2013 व 2013–14 में ब्लाकवार कितनी सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा करायी गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्थापित सोलर लाइट स्ट्रीट लाइटों में से वर्तमान में कितनी स्ट्रीट लाइट खराब/बन्द हैं ? क्या सरकार खराब एवं बन्द पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2012–2013 में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना नहीं करायी गयी है।

वर्ष 2013–14 में अलीगढ़ के विभिन्न विकास खण्डों में ब्लाकवार यथा–खैर में 26, चण्डौल में 36 एवं अतरौली में 48 कुल 110 सोलर स्ट्रीट लाइटों को स्थापित किया गया है।

समस्त सोलर लाइट ठीक हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ ड्रेन के कि0मी0 38 से कि0मी0 121 तक आन्तरिक अनुरक्षण की पुनर्स्थापना के प्रस्तावित कार्य को कराया जाना

24–श्री दलवीर सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ ड्रेन के कि0मी0 38 से कि0मी0 121 तक आन्तरिक अनुरक्षण की पुनर्स्थापना कार्य प्रस्तावित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि अलीगढ़ ड्रेन की गत कई वर्षों से सफाई व अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई व अनुरक्षण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जी हां, जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ ड्रेन के कि0मी0 38.00 से कि0मी0 121.00 तक आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना की वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप पुनरीक्षित परियोजना तैयार की गयी है।

परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील कोल के ग्राम असदक्यामपुर में आवासीय योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किये जाने विषयक

25–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील कोल के ग्राम असदक्यामपुर में आवासीय योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अधिग्रहीत भूमि में से कितनी भूमि पर प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त हो गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कब्जा प्राप्त भूमि पर आवासीय योजना कब तक विकसित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत 53.213 हे0 भूमि में से 31.282 हे0 भूमि का कब्जा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से प्राधिकरण को प्राप्त है।

उक्त कब्जा प्राप्त भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारित न होने तथा अर्जित भूमि का अवार्ड घोषित न होने के कारण एवं 21.951 हे0 अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन 36 रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश पारित होने के कारण प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे आवासीय योजना को विकसित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को रोकने, कर्ज माफ किये जाने का प्रकरण

26–श्री सुदेश शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 में कितने किसानों द्वारा बारिस व ओलावृष्टि से हुये नुकसान की वजह से कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या के मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? क्या सरकार भविष्य में उक्त आत्महत्याओं को रोकने के लिये प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रदेश में वर्ष 2015 में बारिश व ओलावृष्टि से हुये नुकसान की वजह से कर्ज न चुका पाने के कारण किसी किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

किसानों द्वारा लिये गये ऋण माफ किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों की दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तक मुख्य देयों की वसूली स्थगित किये जाने तथा विविध देयों की वसूली में किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

सींच पर्यवेक्षक के रिक्त 302 पदों को भरा जाना

27–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के तीसरे बुधवार के अता0 प्रश्न सं0–91 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सींच पर्यवेक्षक के रिक्त 302 पदों तथा जिलेदार के रिक्त 234 पदों को सरकार कब तक पदोन्नति द्वारा भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सींच पर्यवेक्षक के प्रश्नगत रिक्त 302 पदों के सापेक्ष सभी पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है।

जिलेदार के प्रश्नगत रिक्त कुल 234 पदों में से 58 पद सीधी भर्ती के हैं तथा शेष 176 पदों को पदोन्नति से भरा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में तेलीबाग चौराहे के बाद नीलमथा के आगे रेलवे ब्रिज से बाईं तरफ लगभग 200 मी0 दूरी पर बीच में लगभग 100 मी0 सड़क का निर्माण कराया जाना

28–श्री मुहम्मद गाजी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृन्दावन योजना, लखनऊ के अन्तर्गत सेक्टर–7 एवं 8 में नहर से चिरैयाबाग होते हुए उतरेठिया रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन के बगल से सड़क का निर्माण गत वर्ष किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क पर तेलीबाग चौराहे के बाद नीलमथा के आगे रेलवे ब्रिज से बाईं तरफ लगभग 200 मी0 दूरी पर बीच में लगभग 100 मी0 सड़क का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त सड़क के प्रथम लेन का निर्माण किया गया है तथा द्वितीय लेन का निर्माण नहीं किया गया है।

जी हां, उक्त सड़क की द्वितीय लेन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त स्थल वृन्दावन योजना संख्या–2 एवं 3 के अन्तर्गत ग्राम बरौली खलीलाबाद के खाता संख्या–105 व 114, खसरा संख्या–1544 पर स्थित है, जो कि परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि है। उक्त भूमि पर पुराना निर्माण है, जिसके समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। उक्त निर्माण के समायोजन के उपरान्त उक्त सड़क के शेष भाग का निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

29–डा0 अरुण कुमार–

खदिनांक 18–08–2015 को उत्तरित,

30–डा0 अरुण कुमार–

खदिनांक 18–08–2015 को उत्तरित,

जनपद फिरोजाबाद (नगर) के 220 के0वी0 क्षमता का आफसाबाद स्थित बिजली घर में अतिभारिता के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान को ठीक कराये जाने विषयक

31–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के 220 के0वी0 क्षमता का आफसाबाद स्थित बिजली घर में अतिभारिता के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र में स्थापित 100 एम0वी0 क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर 160 एम0वी0 क्षमता के ट्रान्सफार्मर स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

नगर फिरोजाबाद के 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र आफसाबाद अतिभारिता है तथा वर्तमान में इस उपकेन्द्र की क्षमता 3ग100 एम0वी0ए0 है अर्थात् उपकेन्द्र पर 100 एम0वी0ए0 क्षमता के 03 परिवर्तक स्थापित हैं। स्थापित 100 एम0वी0ए0 के 02 परिवर्तकों के स्थान पर 160 एम0वी0ए0 के 02 परिवर्तकों को स्थापित करने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य के वित्त पोषण हेतु रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 को ऋण का प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। ऋण स्वीकृति के उपरान्त कार्य शीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल शाहजहांपुर में सी0टी0 स्कैन मशीन तथा पानी की टंकी लगवाया जाना विषयक

32–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना समिति शाहजहांपुर की बैठक 01–01–2015 में जिला अस्पताल शाहजहांपुर में सी0टी0 स्कैन मशीन तथा पानी की टंकी लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उस पर धन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त हेतु कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों जैसे–सी0टी0 स्कैन मशीन आदि की स्थापना किया जाना चिकित्सालय में उपलब्ध सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों/पैरामेडिकल स्टाफ आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार चिकित्सालयों में अवस्थापना सुविधाओं यथा एक अतिरिक्त पानी की टंकी आदि के निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालयों की वास्तविक आवश्यकताओं आदि के परीक्षण के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे एवं मण्डल मुख्यालयों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने की योजना की जानकारी

33–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों एवं शहरों में वर्तमान में कुल कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे एवं मण्डल मुख्यालयों पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रों को 10 घण्टे, तहसील स्तरीय क्षेत्रों को 12 घण्टे, जनपद व समकक्ष स्तरीय क्षेत्रों को 15 घण्टे, मण्डल स्तरीय क्षेत्रों को 18 घण्टे, महानगर स्तरीय क्षेत्रों को 20 घण्टे, बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 15 घण्टे, औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घण्टे एवं ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है, जिसमें स्थानीय व्यवधान सम्मिलित नहीं है तथा राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी–कभी आकस्मिक कटौती करानी अपरिहार्य हो जाती है।

जी हां।

वर्ष 2016–17 में जनपदीय मुख्यालयों में न्यूनतम 22 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति का एक प्रस्ताव इनर्जी टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 10–05–2014 को अनुमोदित किया गया था जिसमें आगामी वर्षों हेतु उत्तरोत्तर बेस लोड मांग का आंकलन किया गया।

वर्ष 2015–16 तथा वर्ष 2016–17 में बेस लोड मांग क्रमशः 17423 तथा 19619 मे0वा0 आंकलित की गयी। विद्युत की बढ़ी हुई मांग की आपूर्ति हेतु वर्ष 2015–16 के लिये लगभग 4825 मे0वा0 तथा वर्ष 2016–17 हेतु लगभग 4336 मे0वा0 अतिरिक्त विद्युत क्षमता क्रय की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सेन्ट्रल सेक्टर की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं आदि से क्रय की गयी है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम की धारा–63 के अधीन केन्द्र सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्त डी0बी0एफ0ओ0ओ0 के अन्तर्गत 3800 मे0वा0 विद्युत क्रय की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

ऊर्जा के पारेषण एवं वितरण तंत्र को ग्रामीण क्षेत्र को 16 घण्टे एवं जनपदीय मुख्यालयों को न्यूनतम 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रख्यापन विषयक अधिसूचना की जानकारी

34–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2012 आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या/दिनांक

04–01–2013 शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली में वांछित संशोधन किये जाने हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 04–01–2013 के क्रम में ''उ0 प्र0 अधीनस्थ आबकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015'' के प्रख्यापन विषयक अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त, 2015 को निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लो–वोल्टेज के कारण उपभोक्ताओं को भारी नुकसान के कारण स्थाई हल हेतु उठाये गये कदम की जानकारी

35–श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लो वोल्टेज के कारण आये दिन किसानों के निजी ट्यूबवेलों के मोटर एवं घरेलू बत्ती, पंखे जलने के कारण उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थायी हल के लिये कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कभी–कभी विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण ग्रिड एवं विद्युत वितरण तंत्र के अतिभारित होने पर वोल्टेज में कमी आ जाती है जिसके कारण निजी नलकूप मोटर के परिचालन में कठिनाई आती है।

विभागीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिये आर0जी0जी0वी0वाई0 की योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 63 के0वी0ए0, 100 के0वी0ए0 एवं 250 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगवाकर उपकेन्द्रों के निर्माण कराये जा रहे हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना फेस–2 के अन्तर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है। सामान्यतः परिवर्तक ओवर लोडिंग के कारण खराब होते हैं। इस कमी को दूर करने के लिये विद्युत चोरी कम करने हेतु चेकिंग अभियान चलाकर एवं ओवर हेड लाइन के तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 डालकर वितरण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि वोल्टेज की कमी के कारण उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांगजनों को विकलांगता प्रमाण–पत्र दिये जाने का मानक की जानकारी

36–श्री वीरपाल राठी–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगजनों को विकलांगता प्रमाण–पत्र दिये जाने का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि फालिज मारे गये व्यक्ति को विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश के जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीन गठित जिला विकलांग बोर्ड द्वारा गाइडलाइन्स एण्ड गजेट नोटीफिकेशन इश्यूड वाय मिनिस्ट्री आफ सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावरमेन्ट (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया) में निहित प्राविधानों एवं मानकों के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता के विकलांगजनों को प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

उक्त गाइडलाइन्स एण्ड गजेट वेरीफिकेशन के अनुसार फालिस मारे गये व्यक्ति के भौतिक परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार उच्च चिकित्सा संस्थान से जांच कराये जाने के उपरान्त जांच रिपोर्ट के आधार पर मानकानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में शारदा सागर नहर प्रणाली की शाखा शाहजहांपुर की नहर कोठी चुर्रा सकतपुर जीर्ण–शीर्ण होने के कारण तह0 बीसलपुर (पीलीभीत) पर राजकीय पालीटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाये जाने विषयक

37–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत में शारदा सागर नहर प्रणाली की शाखा शाहजहांपुर की नहर कोठी चुर्रा सकतपुर जीर्ण–शीर्ण होने के कारण उसकी भूमि संख्या–388 राजस्व गांव चुर्रासकतपुर, तह0 बीसलपुर (पीलीभीत) पर राजकीय पालीटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाने हेतु एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत दि0 11 अप्रैल, 2013 को प्रस्तावित किया है तथा गांव पंचायत ने भी प्रस्तावित किया है ? यदि हां, तो उक्त हेतु कब तक अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

शारदा नहर प्रणाली की शाहजहांपुर शाखा पर चुर्रा में स्थित भूमि का सिंचाई विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अतः इसे किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित किया जाना उचित नहीं है।

जिला अस्पताल एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षय रोगाश्रम फिरोजाबाद में सी–आर्म मशीन स्थापित कराने विषयक

38–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 20 लाख की आबादी में कार्यरत एक मात्र जिला अस्पताल एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षय रोगाश्रम में गम्भीर रूप से घायल ऐसे मरीजों जिनकी विभिन्न दुर्घटनाओं में घायल होने के कारण हड्डी टूट जाती है ऐसे रोगियों के उपचार हेतु वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सी–आर्म मशीन का अनिवार्यतः प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों को आधुनिक चिकित्सा

उपलब्ध कराने हेतु एक सी–आर्म मशीन की स्थापना कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां।

एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय एवं क्षय रोगाश्रम, फिरोजाबाद में दिनांक 10–08–2015 को सी–आर्म मशीन स्थापित करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (म0 क्षे0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को जनपद उन्नाव के थाना–परमनी सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु भेजे गये पत्र पर कार्रवाई की मांग

39–श्री पंकज गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0, उन्नाव के पत्रांक–45487 सी/21सी–उ0प्र0/14, दिनांक 17–11–2014 द्वारा मुख्य अभियन्ता (म0 क्षे0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को थाना–परमनी सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु आगणन भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

40–श्री पंकज गुप्ता–

ख्मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया,

अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध प्रैक्टिस किये जाने वाले डाक्टरों के प्रति की कार्रवाई का विवरण

41–श्री सतीश महाना–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपंजीकृत चिकित्सकों (अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स) द्वारा प्रैक्टिस करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं शासनादेश सं0–1368/सेक–5–पांच–2012–205/12, दिनांक 08–06–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के सहयोग से मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर झोलाछाप/अनधिकृत चिकित्सकों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956(102)/1956 तथा ड्रग एण्ड कास्मेटिक रूल्स, 1945 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में वायु सेवा संचालित करने हेतु नीति

42–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में वायु सेवा संचालित करने हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश सं0–1301/41–2014–244सा/13, दिनांक 2014 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या स्मार्ट सिटी इलाहाबाद में भी उक्त योजना संचालित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

लखनऊ–इलाहाबाद–लखनऊ के मध्य वायु सेवा का संचालन संचालनकर्ता फर्म द्वारा डी0जी0सी0ए0 अनुमोदन के उपरान्त प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

43–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

खदिनांक 18–08–2015 को उत्तरित,

जनपद हाथरस के ब्लाक–सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम–कासिमपुर से ग्राम–ईशेपुर तक कच्चे मार्ग का निर्माण

44–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक–सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम–कासिमपुर से ग्राम–ईशेपुर तक कच्चे सम्पर्क मार्ग का सी0सी0/पक्का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम ईशेपुर एवं ग्राम कासिमपुर पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्पति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के गांव रामपुर वाड़ी से सुहावली राजवहा के गांव रामपुर वाड़ी पर पुल का निर्माण कराया जाना

45–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या सिंचाई एंव जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के गांव रामपुर वाड़ी से सुहावली राजवाह के गांव रामपुर वाड़ी पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के गांव रामपुर वाड़ी की ग्राम पंचायत ने सुहावली राजवाहा पर बड़े साइज के पाइप डाल कर निकलने का रास्ता बना लिया है, उसके ऊपर से होकर लोग निकलते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस, ब्लाक हसायन के गांव रामपुर वाड़ी के सुहावली राजवहा से होकर जाने वाले रास्ते पर अपस्ट्रीम में मात्र 400 मी0 पर एक वी0आर0बी0 पूर्व से ही बनी हुई है एवं उसके डाउनस्ट्रीम पर मात्र 200 मी0 पर एक पैदल पुलिया बनी हुई है। इसलिए इतने कम अन्तराल पर नये पुल का निर्माण कराना विभागीय मानक के अनुरूप नहीं है।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन में जलेसर सिकन्दराराऊ मार्ग से ग्राम रामपुर होते हुए नं0 देवराय तक खराब रास्ता का निर्माण

46–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन में जलेसर सि0 राऊ मार्ग से ग्राम रामपुर होते हुए नं0 देवराय तक रास्ता खराब होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम–धेगपुर से गढ़ी हीरा सिंह सम्पर्क मार्ग का निर्माण

47–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम–धेगपुर से गढ़ी हीरा सिंह सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, परन्तु प्रश्नगत मार्ग कच्चा है।

ग्राम धेगपुर (थेगपुर) व गढ़ी हीरा सिंह पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इस प्रकार उक्त दोनों ग्राम एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में उक्त ग्रामों के मध्य लगभग 1 कि0मी0 कच्चा मार्ग है, इसका निर्माण/मरम्मत कार्य सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने से क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

48–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धाधूपुरा से ग्राम महलबादशाही तक सीवर लाइन डालने के कारण सड़क एवं आम रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नागरिकों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण कराने की मांग

49–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव विल्हैनी कवीस रोड आगरा से नगला केशो हौद बरौली गुजर चौराहा तक एवं ग्वालियर रोड इटौरा मोड़ से खेड़ा भगोर वाया गाभरी जगनेर मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे होने व जलभराव हो जाने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु यातायात चालू है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण

50–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चमरौली सौ फुटा रोड से वादामी नगर तौरा तक आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गांव में जाने वाले क्षतिग्रस्त रास्ते पर जगह–जगह गहरे गड्ढे एवं बरसात के समय जलभराव होने के कारण गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त रास्ते का सी0सी0 व सड़क निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्राधिकरण योजना से बाहर उक्त रास्ता अनियमित कालोनी को जाता है। अनियमित कालोनी को जाने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता है। दिनांक 22–05–2013 को अवस्थापना निधि सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि अनाधिकृत कालोनियों के प्रस्तावों को विचारार्थ प्रस्तुत न किया जाये। अतः उक्त रास्ते का निर्माण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत गांव ककुआ से भाड़ई तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

51–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव ककुआ से भाड़ई तक क्षतिग्रस्त सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

52–श्री काली चरन सुमन–

खाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर से डूगरा जोगी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

53–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत बुलन्दशहर अनूपशहर से डूगरा जोगी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य जनहित में कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत मलकपुर से रौरा होते हुए बुलन्दशहर, अनूपशहर मार्ग की ओर का क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

54–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत मलकपुर से रौरा होते हुये बुलन्दशहर, अनूपशहर मार्ग की ओर का क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य जनहित में कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मलकपुर से रौरा होते हुए बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग की कुल लम्बाई 5.70 कि0मी0 है, जिसके सापेक्ष बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग से रौरा तक मार्ग की लम्बाई 2.70 कि0मी0 में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इसको पूर्ण किया जाना तथा शेष भाग की मरम्मत किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत अनूपशहर–बुलन्दशहर मार्ग से महराजपुर–किरनपुर होते हुए खानपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

55–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत अनूपशहर बुलन्दशहर मार्ग से महराजपुर किरनपुर होते हुये खनपुरा तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अनूपशहर–बुलन्दशहर मार्ग से महाराजपुर–किरनपुर, वास्तविक नाम किशनपुर तक मार्ग खडन्जा स्तर का है, जिसका लेपन कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। किशनपुर से खनपुरा तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु मार्ग पर यातायात चल रहा है।

जी हां।

किशनपुर से खनपुरा तक मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत लखवती इण्टर कालेज से पसौली व पिपाला होते हुए तथा अनूपशहर–बुलन्दशहर मार्ग से खालौर मार्ग का निर्माण

56–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर अन्तर्गत लखवटी इण्टर कालेज से पसौली व पिपाला होते हुये ग्राम तक तथा अनूपशहर, बुलन्दशहर मार्ग से खालौर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत जहांगीराबाद आहार रोड से खदाना मार्ग तक का निर्माण

57–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत जहांगीराबाद आहार रोड से खदाना मार्ग तक क्षतिग्रस्त

सड़क होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु मार्ग पर आवागमन बाधित नहीं है।

जी हां।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2011 से 2015 तक निजी नलकूपों के अपभोक्ताओं के खराब/फुंके ट्रांसफार्मर में कम तेल पाये जाने से उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि तेल की प्रतिपूर्ति हेतु जमा की गई धनराशि

58–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में कितने निजी नलकूप उपभोक्ताओं के खराब/फुंके ट्रान्सफार्मरों में तेल कम पाया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कम तेल वाले ट्रान्सफार्मरों के उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि तेल की प्रतिपूर्ति हेतु जमा करायी गयी ?

श्री अखिलेश यादव–

सभी उपभोक्ताओं के खराब/फुंके ट्रांसफार्मर का लेखा–जोखा रखा जाता है परन्तु निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के परिवर्तकों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया है।

अलीगढ़ जनपद में निजी नलकूप के मात्र 01 उपभोक्ता के लगभग 2200 रुपये तेल की प्रतिपूर्ति हेतु उसके यह स्वीकार्य करने पर कि उक्त परिवर्तक को लाते समय गलती से परिवर्तक के गिर जाने से निकल गया था, खण्ड द्वारा जमा कराये गये।

अलीगढ़ शहर से नौरंगाबाद रेलवे पुल पर रेलिंग का निर्माण कराया जाना

59–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में नौरंगाबाद रेलवे पुल पर रेलिंग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे पुल पर रेलिंग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

रेलिंग निर्मित है, परन्तु क्षतिग्रस्त है।

स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अनुबन्ध गठन का कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति में है, इसको पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–शंकरगढ़ के ग्राम भडिवार में मानक के विपरीत संचालित नर्सिंग होम को बन्द किया जाना

60–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–शंकरगढ़ के ग्राम भडिवार में मानक के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नर्सिंग होम पर रोक लगा के दोषी डाक्टर पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम भडिवार में दिनांक 26–06–2015 एवं दिनांक 27–06–2015 को क्रमशः डा0 ए0एन0 मिश्रा, चिकित्साधिकारी (सामु0 स्वा0) एवं नर्सिंग होम पंजीकरण में लगाये गये श्री जिया लाल, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, श्री आर0के0 गुप्ता, एन0एम0ए0 दिनांक 09–07–2015 को डा0 अशोक कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 सत्येन राय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 जय किशन, अधीक्षक, सामु0 स्वा0 केन्द्र, शंकरगढ़ एवं श्री जिया लाल, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा पुनः दिनांक 16–07–2015 को डा0 ए0एन0 मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, सामु0स्वा0 केन्द्र, डा0 संजय बरनवाल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं श्री आर0के0 गुप्ता, एन0एम0ए0 की टीम भेज कर जांच करायी गयी। जांच टीम द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम भडिवार में जांच के समय किसी अवैध नर्सिंग होम का संचालन नहीं हो रहा था और न ही नर्सिंग होम चलाये जाने का कोई साक्ष्य ही मौजूद था।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के माह दिसम्बर तक विद्युत करेन्ट से घायल/मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना

61–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के माह दिसम्बर तक विद्युत करेन्ट से कितने लोग घायल हुये तथा कितने लोगों की मृत्यु हुयी है ? क्या सरकार द्वारा उनके आश्रितों को शासन की नीति के अनुसार सहायता प्रदान करा दी गई है ? यदि हां, तो जो आश्रित अभी तक आर्थिक सहायता से वंचित रह गये हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के माह दिसम्बर तक विद्युत करेन्ट से 8 लोग घायल हुए और 32 लोगों की मृत्यु हो गयी।

जी हां।

समस्त 32 मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्षवार मृतकों की संख्या			
		2012	2013	2014 (दिसम्बर तक)	योग
1	इलाहाबाद	16	6	10	32

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के घरों में बिना मीटर लगाये असीमित विद्युत उपभोग को रोका जाना

62–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को न्यूनतम दर पर विद्युत उपभोग की व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि इनके द्वारा न्यूनतम दर का भुगतान करके बिना मीटर लगे असीमित विद्युत उपभोग किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके घरों में भी मीटर लगाकर नियमानुसार उपभोग करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0 प्र0 विद्युत सुधार स्थानान्तरण स्कीम 2000 के सेक्शन 12 ;इद्ध ;पपद्ध के अनुरूप प्रदेश में विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को रियायती दर पर विद्युत उपभोग की व्यवस्था है।

विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को मा0 नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित रेट शिड्यूल के एल0एम0वी0–10 श्रेणी के अन्तर्गत मीटर्ड एवं अनमीटर्ड दोनों प्रकार की व्यवस्था है। उक्त दोनों श्रेणियों में निर्धारित रियायती दरों का भुगतान सुनिश्चित कर आवश्यकतानुसार ही विद्युत उपभोग किया जाता है।

उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 18–06–2015 के दर सूची एल0एम0वी0–10 के अन्तर्गत मीटर्ड एवं अनमीटर्ड दोनों प्रकार की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–करछना, चाका एवं कौंधियारा में चयनित गांवों/मजरों/पुरवों में विद्युतीकरण

63–श्री दीपक पटेल

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–करछना, चाका एवं कौंधियारा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कुल कितने गांवों/मजरों/पुरवों में विद्युतीकरण के लिये चयनित किया गया है तथा उनमें से कितने गांवों/मजरों/पुरवों में कार्य पूर्ण हो गये हैं और कितने अभी अपूर्ण है ? क्या सरकार अपूर्ण गांवों/मजरों/पुरवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चरण–द्वितीय के अन्तर्गत मजरों का विद्युतीकरण कराया जा रहा है। जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड–करछना, चाका एवं कौंधियारा में चयनित गांवों/मजरों/पुरवों के विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	चयनित मजरे	कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर
करछना	98	87	11
चाका	41	34	07
कौंधियारा	54	54	0

जी हां।

अपूर्ण विद्युतीकरण का कार्य माह अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में पूर्वांचल विकास निधि का परियोजनाओं हेतु आवंटन

64–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश योजना के अन्तर्गत जनपद की किन–किन विधान सभा क्षेत्रों में कितना–कितना धन परियोजनाओं हेतु आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में प्रदत्त धन हेतु सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर धन का समान वितरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद इलाहाबाद की सभी 12 विधान सभा क्षेत्रों हेतु मा0 सदस्यों के मध्य प्रत्येक को सामान्य मद में रु0 26.32 लाख एवं एस0सी0पी0 मद में रु0 17.10 लाख तथा विधान परिषद् के क्षेत्रों (इलाहाबाद–कौशाम्बी/इलाहाबाद–झांसी) में मा0 सदस्य, विधान परिषद् के मध्य क्रमश; सामान्य मद में रु0 26.32 लाख, रु0 15.00 लाख व रु0 15.14 लाख एवं एस0सी0पी0 मद में क्रमशः रु0 17.10 लाख, रु0 10.24 लाख व रु0 10.00 लाख आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद इलाहाबाद की सभी 12 विधान सभा क्षेत्रों हेतु मा0 सदस्यों के मध्य प्रत्येक को सामान्य मद में रु0 38.06 लाख एवं एस0सी0पी0 मद में रु0 24.76 लाख तथा विधान परिषद् के क्षेत्रों (इलाहाबाद–कौशाम्बी/इलाहाबाद–झांसी) में मा0 सदस्य, विधान परिषद् के मध्य क्रमश; सामान्य मद में रु0 38.06 लाख, रु0 20.00 लाख व रु0 13.08 लाख एवं एस0सी0पी0 मद में क्रमशः रु0 24.76 लाख, रु0 12.00 लाख व रु0 10.00 लाख आवंटित किया गया है।

पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि, मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर–8 (10) में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत आवंटित जिलांश की धनराशि से सभी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों पर समान रूप से मात्राकृत किये जाने का प्राविधान है। उक्त प्राविधान के अनुसार सभी जनप्रतिनिधियों को जिलांश की धनराशि मात्राकृत की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग द्वारा भू–खण्ड बेच कर उनके स्वीकृत मानचित्र के अनुसार आर0बी0ओ0 एक्ट के अनुसार कार्यवाही द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना

65–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

विधान सभा के तृतीय सत्र–2014 के प्रथम सोमवार के अता0 प्रश्न सं0–70 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास द्वारा प्रेषित प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है ? क्या यह भी सही है कि प्राधिकरण के नजूल विभाग द्वारा भू–खण्ड बेचकर उनके मानचित्र भी स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या आर0बी0ओ0 ऐक्ट के अनुसार किये गये अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध

कार्रवाई करते हुये उक्त अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां, वर्ष 1943 से पूर्व रजिस्ट्री एवं मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं।

योजना नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, लखनऊ को दिनांक 22–11–2014 को प्रकरण संदर्भित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा, देहुआ, कटना, अमेड़ी एवं खन्नौर नदियों से भारी कटान को रोकने की व्यवस्था

66–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा, देहुआ, कटना, अमेड़ी एवं खन्नौर नदियां भारी कटान करके कृषि भूमि भवनों तथा फसलों का विनाश करती हैं ? यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में बाढ़ से पूर्व उक्त के रोकथाम की कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्षा ऋतु में कभी–कभी अत्यधिक वर्षा होने के फलस्वरूप नदियों से बाढ़ का प्रकोप होता है तथा नदियां अपनी धारा परिवर्तित करती हुयी बहती हैं, जिससे कटान होना स्वाभाविक है। इस कारण कृषि भूमि, भवनों तथा फसलों को नुकसान हो जाता है।

जनपद पीलीभीत में बाढ़ सुरक्षा हेतु परियोजनायें बनायी गयी हैं जिनमें कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण विहीन गांवों में विद्युतीकरण किया जाना

67–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130, बीसलपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण विहीन गांवों तथा मजरों में विद्युतीकरण किये

जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130, बीसलपुर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (12वां प्लान) का कार्य प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत 100 की आबादी वाले चिन्हित ग्रामों/मजरों को अक्टूबर, 2016 तक विद्युतीकरण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड तथा टी0टी0जेड0 के ग्रामीण इलाकों के किसानों से वसूले जा रहे नलकूपों के लिये बिजली दरें ठीक किया जाना

68–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0टी0 जेड0 (ताज ट्रिपेजियम जोन) के ग्रामीण इलाकों में व बुन्देलखण्ड के किसानों से उनके नलकूपों पर 220 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से बिजली का बिल वसूल किया जा रहा है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में यह केवल रु0 75 प्रति हार्स पावर की दर से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0टी0 जेड0 (ताज ट्रिपेजियम जोन) के ग्रामीण इलाकों में व बुन्देलखण्ड के किसानों से भी उनके नलकूपों के लिये बिजली की दरें प्रति हार्स पावर रु0 75/–करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने किसानों के नलकूपों पर लागू की जाने वाली दरों को दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें शहरी स्तर की विद्युत आपूर्ति हेतु 220 रु0 प्रति हार्स पावर (जिसको मा0 आयोग द्वारा पुनरीक्षित कर रु0 160 प्रति हार्स पावर कर दिया गया था) तथा ग्रामीण स्तर की विद्युत आपूर्ति हेतु रु0 75 प्रति हार्स पावर की दर मा0 आयोग द्वारा तय की गयी। अतः टी0टी0जेड0 एवं बुन्देलखण्ड के वह किसान जिनको शहरी स्तर की विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है, पर मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा बढ़ी दर तथा ग्रामीण स्तर की आपूर्ति वाले किसानों के नलकूपों पर रु0 75 प्रति हार्स पावर की दर ली जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

69–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्ले गुरुवार के अता0प्र0सं0–111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ शहर में राजाजीपुरम् से मवइया होते हुये कालीदास मार्ग तक बहने वाले हैदर कैनाल नाले को ढक कर दोनों तरफ दुकानें बनाने तथा विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की सरकार की योजना

70–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में राजाजीपुरम् से मवइया होते हुये कालीदास मार्ग तक बहने वाले हैदर कैनाल नाले को ढक कर उस पर चौड़ी सड़क बनाने तथा उसके दोनों तरफ फुटपाथ दुकानदारों के लिये दुकाने तथा विस्थापितों एवं निर्धनों के लिये आवास बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो हैदर कैनाल नाले को ढकने एवं उस पर सड़क एवं किनारे पर पटरी दुकानदारों के लिये दुकान बनाने का काम कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में खेतों की मेड़ों के चिन्हीकरण तथा खेतों की नाप हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का (जी0आई0एस0) सिस्टम का तैयार कराया जाना

71–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेतों की मेड़ों के चिन्हीकरण तथा खेतों की नाप हेतु सरकार सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का जी0आई0एस0 (ज्योग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम) तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद, मथुरा, हापुड़, जौनपुर एवं बाराबंकी के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू–मानचित्रों को डिजिटाइज कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अवशेष जनपदों के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू–मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य कराने की कार्रवाई की जा रही है। डिजिटाइजेशन मानचित्र जी0आई0एस0 द्वारा तैयार किये गये 'भू–नक्शा' साफ्टवेयर से लिंक किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में हथौड़ा–मोहम्मदी रोड पर रेलवे फाटक के ऊपर निर्माणाधीन पुल को शीघ्र बनाया जाना

72–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में हथौड़ा–मोहम्मदी रोड पर रेलवे फाटक के ऊपर पिछले दो वर्षों से पुल निर्माणाधीन है ? जिससे रेल फाटक के पास हर घण्टे जाम लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सेतु निर्माण कार्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 01 अप्रैल, 2014 से 11–02–2015 तक मृतक किसानों के परिवारों को दुर्घटना बीमा दिया जाना

73–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 01 अप्रैल, 2014 से 11–02–2015 तक कितने मृतक परिवारों को किसान दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि 5 लाख रुपये अदा की गयी तथा कितने परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिये सूचीबद्ध किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त को कब तक दुर्घटना बीमा की धनराशि की अदायगी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 11–02–2015 तक 9003 मृतक परिवारों को योजना के अन्तर्गत धनराशि रुपये 5 लाख प्रति लाभार्थी, अदा की गयी तथा 11261 परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिये सूचीबद्ध किये गये।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनाच्छादित अवधि के स्वीकृत लम्बित दावों के भुगतान हेतु बजट व्यवस्था करके देय धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में आवास विकास कालोनी के पीछे हिमायूंपुर सब्जी मण्डी से सीवर पम्पिंग स्टेशन तक नाले से बाईं ओर की पूर्णतः कच्ची पटरी का निर्माण करने सम्बन्धित पत्र

74–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में आवास विकास कालोनी के पीछे हिमायूंपुर सब्जी मण्डी से सीवर पम्पिंग स्टेशन तक नाले से बाईं ओर की पूर्णतः कच्ची एवं दल–दल युक्त पटरी के निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख–5नं0–297364, दि0 03–12–2012 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, कमला नगर, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री मनीष असीजा द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रम में नगर फिरोजाबाद में आवास विकास कालोनी के पीछे हिमायूंपुर सब्जी मण्डी से सीवर पम्पिंग स्टेशन तक नाले से बाईं ओर की पूर्णतः कच्ची पटरी पर सी0सी0 सड़क के निर्माण एवं नालियों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदनार्थ मण्डलायुक्त को

प्रेषित किया गया था। जिस पर मण्डलायुक्त द्वारा ''कतिपय जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनांक 27–07–2013 को वापस कर दिया गया था।''

वर्तमान में उक्त कार्य की निविदा फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा आमंत्रित की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 165 के वन्दनपुरवा में सड़कों के निर्माण कराने विषयक पत्र

75–श्री पंकज गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सचिवालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10559777, प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0–10559777/2014 जो विधान सभा क्षेत्र सं0 165, जनपद उन्नाव के वन्दनपुरवा में सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, परन्तु पत्र सं0–10559777 के स्थान पर 10558777 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में निम्न कार्यों का उल्लेख है :–

1–पटकापुर अमलौना एवं अतरी प्यारेपुर के मध्य लघु सेतु का निर्माण।

2–बन्दनपुरवा से मरौंदा मझवारा के मध्य आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण।

3–पटकापुर से अमलौना ग्राम के बीच सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

4–अतरी एवं प्यारेपुर ग्राम के बीच सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

5–बन्दनपुरवा से मरौंदा मझवारा मार्ग का पुनः निर्माण।

6–गंगा बैराज से गरेरे पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उक्त समस्त कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। क्रमांक–6 को छोड़कर सभी कार्य प्रगति पर हैं। क्रमांक–6 का आंशिक कार्य भूमि विवाद के कारण बाधित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के अन्तर्गत सिटी जेल ड्रेन की सफाई के सम्बन्ध में पत्र

76–श्री पंकज गुप्ता–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सचिवालय में कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10559789 पर दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्र सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10559789/2014 जो जनपद उन्नाव विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के अन्तर्गत सिटी जेल ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, पर

सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10559789 पर दर्ज बताया गया प्रश्नकर्ता का पत्र सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10559789/2014 प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु प्रश्न में उल्लिखित जनपद उन्नाव में सिटी–जेल ड्रेन के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 2013 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद उन्नाव में सिटी–जेल ड्रेन को कि0मी0 0.00 से कि0मी0 29.800 तक पक्का कराये जाने का प्रकरण सिंचाई विभाग एवं नगर विकास विभाग से सम्बन्धित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सिटी जेल ड्रेन के कि0मी0 0.00 से 25.300 तक के नाले की पुनर्स्थापना का कार्य सिंचाई विभाग तथा नगरीय क्षेत्र के कि0मी0 25.300 से कि0मी0 29.800 तक ड्रेन को पक्का (लाइनिंग) करने का कार्य नगर विकास विभाग से कराने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के अन्तर्गत बरकोला ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

77–श्री पंकज गुप्ता–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उन्नाव, जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत बरकोला ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सचिवालय में कम्प्यूटर में दर्ज सं0–पी0जी0–10558757 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10558757/ 2014 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र उन्नाव, जनपद–उन्नाव के अन्तर्गत बरकोला ड्रेन (बरकौता ड्रेन) की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सचिवालय में कम्प्यूटर में दर्ज सं0–पी0जी0–10558757 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10558757/2014 के अनुपालन में बरकौता ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में एक परियोजना प्राक्कलन धनराशि रु0 165.00 लाख की तैयार की गई है। परियोजना के साध्य पाये जाने एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् कार्रवाई किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

78–श्री पंकज गुप्ता–

ख्मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया,

जनपद उन्नाव में रेलवे क्रासिंग पर (आर0ओ0बी0) रेलवे ब्रिज/अण्डर ग्राउन्ड पैसेज बनवाने के सम्बन्ध में पत्र

79–श्री पंकज गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उन्नाव में रेलवे क्रासिंग पर (आर0ओ0बी0) रेलवे ब्रिज/अण्डर ग्राउन्ड पैसेज बनवाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री सचिवालय में कम्प्यूटर सं0–पी0जी0–10525229 पर दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0– 10525229/2014 पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में जनपद उन्नाव के निम्नलिखित रेलवे क्रासिंग पर (आर0ओ0बी0) रेलवे ब्रिज/अण्डर ग्राउन्ड पैसेज निर्माण की मांग की गयी थी। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही/स्थिति निम्नवत् है :–

(1) आवास विकास रेलवे क्रासिंग–लखनऊ–उन्नाव मार्ग पर आवास विकास के पास रेल उपरिगामी सेतु (लम्बाई 650.00 मीटर) हेतु अनुमानित लागत रु0 2800.00 लाख आयेगी। उक्त समपार पर टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण सेतु के निर्माण का सम्पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार को वहन करना होगा।

(2) लोक नगर रेलवे क्रासिंग–उन्नाव–हरदोई मार्ग पर रेलवे समपार सं0–35ए की टी0वीयू0 एक लाख से कम है। उपरिगामी सेतु निर्माण के लिये 16.50 मीटर चौड़ाई में भूमि की आवश्यकता होगी। उक्त समपार से छोटे चौराहे की तरफ मात्र 8 से 9 मीटर एवं हरदोई की तरफ 7 से 8 मीटर भूमि उपलब्ध है। अतः उक्त समपार पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजिबिल नहीं है।

(3) करोवन (वि0ख0 सरोसी) रेलवे क्रासिंग–उन्नाव–सरोसी मार्ग पर करोवन के पास समपार पर रेल उपरिगामी सेतु (लम्बाई 650.00 मीटर) हेतु अनुमानित लागत रु0 2800.00 लाख आयेगी। उक्त समपार पर टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण सेतु के निर्माण का सम्पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार को वहन करना होगा।

उक्त कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में टूट–फूट के बाद सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कारण प्रत्येक बार 6–8 इंच की ऊंचाई सड़कों की बढ़ जाने से सड़कों के रिहायशी मकान एवं दुकान की कुर्सी नीची होने की चिन्ता तकनीकी रूप से रोक लगाये जाने विषयक

80–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टूट–फूट के बाद सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कारण प्रत्येक बार 6–8 इंच की ऊंचाई सड़कों की बढ़ जाने से सड़कों के किनारे रिहायशी मकान एवं दुकान की कुर्सी नीची होती जा रही है, जो चिन्ता का विषय बनती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि तकनीकी रूप से इस पर रोक कैसे लगायी जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सामान्यतः मार्ग की लेपित सतह किनारे पर स्थित भवनों की प्लिन्थ से 15 सेमी0 ऊंवी होनी चाहिए। आबादी भाग में उपर्युक्तानुसार स्थिति अस्वाभाविक नहीं है। तकनीकी रूप से इस समस्या के समाधान हेतु समुचित जल निकासी की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव सम्बद्ध होने की दशा में नवीन तहसील गुजरौला कला के नाम से सृजित करने विषयक

81–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव सम्बद्ध किये गये हैं, जिसके कारण एक अन्य तहसील परिक्षेत्र का सृजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या नवीन तहसील गुजरौला कलां के नाम से सृजित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। अधिसूचना दिनांक 05–11–2001 के द्वारा जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांवों को जनपद पीलीभीत में सम्मिलित किया गया है। जिलाधिकारी, पीलीभीत ने राजस्व परिषद् को प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 25–07–2015 में एक अन्य तहसील को सृजित किये जाने को आवश्यक माना है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में कलीनगर को नई तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे गुजरौला ग्राम शामिल है।

मुजफ्फरनगर–सहारनपुर, मेरठ–करनाल, दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाना

82–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकर जर्जर हो चुके मुजफ्फरनगर– सहारनपुर, मेरठ–करनाल, दिल्ली– यमुनोत्री मार्ग का पुनर्निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

1–**मुजफ्फरनगर–सहारनपुर मार्ग**–इस मार्ग के जनपद सहारनपुर प्रभाग में पड़ने वाले क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रगति में है। कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–**मेरठ–करनाल मार्ग**–इस मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है। कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3–**दिल्ली–मयुनोत्री मार्ग**–इस मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य उ0 प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) द्वारा पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत कराया जा रहा है। मार्ग का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बुलन्दशहर, अनूपशहर रोड से कानपुर–सुल्तानपुर होते हुये शिकोई मार्ग का निर्माण पूर्ण किया जाना

83–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बुलन्दशहर, अनूपशहर रोड से कानपुर–सुल्तानपुर होते हुये शिकोई मार्ग का निर्माण जनहित में कब तक पूर्ण दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भाग में मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत मलकपुर से जयरामपुर तक सलामतपुर से अमैठा तक तथा मौजपुर से शिकोई तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण

84–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत मलकपुर से जयरामपुर तक सलामतपुर से अमैठा तक

तथा मौजपुर से शिकोई तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सलामतपुर से अमैठा सम्पर्क मार्ग तथा मौजपुर से शिकोई सम्पर्क मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु इन मार्गों पर यातायात चल रहा है। मलकपुर से जयरामपुर सम्पर्क मार्ग की दशा संतोषजनक है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत जहांगीराबाद से चीनी मिल होते हुये डगरा जाट तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण

85–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत जहांगीराबाद से चीनी मिल होते हुये डुंगरा जाट तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण जनहित में कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

यह मार्ग दो भागों में है। जहांगीराबाद से चीनी मिल तक सम्पर्क मार्ग गन्ना विभाग के स्वामित्व में है। चीनी मिल से डगरा जाट तक सम्पर्क मार्ग लो0नि0वि0 के स्वामित्व का मार्ग है, जिसकी मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनुपशहर के अन्तर्गत औरंगाबाद से भीकमपुर बालका मार्ग क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की मांग

86–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनुपशहर के अन्तर्गत औरंगाबाद से भीकमपुर बालका मार्ग जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

जी हां।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनुपशहर के अन्तर्गत पिपाला से खेड़ी ग्राम तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

87–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनुपशहर के अन्तर्गत पिपाला से खेड़ी ग्राम तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात बाधित नहीं है।

जी हां।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि बेचने की रोक को हटाया जाना

88–श्री सुदेश शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी व्यक्ति को अपनी कृषि भूमि किसी गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को बेचने पर लगी रोक में संशोधन का प्रस्ताव सरकार द्वारा विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–157–क में उपधारा (1) में, परन्तुक को निकाल दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में वन क्षेत्र और सेंचुरी क्षेत्र में अवैध कटान को रोका जाना

89–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के वन क्षेत्र और सेंचुरी क्षेत्र में जहां 25 वर्षों के वृक्षारोपड़ के बाद कुल वृक्षों की संख्या बढ़नी चाहिये थी लेकिन अवैध कटान के कारण संख्या लगातार घट रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर इस धन्धें में लिप्त अधिकारियों को दण्डित करने का कार्य एवं अवैध वृक्ष कटान पर रोक लगाने का काम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

लागू नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय शंकरगढ़, तहसील बारा, इलाहाबाद में मानक के आधार पर डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया जाना

90–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय शंकरगढ़, तहसील बारा, इलाहाबाद में मानक के अनुसार डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात नहीं होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मानक के अनुसार डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। राजकीय महिला चिकित्सालय शंकरगढ़, तहसील बारा में मानक के अनुसार डाक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं। केवल चीफ फार्मासिस्ट की सेवानिवृत्ति के कारण यह पद रिक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में यातायात की सुविधा को सुगम बनाने हेतु आउटर रिंग रोड का निर्माण कराये जाने विषयक

91–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबादी के हिसाब से प्रदेश के सर्वाधिक बड़े जनपद इलाहाबाद में यातायात की सुविधा को सुगम बनाने के लिये तथा ट्रैफिक जाम से मुक्त रखने के लिये क्या सरकार इनर एवं आउटर रिंग रोड निर्माण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी–कानपुर मार्ग 04 लेन का बना हुआ है तथा आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत जी0टी0 रोड चन्धासी कोयला मण्डी एवं हिलौनी गांव होते हुए त्रिमुहानी तक मार्ग का निर्माण

92–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जीटी रोड चन्धासी कोयला मण्डी से हरिशंकरपुर होते हुये हिलौनी गांव त्रिमुहानी तक पिच रोड को ठीक कराने का टेण्डर 2012–13 वित्तीय वर्ष में कराया गया था, लेकिन अभी तक मात्र उस मार्ग पर गिट्टी डालकर ही छोड़ दिया गया

है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी0टी0 रोड चन्धासी कोयला मण्डी से हरिशंकरपुर एवं हिलौनी गांव होते हुए त्रिमुहानी तक प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 04.00 कि0मी0 है, जिसमें से 2.30 कि0मी0 लेपित हो चुका है तथा 1.70 कि0मी0 में टाप कोट का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय गांवों की विद्युत व्यवस्था ठीक करने हेतु ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि कराने की मांग

93–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये चन्दरखा, हिन्दवारी, रंगौली, सुरौली, गोधना, लौदा, एकौनी, बरिया, सिकन्दरपुर, जलखोर, दलित बस्ती, बबुरी दलित बस्ती, चौरहट, कटेशहर, मन्नापुर दलित बस्ती आदि ग्राम सभाओं में लगे ट्रान्सफार्मरों में क्षमता वृद्धि न होने के कारण ट्रिप कर जाते हैं अथवा जल जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम सभाओं में लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

विभिन्न परिवर्तकों पर नये संयोजनों के दिये जाने व भार वृद्धि के कारण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि समय–समय पर बिजनेस प्लान/विधायक निधि/सांसद निधि/अन्य योजना में स्वीकृत होने व धनराशि उपलब्ध होने पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये शहर में आई0पी0डी0एस0 योजना एवं ग्रामीण क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित है व योजना की स्वीकृति तथा धनराशि उपलब्ध होने पर कार्यों को किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा परोखा के विकास खण्ड नियमताबाद लोहिया समग्र गांवों में विद्युतीकरण व्यवस्था ठीक किये जाने सम्बन्धित पत्र

94–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा परोरवां, विकास खण्ड नियमताबाद लोहिया समग्र गांव में भीटवां पर चौहान बस्ती का विद्युतीकरण एवं 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये

जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0–321869, दिनांक 24–08–2014 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–ष्ष मुगलसराय, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा परोरवां विकास खण्ड–नियमताबाद लोहिया समग्र गांव में भीटवां पर चौहान बस्ती का विद्युतीकरण एवं 35 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। जिसे माह अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा गोधना, वि0ख0 नियमताबाद के अन्तर्गत गांवों में जलभराव की समस्या के निदान का प्रकरण

95–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गोधना, वि0ख0 नियमताबाद में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से किसानों के खेतों में हमेशा पानी भरा रहता है जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों से पानी की निकासी हेतु नाला का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। उक्त आवासों से पानी की निकासी के लिए कच्चा नाला है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा सड़क एवं यातायात के मद में लो0 नि0 वि0 उ0 प्र0 को वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु प्राप्त बजट के अनुसार किये गये कार्यों के सम्बन्ध में पत्र

96–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़क एवं यातायात के मद में लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 को वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी थी तथा उक्त बजट के सापेक्ष जनपद चन्दौली में कितनी धनराशि प्राप्त हुयी थी व प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जनपद के कौन–कौन ग्रामों/बसावटों को जोड़ने का कार्य दिया गया है, का बिन्दुवार विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5 नं0–321831, दिनांक 05–07–2014 जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जिलाधिकारी, चन्दौली के पत्र संख्या–995/एस0–कैम्प/2015, दिनांक 17 अगस्त, 2015 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कार्यालय में मा0 सदस्य का प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौवा में स्यार विलासपुर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य का पूरा किया जाना

97–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चमरौवा, जनपद रामपुर में स्वार विलासपुर मार्ग का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत हो चुका है परन्तु धनराशि न मिलने के कारण 60 प्रतिशत कार्य होना शेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनराशि अवमुक्त करके शेष कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग पर स्वीकृत लागत के सापेक्ष आंशिक धन उपलब्ध है तथा निर्माण कार्य प्रगति में है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के क्षेत्र ग्राम नगलिया, खोंद, बमुना विद्युत आपूर्ति की समस्या के देखते हुए 132 के0वी0ए0 का अवर स्टेशन बनाने की मांग

98–श्री अली यूसुफ अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगलिया, खौद, बमुना विद्युत आपूर्ति की समस्या को देखते हुये क्या सरकार 132 के0वी0ए0 का अवर स्टेशन बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में जनपद रामपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगलिया, खौद, बमुना क्षेत्र के पारेषण/विद्युत आपूर्ति की समस्या को दूर करने हेतु 01 नग 132 के0वी0 उपकेन्द्र पनवडिया (रामपुर) में स्थापित एवं ऊर्जीकृत है जो कि सम्बन्धित क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार के दृष्टिगत पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में मुल्ला की प्याऊ से बल्हेरा मिर्जापुर मलपुरा नहर तक आदि मार्गों की मरम्मत कराया जाना

99–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मुल्ला की प्याऊ से बल्हेरा मिर्जापुर मलपुरा नहर तक, नौमील से लाइम मनकेड़ा वाया नगला कारे, फतेहपुर सीकरी मार्ग से नगला बसुआ, मिर्जापुर बरारा नहर फतेहाबाद मार्ग कलाल खेडिया लकावली वाया बगदा, शमशाबाद मार्ग तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराये‍गी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग मुल्ला की प्याऊ से बल्हेरा तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। बल्हेरा से मिर्जापुर तक का भाग मण्डी परिषद् के स्वामित्व का है। नौमील से लाड़म मनकेड़ा वाया नगला कारे, फतेहपुर सीकरी से नगला बसुआ तक एवं फतेहाबाद मार्ग से कलाल खेड़िया वाया बगदा तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मिर्जापुर बरारा नहर तक मार्ग की दशा संतोषजनक है। शेष भाग बगदा से शमशाबाद मार्ग तक का स्वामित्व आगरा विकास प्राधिकरण का है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराया जाना

100–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालियर रोड इटौरा मोड़ रम्पुरा गढ़ी हरलाल होते हुये सलेमाबाद वाया इरादत नगर रोड तक एवं इरादत नगर रोड गांव देवरी पेट्रोल पम्प से गांव ककरारी तक जीर्ण–शीर्ण सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टूटी सड़क का मरम्मत व लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत दोनों मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

1. ग्वालियर रोड इटौरा मोड़ रम्पुरा गढी हरलाल होते हुए सलेमाबाद वाया इरादत नगर रोड की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2. इरादत नगर रोड गांव देवरी पेट्रोल पम्प से गांव ककरारी तक मार्ग लोक निर्माण के स्वामित्व का नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालियर रोड हाई–वे से ठाकुरदास की गद्दी वाया देवरी का नगरा इरादत नगर मार्ग का निर्माण कराने विषयक

101–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालियर रोड हाई–वे से ठाकुरदास की गढ़ी वाया देवरी का नगरा इरादत नगर मार्ग तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन चल रहा है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चौहटना में आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गांव के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया जाना

102–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चौहटना में आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गांव में निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने से गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चौहटना में वर्ष 2011–12 में अवस्थापना निधि सलाहकार समिति द्वारा दो सड़कों के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसका कार्य प्राधिकरण द्वारा तत्समय पूर्ण करा दिया गया था, अधूरा नही छोड़ा गया था। ग्राम चौहटना की भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं की गयी है तथा सीमित संसाधनों के दृष्टिगत गांव के विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालियर रोड हाई–वे से रौहता पचगाई खेड़ा रौहता नहर (माइनर) तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

103–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालियर रोड हाई–वे से रौहता पचगाई खेड़ा रौहता नहर (माइनर) तक क्षतिग्रस्त सड़क पर जगह–जगह गहरे गड्ढे होने के कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में टाटमिल चौराहा से यशोदा नगर तक की सड़क का चौड़ा कराया जाना

104–श्री अजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में टाटमिल चौराहा से यशोदा नगर तक की सड़क कानपुर मास्टर प्लान में 75 मीटर रोड है जबकि ट्रैफिक चलने के लिये 50 फीट रोड ही उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पूर्ण रूप से पूरी चौड़ाई में विकसित, चौड़ीकरण किये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त सड़क का चौड़ीकरण कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद कानपुर नगर में टाटमिल चौराहा से यशोदा नगर तक की सड़क पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। मार्ग पर चौड़ीकरण एवं अन्य विकास कार्य की योजना प्रस्तावित नहीं है

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित संजय वन के सुन्दरीकरण किये जाने एवं वाकिंग ट्रैक बनाये जाने का प्रकरण

105–श्री अजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित संजय वन के सुन्दरीकरण किये जाने एवं वाकिंग ट्रैक बनाये जाने की योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इस कार्य हेतु परियोजना निरूपित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में स्थित हमीरपुर हाई–वे मार्ग को नौबस्ता बम्बा से अफीम कोठी चौराहा तक फोर लेन बनाने में बाधक बिजली के खम्भे को हटवाया जाना

106–श्री अजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्थित हमीरपुर हाई–वे मार्ग को नौबस्ता बम्बा से अफीम कोठी चौराहा तक फोर लेन बनाने में बाधक बिजली के खम्भों को हटाने के लिये केस्कों को धन दिये जाने के बाद विद्युत खम्भे नहीं हटाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार केस्को द्वारा खम्भे हटाने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद कानपुर नगर में कानपुर हमीरपुर–सागर मार्ग (शहरी भाग) में अफीम कोठी से बारादेवी चौराह तक के बाधक बिजली के खम्भों को शिफ्ट करने हेतु रु0 40.00 लाख केस्को को भुगतान किया गया था, जिसके फलस्वरूप केस्को द्वारा बाधक खम्भों को हटाया जा चुका है। बारादेवी से नौबस्ता के मध्य बाधक बिजली के खम्भों को हटाने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर में दादा नगर रेलवे क्रासिंग (झांसी लाइन) के ओवर ब्रिज को चौड़ा किया जाना

107–श्री अजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में दादानगर रेलवे क्रासिंग (झांसी लाइन) के ऊपर ओवर ब्रिज बनाया गया था जो अत्यन्त सकरा होने के कारण यातायात बाधित होने से हर समय जाम लगा रहता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार दोरहीकरण की प्रस्तावित योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

दादा नगर रेलवे क्रासिंग (झांसी लाइन) के ऊपर ओवर ब्रिज के दोहरीकरण के कार्य की आंकलित लागत रु0 4304.54 लाख है। ओवर ब्रिज निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में ताजमहल से 8 किमी0 की दूरी पर यमुना बैराज का निर्माण कराया जाना

108–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में ताजमहल से 8 किमी0 की दूरी पर यमुना बैराज न होने के कारण हर साल शहर का जलस्तर 8 से 10 फीट नीचे जाने से समस्या अत्यधिक गंभीर बनती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल स्तर बनाये रखने हेतु ताजमहल से 8 किमी0 की दूरी पर यमुना बैराज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ताजमहल के 1.5 कि0मी0 नीचे बैराज बनाया जाना प्रस्तावित है।

समस्त वैधानिक अनापत्तियां/पर्यावरणीय क्लीयरेन्श प्राप्त होने एवं परियोजना की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा 933 उपचारिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

109–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 04–04–2013 को विज्ञप्ति कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा 933 उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञापन जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में उपचारिकाओं की कमी को देखते हुये चयन समिति बनाकर आवेदनकर्ताओं की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उ0प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में निर्धारित भर्ती के स्रोत एवं शैक्षिक अर्हता में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण नियुक्ति की कार्रवाई स्थगित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद लोनी से जनपद सहारनपुर तक के मार्ग के फोर लेन के रुके कार्यों को कराया जाना

110–श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद लोनी से जनपद सहारनपुर तक का मार्ग सन् 2010, 2011 में फोर लेन बनाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ था लेकिन 2011 से ही इस मार्ग का निर्माण बन्द पड़ा है ? क्या सरकार पुनः इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। मार्ग की लागत में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण परियोजना का वित्तीय पुनर्गठन किया गया। तत्क्रम में संशोधित अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 19 जून, 2015 को भेजा गया है। वांछित स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में पुनः मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि 31 मार्च, 2017 लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में तिलहर–रसूलपुर से रुदौली–सैदपुर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य को कराया जाना

111–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में लिलहर–रसूलपुर से रूदौली–सैदपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिये उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र रुदौली के किसानों की समस्या के निराकरण हेतु 18 ड्रेनों की सिल्ट सफाई का कार्य करने विषयक

112–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु 18 ड्रेनों की सिल्ट सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय मद से कराये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रदत्त किया गया है ? यदि हां, तो जनहित में रूदौली क्षेत्र की ड्रेनों की सिल्ट सफाई का कार्य कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सन्दर्भित 18 ड्रेनों, कुल लम्बाई 98.67 किमी0 के सफाई हेतु विभागीय अनुरक्षण मद में रु0 182.50 लाख की मांग की गयी थी, जिसके सापेक्ष उपलब्ध धनाराशि से जैथ्री ट्रंक ड्रेन लम्बाई 9.800 किमी0 की सफाई करायी गयी है, शेष 17 ड्रेनों की सफाई सीमित वित्तीय संसाधन के कारण संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के रुदौली सैदपुर कामाख्या भवानी मन्दिर मार्ग से बाबा का पुरवा हरहा गोमती घाट तक मार्ग का निर्माण कराने का प्रकरण

113–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के रूदौली सैदपुर कामाख्या भवानी मंदिर मार्ग से बाबा का पुरवा हटहा गोमती घाट तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सड़क निधि (5054) योजना के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता विकास द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। प्रश्नगत कार्य का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता के अनुमोदनोपरान्त शासन में प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ के क्षय अनुभाग में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितता की जांच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

114–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ के क्षय अनुभाग में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी को स्थानान्तरित करते हुये उनके द्वारा किये जा रहे मानसिक उत्पीड़न एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच शासन स्तर से कराये जाने विषयक श्री अनिल वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2014 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। डा0 आलोक रंजन, संयुक्त निदेशक (क्षय)/राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी एवं श्री संजय कुमार पाण्डेय, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु श्री अभिषेक प्रकाश, विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया है। श्री संजय कुमार पाण्डेय, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन, स्वास्थ्य भवन,

लखनऊ का स्थानान्तरण लखनऊ से जनपद प्रतापगढ़ कर दिया गया है। सम्प्रति जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए अन्य दोषी पाये गये अधिकारीगण/कर्मचारीगण के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर एवं बिलसण्डा के जीर्ण–शीर्ण एवं टूटे अतिथिगृहों का पुनर्निर्माण

115–श्री अगयश राम सरन वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीर्ण–शीर्ण अतिथि गृहों के सौन्दर्यीकरण हेतु पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने का शासन का कोई कार्यक्रम है ? यदि हां, तो जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर एवं बिलसण्डा के जीर्ण–शीर्ण एवं टूटे हुए अतिथिगृहों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जीर्ण–शीर्ण अतिथि गृहों के सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण एवं अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर–बिलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव भीखमपुर से गांव पसगवां तक मार्ग का विस्तारीकरण तथा ऊर्जीकरण कराये जाने की मांग

116–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पक्षी विहार पसगवां क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा जनपद पीलीभीत को जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु क्या सरकार बीसलपुर–बिलसण्डा–गोला मार्ग पर गांव भीखमपुर से गांव पसगवां तक का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा घोषित मार्गों के निर्माण सम्बन्धित पत्र पर की गयी कार्रवाई की मांग

117–श्री पंकज गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा घोषित मार्गों के निर्माण हेतु धन आवंटन विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–104744, वर्ष 2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

परन्तु कम्प्यूटर सं0 सी0एम0/वि0को0एम0/पी0जी0–10474424 प्राप्त हुआ है।

उक्त दोनों मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद में मोहल्ला आजादनगर (लाइनपार, चन्द्रवार गेट) में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत पोल एवं केबल डालने के सम्बन्ध में पत्र

118–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में मोहल्ला आजाद नगर (लाइन पार, चन्द्रवार गेट) में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत पोल एवं केबल डालने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5 नं0–325937, दिनांक 05–08–2014, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट 'बी' योजना में स्वीकृति हेतु बी0ओ0क्यू0 में शामिल कर लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में गली नं0 1 में ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु कार्रवाई से सम्बन्धित पत्र

119–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में गली नं0 1 में ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फिरोजाबाद को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 नं0–607910, दिनांक 28–05–2014, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

मा0 विधायक जी से उक्त पत्र उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क करने पर उन्होंने पत्र की प्रति पुनः उपलब्ध कराने एवं कार्य की लोकेशन बताने में असमर्थता जतायी है।

फिरोजाबाद में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। शहर में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत सुधार हेतु विभिन्न कार्य प्रगति पर है जिसमें 11/04 के0वी0 के 215 नये परिवर्तक स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में अंधैल सम्पर्क मार्ग के निर्माण को कराया जाना

120–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र से अंधैल सम्पर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड गुलावटी के अन्तर्गत गुलावटी से बामदनगर समकौला होकर बागवाला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

121–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड गुलावठी के अन्तर्गत गुलावठी से बामदनगर समकौला होकर बागवाला सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण/पुनर्निर्माण

122–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में क्षतिग्रस्त अन्य जिला सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षतिग्रस्त अन्य जिला सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अन्य जिला सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध धनराशि से मार्गों की मरम्मत तथा चक्रानुसार नवीनीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अन्तर्गत कराया जाता है तथा पुनः निर्माण का कार्य मार्ग की आवश्यकतानुसार प्रस्तावित होता है।

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में कुल 3 अन्य जिला मार्ग हैं जिसमें से 2 मार्गों की दशा संतोषजनक है तथा 1 क्षतिग्रस्त अन्य जिला मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में राजा मोरध्वज, राजा वेन, राजा बलि आदि ऐतिहासिक एवं पौराणिक अवशेषों को विकसित किये जाने सम्बन्धी

123–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकसित कर सौन्दर्यीकरण एवं सुविधायुक्त किये जाने हेतु शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद पीलीभीत में राजा मोरध्वज, राजा वेन, राजा बलि, राजा वशु एवं राजा चितु के ऐतिहासिक एवं पौराणिक अवशेष साथ ही साथ इलाहाबाद देवल में ईला देवी लिलहर का शिव सरोवर एवं पसगवां का पक्षी विहार को विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के सुविधार्थ केन्द्रीय योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में स्थित पसगंवा पक्षी विहार क्षेत्र वन विभाग के अन्तर्गत आता है। अन्य सन्दर्भित स्थलों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग में वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

124–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा निर्धनों को आवंटित मकानों की बकाया धनराशि पर अत्यधिक ब्याज ओ0टी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत माफ कराने विषयक

125–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् मेरठ द्वारा निर्धनों को आवंटित मकानों की बकाया धनराशि पर अत्यधिक ब्याज लगाये जाने के कारण उनका एक मुश्त भुगतान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्याज को माफ करने हेतु ओ0टी0एस0 स्कीम लागू कर ब्याज माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

भवन आवंटन के समय सम्पत्ति के मूल्य पर निर्धारित ब्याज की गणना करके किश्तें बनायी जाती हैं। आवंटन–पत्र में निर्धारित किश्तों का समय से भुगतान न करने पर दण्ड ब्याज लिये जाने का प्राविधान है। तद्नुसार ही परिषद कार्रवाई कर रहा है।

ओ0टी0एस0 स्कीम के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश सं0–2604/आठ–1–15–01विविध/2000 दिनांक 10–08–2015 निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में किसानों के निजी नलकूप कनेक्शनों के आवंटन पर की जा रही धांधली को प्रतिबन्धित किये जाने की मांग

126–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन हेतु पहले आओ, पहले पाओ की नीति का पालन न करके अनियमित रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कनेक्शन दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराकर पहले आओ, पहले पाओ की नीति के आधार पर निजी नलकूप कनेक्शन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद मेरठ में किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन हेतु पहले आओ पहले पाओ की नीति का पालन न करके अनियमित रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से निजी नलकूप के कनेक्शन दिये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

मेरठ दक्षिण विधान सभा के माधवकुंज बिजलीघर के निकट ट्रामा सेन्टर अस्पताल खोलने सम्बन्धी मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणा

127–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 में लैपटाप वितरण कार्यक्रम के दौरान स्थान शताब्दी नगर मेरठ में मुख्य मंत्री जी ने मेरठ दक्षिण विधान सभा के माधवकुंज बिजलीघर के निकट ट्रामा सेन्टर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त ट्रामा सेन्टर का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। मुख्य मंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) से प्रश्नगत घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में विद्युत व्यवस्था ठीक किया जाना

128–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जर्जर तार बदलना एवं विद्युत विहीन बस्तियों में सरकार की विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–447/66–2012–05/2012, दिनांक 17–05–2012 के अनुसार डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में 500 से अधिक आबादी वाले बसावओं का विद्युतीकरण/ऊर्जीकरण किया जाना है। इस योजना में ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि, जर्जर तार बदलना एवं विद्युत विहीन बस्तियों का विद्युतीकरण कराया जाना सम्मिलित नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की भारी किल्लत के मद्देनजर निजी नलकूपों के कनेक्शन देने की मांग

129–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था में हो रही भारी किल्लत को देखते हुए क्या सरकार कनेक्शन बन्द किये गये

क्षेत्रों में किसानों को निजी नलकूप हेतु अतिशीघ्र नये विद्युत कनेक्शन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत निजी नलकूप के संयोजन शासनादेश सं0–05/1373/62–1–14–04 आर/2009, दिनांक 13–10–2014 द्वारा डार्क जोन में घोषित विकास खण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी विकास खण्डों में ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। भविष्य में डार्क जोन का प्रतिबन्ध हटाये जाने पर उन विकास खण्डों में भी उक्त आधार पर संयोजन निर्गत किये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

130–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

प्रदेश के ऊर्जा विभाग में अवर अभियन्ताओं एवं लाइनमैनों के रिक्त पदों को भरा जाना

131–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग में अवर अभियन्ताओं एवं लाइनमैनों के रिक्त पदों को कब तक भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

131 अवर अभियन्ता के पद पर विद्युत सेवा आयोग द्वारा भर्ती/प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

लाइनमैनों के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति के पद हैं, जिस पर कुशल श्रमिकों से पदोन्नति की जाती है। इस पद पर पदोन्नति की कार्रवाई डिस्काम स्तर पर की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर में मोदीनगर हापुड़ मार्ग से ग्राम विद्यापुर आदि जर्जर सड़कों का निर्माण

132–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर में मोदीनगर हापुड़ मार्ग से ग्राम विधापुर, ग्राम शाहजहांपुर होते हुए ग्राम तलहैटा तक सड़क जर्जर होने के कारण लगभग 20 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नेशनल हाई–वे एन0एच0–58 कादराबाद से रोरी लगभग 3 किमी0 क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

133–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नेशनल हाई–वे एन0एच0–58 कादराबाद से रोरी मार्ग लगभग 3 किमी0 काफी क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के युनिवर्सिटी रोड कटरा, मनमोहन पार्क कटरा तथा बख्तियारी में सैकड़ों पुश्तों से बसे नागरिकों को उजाड़े जाने के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

134–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी रोड कटरा, मनमोहन पार्क कटरा तथा बख्तियारी में सैकड़ों पुश्त दर पुश्त से बसे नागरिकों को प्रभारी अधिकारी राजकीय आस्थान, इलाहाबाद द्वारा एक दिन की नोटिस देकर उजाड़ने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11–09–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11–09–2014 जिलाधिकारी, इलाहाबाद को यथासमय प्राप्त हुआ था। आनन्द हास्पिटल से आनन्द भवन तक रोड के किनारे बसे व्यक्तियों से भूमि के पट्टे/स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गयी थी, जिनमें से अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उत्तर/साक्ष्य हेतु समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया। इन व्यक्तियों के अनुरोध एवं मा0 विधायक जी के उक्त पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा नोटिस का उत्तर/साक्ष्य दिये जाने हेतु समय बढ़ा दिया गया। जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली/ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है जिन व्यक्तियों को नोटिस दी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0टेक0 (बायोटेक्नालॉजी) डिग्री प्राप्त स्नातकों हेतु रोजगार हेतु समायोजित किये जाने की योजना की जानकारी

135–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा बी0टेक0 (बायोटेक्नालॉजी) डिग्री प्राप्त स्नातकों हेतु प्रदेश में कहां–कहां समायोजित (रोजगार हेतु) करने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

कुलसचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार बी0टेक0 (बायोटेक्नोलॉजी) स्नातकों को समायोजित (रोजगार हेतु) करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे संस्थान जहां बायोटेक्नोलॉजी कोर्स संचालित होता है, के द्वारा सीधे तौर पर रोजगार हेतु प्रक्रिया अपनायी जाती है। संस्थाओं के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट आफिसर बायो–टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कम्पनियों से सीधे सम्पर्क स्थापित करते हुए कैम्पस प्लेसमेन्ट आयोजित कराते हैं और सफल पाये गये स्नातकों का समायोजन तद्नुसार होता है।

बी0टेक0 (बायोटेक्नोलॉजी) डिग्री प्राप्त स्नातकों के समायोजन प्रक्रिया में प्रदेश सरकार का सीधे तौर पर कोई दखल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मोहल्ला नई आबादी में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट 'बी' योजनान्तर्गत विद्युत पोल लगाया जाना

136–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला नई आबादी रहना में स्थित प्राथमिक पाठशाला के पीछे वाले क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत पोल लगाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, फिरोजाबाद को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5नं0–602770, दिनांक 18–09–2013, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट 'बी' योजना में स्वीकृति हेतु बी0ओ0क्यू0 में शामिल कर लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर के मोहल्ला भगवान नगर सैनिक नगर काली मन्दिर के पास बिना केबिल लगे खम्भों में केबिल डालने सम्बन्धी पत्र

137–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर के मोहल्ला भगवान नगर, सैनिक नगर काली मन्दिर के पास वर्षों से बिना केबिल के लगे विद्युत पोलों पर

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत केबिल डालने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, फिरोजाबाद को प्रश्नकर्ता का पत्र क–5नं0–325936, दिनांक 05–08–2014, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

नगर फिरोजाबाद में मोहल्ला भगवान नगर, सैनिक नगर, काली मन्दिर के पास के क्षेत्रों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट 'बी' योजना के अन्तर्गत विद्युत सुधार का कार्य लगभग 60 प्रतिशत हो चुका है। शेष कार्य शीघ्र कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद के वार्ड नं0–2 स्थित टापाखुर्द, लोधीपुरम्, श्रीराम कालोनी आदि बड़े क्षेत्र में विद्युत पोल केबिल एवं ट्रांसफार्मरों के अभाव के देखते हुए आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

138–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के वार्ड नं0–2 स्थित टापाखुर्द, लोधीपुरम्, श्रीराम कालोनी आदि बहुत बड़े क्षेत्र में विद्युत पोल, केबिल एवं ट्रान्सफार्मरों के अभाव में क्षेत्रीय जनता को होने वाली कठिनाई के निवारण हेतु आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत पोल, केबिल एवं ट्रान्सफार्मर की स्थापना हेतु अधीक्षण अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, फिरोजाबाद को प्रश्नकर्ता का पत्र ख–5नं0–607992, दिनांक 26–05–2014, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सम्बन्धित क्षेत्र शहरी परिसीमन के बाहरी क्षेत्र में होने के कारण आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–'बी' योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम चन्दौली, बजरी बाजार, एकौनी आदि बस्ती के जर्जर तारों का बदला जाना

139–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम चन्दौली में ग्रामों, नगरों के जर्जर विद्युत तार न बदलने के कारण टूट कर गिर जा रहे हैं जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम चन्दौली, बबरी बाजार, एकौनी, सिकन्दरपुर पचोखर, हिन्दवारी रंगोली, सुरौली चौरहट, मन्नापुर दलित बस्ती कटेशर के जर्जर तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

ग्राम–चन्दौली, बबुरी बाजार, सिकन्दरपुर, पचोखर, हिन्दवारी, रंगोली, सुरौली चौरहट के जर्जर तार व खम्भे बदले जाने का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। डी0पी0आर0 स्वीकृत होने एवं धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

140–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–2 गिधौली न0पा0 परिषद् मुगलसराय की सम्पत्ति को अवैध तरीके से बेंचे जाने पर शिकायती पत्र

141–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–2 गिधौली न0पा0 परिषद्–मुगलसराय की सार्वजनिक सम्पत्ति आराजी नं0–19 नाला व अ0नं0–37 बांध तथा अ0न0 38 ताल के नाम रिकार्ड में दर्ज जमीन को अवैध तरीके से बेचे जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5–नं0–321865, दि0 16–08–14, जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0–2 गिधौली न0पा0 परिषद्–मुगलसराय की सार्वजनिक सम्पत्ति आ0 नं0–19 चार मि0 नम्बरों में विभक्त है, जिसे आ0नं0–19/1 रकबा 0.012 हे0 व 19/2 रकबा 0.13 हे0 व 19/3 रकबा 0.004 हे0 मोहनलाल पुत्र लक्ष्मी लाल के नाम भूमिधर के खाते में दर्ज है तथा आ0नं0 19/4 रकबा 0.004 हे0 नाला दर्ज है, जो मौके पर यथावत है। आ0 नं0–37 यह आ0नं0 दो मि0 नम्बरों में क्रमशः 37/1 रकबा 0.194 हे0 मोहनलाल पुत्र लक्ष्मीलाल के नाम व 37/2 रकबा 0.053 हे0 संजय कुमार पुत्र लक्ष्मीलाल के नाम भूमिधर खाते में दर्ज है। आ0 नं0–38 भी दो मि0 नम्बरों में विभक्त है, जिसमें 38/1 रकबा 0.376 हे0 अमित कुमार पुत्र द्वारिका के नाम व 38/2 रकबा 0.328 हे0 संजय कुमार पुत्र लक्ष्मीलाल के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजियात नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय की सार्वजनिक सम्पत्ति वर्तमान में दर्ज नहीं है। आ0 नं0–38 बन्दोबस्ती अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज है। उक्त परिवर्तन परगनाधिकारी, चन्दौली पश्चिमी, वाराणसी मु0नं0–300 दफा 229बी/176 मौजा गिधौली, परगना राल्हूपुर ता0फै0 18–09–1975/11–11–1975 के द्वारा किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) चन्दौली को उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने तथा अभिलेखों को सही कराते हुए अन्य समस्त कार्यवाही हेतु ''नोडल अधिकारी'' नामित करते हुए जनपद वाराणसी/चन्दौली के अभिलेखागार से पूर्व निर्णित पत्रावलियों को मंगाकर तथा सक्षम न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व/सिविल के माध्यम से प्रश्नगत निर्णय/आदेश के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराने तथा अभिलेखों में हुए अवैध इन्द्राज को निरस्त कराकर पूर्ववत ग्राम सभा सम्पत्तियों का नाम यथावत इन्द्राज कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्रकरण में निहित सार्वजनिक सम्पत्तियों का व्यक्ति विशेष द्वारा क्रय/विक्रय न किया जा सके एवं प्राधिकरण इत्यादि से नक्शा पास करने की कार्रवाई न हो, इसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा पर मानन्दपुर बजहां तथा ग्राम सभा–गौरी विन्दपुरवा में गडई नदी पर पुल बनाया जाना

142–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा–परमानन्दपुर बजहां तथा ग्राम सभा–गौरी विन्दपुरवां में गड़ई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एन–321899, दिनांक 19–07–14, प्रभारी मंत्री जनपद चन्दौली व पंचायती राज मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार। परन्तु प्रश्न में वर्णित स्थानों पर सेतु का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 में प्रचलित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नियमताबाद व चन्दौली में लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने सम्बन्धी पत्र पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी

143–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0खं0 नियमताबाद व चन्दौली के विभिन्न ग्राम सभाओं में कुल 25 स्थानों पर लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0–321821, दिनांक 25–06–2014, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र में अंकित निम्नलिखित ग्राम व स्थान जहां पर ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव है। पत्र के अनुसार कुल ग्रामों की संख्या 23 है, जो कि निम्नानुसार है :–

1. डिहवां 2. हथेरवा 3. अलीनगर (एकलव्य स्कूल के पास) 4. चन्दरखां 5. हिन्दवारी 6. रंगौली 7. सुरौली 8. गोधना 9. लौंदा 10 एकौनी 11. बरिया 12. सिकन्दरपुर 13. जलखोर (दलित बस्ती) 14. बबूरी (दलित बस्ती) 15. रेमा 16. पाण्डेयपुर 17. चौरहट 18. कुढेकला 19. सिकटिया 20. परशुरामपुर 21. मन्नापुर (दलित बस्ती) 22. कटेसर 23. पथरा।

परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रस्तावित है। डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार से डी0पी0आर0 की स्वीकृत होने एवं धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विकास खण्ड–स्वार के ग्राम कुबापुर नानकार के चौराहे से सालवे नगर तक जर्जर सड़क का निर्माण

144–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–स्वार के ग्राम कुबापुर नानकार के चौराहे से सालवे नगर तक मार्ग बहुत ही जर्जर एवं गड्ढ़ेयुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन चालू है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में चमरौव्वा क्षेत्र में 132 के0वी0 का बिजलीघर बनवाये जाने के कार्य प्रगति की जानकारी

145–श्री अली यूसुफ अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र में 132 के0वी0 का कोई बिजली घर नहीं है, जिससे क्षेत्रीय जनता को विद्युत सप्लाई सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार चमरौव्वा में 132 के0वी0 का बिजली घर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के चमरौव्वा ब्लाक में (2ग40+63) एम0वी0ए0 (कुल क्षमता 143 एम0वी0ए0) का 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित एवं कार्यशील है जिससे क्षेत्रीय जनता को सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु चमरौव्वा ब्लाक में ही (2ग100+2ग160) क्षमता (कुल क्षमता 520 एम0वी0ए0) का 220/132 के0वी0 का उपकेन्द्र भी स्थापित एवं कार्यशील है जिससे कि क्षेत्र के भविष्यगत भार की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

220 के0वी रामपुर एवं 132 के0वी0 पनवडिया स्थापित एवं ऊर्जीकृत है।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के स्वार विकास खण्ड टाण्डा से दोराहा तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराया जाना

146–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के स्वार विकास खण्ड टाण्डा से दोराहा तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग क्षतिग्रस्त है।

प्रश्न में उल्लिखित मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 24.03.2015 द्वारा लागत रु0 6363.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के क्षेत्र के विकास खण्ड–सैदनगर मुसैना से अजीमनगर मार्ग का निर्माण कराया जाना

147–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–सैदनगर मुसैना से अजीमनगर मार्ग बहुत ही जर्जर एवं बड़े–बड़े गड्ढे होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन चालू है।

क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य दिनांक 14–03–2015 को स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रामपुर के विकास खण्ड स्वार में स्वार रजा नगर मार्ग से ग्राम इमरता राय के मदरसे तक की जर्जर मार्ग के निर्माण की मांग

148–श्री अली यूसुफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जनपद रामपुर के विकास खण्ड स्वार में स्वार रजा नगर मार्ग से ग्राम इमरता राय के मदरसे तक विभाग द्वारा निर्मित सड़क वर्तमान में पूरी तरह खराब हो चुकी है जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन चालू है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत छोटी सराय से मकनपुर तक तथा अनूपशहर सिरौरा आहार मार्ग से हसनपुर बांगर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

149–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत छोटी सराय से मकनपुर तक तथा अनूपशहर सिरौरा आहार मार्ग से हसनपुर बांगर तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

छोटी सराय से मकनपुर तक मार्ग खड़ंजा स्तर का है तथा यह मार्ग लो0नि0वि0 के स्वामित्व में नहीं है। अनूपशहर सिरौरा आहार मार्ग से हसनपुर बांगर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु मार्ग पर आवागमन बाधित नहीं है।

जी हां।

अनूपशहर सिरौरा आहार मार्ग से हसनपुर बांगर मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराया जाना

150–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्ग शिवाली शिकारपुर मार्ग से तेलिया मैथना (रसूलपुर), शिवाली से रवनपुरा, अनूपशहर, बुलन्दशहर रोड से जुगसाना, बुलन्दशहर–अनूपशहर रोड से बदररवां एवं रौरा से जहांगीराबाद तक मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों एवं ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

शिवाली शिकारपुर मार्ग से तेलिया मैथना रसूलपुर मार्ग की दशा संतोषजनक है शेष मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु मार्गों पर यातायात बाधित नहीं है।

जी हां।

क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराया जाना

151–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्ग स्याना–बुलन्दशहर मार्ग से चरौरा मुस्तफाबाद होते हुए मकनपुर मार्ग, स्याना–बुलन्दशहर मार्ग से घोटी सराय से मकनपुर मार्ग, कुडा से मुरसाने तक, फरादपुर से धनौरा तक, पिपाला खेड़ी रोड से बांन्द्रा तक, लखावटी पिपाला रोड से पिपाला में गौड़ साहब के स्कूल तक, स्याना–बुलन्दशहर मार्ग लखावटी नहर के पुल से बुलन्दशहर– अनूपशहर के पुल तक एवं बालका से जनौरा होते हुए बालका बाईपास मार्ग तक ग्रामीण मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने की क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

स्याना–बुलन्दशहर मार्ग से चरौरा मुस्तफाबाद होते हुए मकनपुर मार्ग तथा स्याना–बुलन्दशहर मार्ग से घोटी सराय से मकनपुर मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। कूडा से मुरसाने तक मार्ग तथा फरहादपुर से धनौरा तक मार्ग की मरम्मत का कार्य वितितीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। लखावटी–पिपाला रोड से पिपाला में गौड़ साहब के स्कूल तक मार्ग में पिपाला खेड़ी रोड से बोन्द्र तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्याना–बुलन्दशहर मार्ग लखावटी नहर के पुल से बुलन्दशहर–अनूपशहर के पुल तक मार्ग एवं बालका से जनौरा होते हुए बालका बाईपास मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

152–श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0 सं0–167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद–बुलन्दशहर के क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत खालौर तक क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराया जाना

153–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत अनूपशहर के खालौर तक क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है मार्ग पर आवागमन बाधित नहीं है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि से पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 07–01–2015 के पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी की मांग

154–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07–01–2015, क्रमांक–क–5नं0–293861 जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित, विधायक निधि से पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में पारीक्षा थर्मल पावर प्लान्ट को स्थापित करने में अधिग्रहण की गयी भूमि के पात्र व्यक्ति को सेवायोजित करने का प्रकरण

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

155–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 1978 में पारीक्षा थर्मल पावर प्लान्ट को स्थापित किये जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसमें उ0प्र0 रा0वि0 परिषद् के आदेश सं0–145/विनियम अनुभाग/रा0वि0प0–87–153– ए/1978, दिनांक 09–10–1987 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई उन्हें सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, पारीक्षा थर्मल पावर प्लान्ट के पत्रांक सं0–1432/ सी0पी0एम0/ पी0टी0पी0पी0/11–वी–6, दिनांक 26–06–1993 एवं 3052/सी0 पी0 एम0/पी0 टी0 पी0 पी0/11–वी–6, दिनांक 13–07–1993 को पात्रों की सूची सेवायोजन किये जाने के

सम्बन्ध में उच्च सचिव राज्य वि0प0 को लखनऊ प्रेषित की गई थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पारीक्षा थर्मल पावर प्लान्ट को स्थापित किये जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

तत्कालीन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के आदेश सं0–145/विनियम अनुभाग/रा0वि0प0 87–153–ए/1978 दिनांक 09.10.1987 के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप महाप्रबंधक पारीक्षा थर्मल पावर प्लान्ट ने पत्रांक सं0–1432/सी0पी0एम0/पी0टी0पी0पी0/11–वी–6 दिनांक 26.06.1993 एवं 3052/सी0पी0एम0/पी0टी0पी0पी0/11–वी–6 दिनांक 13.07.1993 द्वारा पात्रों की सूची सेवायोजन दिये जाने हेतु उप सचिव, उ0प्र0 रा0वि0प0, लखनऊ को भेजी थी।

तत्कालीन संयुक्त सचिव, उ0प्र0 रा0वि0प0, लखनऊ ने अपने पत्र सं0–783–का0–9बी/92 दिनांक 19 फरवरी, 1994 द्वारा अवगत कराया था कि ''संदर्भित विस्थापितों की भूमि का अध्यापन वर्ष 1978 में किया गया है, अतः परिषदीय नियमानुसार इन विस्थापितों को भूमि अध्यापन के फलस्वरूप सेवायोजन देने पर विचार करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गाजियाबाद के विकास खण्ड–भोजपुर में लोहिया ग्राम नाहली से ग्राम ईशाकनगर तक एवं ग्राम–हृदयपुर भडौला से मोहद्दीनपुर खरखौदा तक जर्जर सड़क का निर्माण कराया जाना

156–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद, विकास खण्ड–भोजपुर में लोहिया ग्राम नाहली से ग्राम ईशाकनगर तक एवं ग्राम–हृदयपुर भडौला से मोहद्दीनपुर खरखौदा तक सड़क अत्यन्त जर्जर अवस्था में है तथा सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढ़े होने के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, यातायात चल रहा है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सीकरी खुर्द से लोहिया ग्राम नंगलाबेर होते हुए लोहिया ग्राम कलछीना तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

157–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम सीकरी खुर्द से लोहिया ग्राम नंगलाबेर होते हुए लोहिया ग्राम कलछीना तक मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, यातायात चल रहा है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में गण्डक नहर प्रणाली की सेखुई मदनपुरा माइनर में अधिग्रहीत की गई भूमि का किसानों का बकाया मुआवजा का भुगतान किया जाना

158–श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में गण्डक नहर प्रणाली की सेखुई मदनपुरा माइनर में अधिग्रहीत की गई भूमि का ग्राम सेखुई आदि के किसानों का वर्षों पुराना बकाया मुआवजा भुगतान की कार्यवाही अन्तिम चरण में परीक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता के स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि विलम्ब का कारण क्या है तथा किसानों को भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में किसानों को प्रतिकर भुगतान हेतु मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 05.06.2015 द्वारा रु0 89.31 लाख का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रस्ताव में कतिपय कमियां पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 24.07.2015 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष से स्थिति स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में प्रमुख अभियन्ता की आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड– सिकन्दराराऊ के ग्राम–मऊ में स्थित चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने की मांग

159–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड– सिकन्दराराऊ के ग्राम–मऊ में स्थित चिकित्सालय में कोई चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को इलाज कराने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद हाथरस के विकास खण्ड–सिकन्दराराऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊ में डा0 मृदुल जाजू, चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–हाथरस के ब्लाक–सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत पोरा–नगला मसंद मार्ग से ग्राम–टोडरपुर तक निर्माणाधीन सड़क का कार्य पूरा कराने विषयक

160–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हाथरस के ब्लाक–सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत पोरा–नगला मसंद मार्ग से ग्राम–टोडरपुर तक निर्माणाधीन सड़क का कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्तमान में प्रश्नगत कार्य 84 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि दिसम्बर, 2015 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र में पैना बुजुर्ग भावलखेड़ा, शाहगंज, जमुही तथा न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

161–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 135–शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में पैना बुजुर्ग भावलखेड़ा, शाहगंज, जमुही तथा न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों तथा मजरों व उनकी प्रत्येक बस्ती में अधूरा पड़ा विद्युतीकरण का कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में पैना बुजुर्ग भावलखेड़ा, शाहगंज, जमुही तथा न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) व पण्डित दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना का डी0पी0आर0 में सम्मिलित है।

विद्युतीकरण का कार्य किये जाने हेतु मेसर्स आई0एल0एफ0एस0 को एल0ओ0आई0 29–07–2015 को जारी की जा चुकी है। तद्नुसार विद्युतीकरण का कार्य माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने की कार्रवाई की मांग

162–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या जनपद मेरठ के सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की लाइसेन्सी फर्म में अंसल हाउसिंग कान्सट्रक्शन लि0 द्वारा निर्मित कालोनी की अधिकांश जन सुविधायें बदहाल होने से धनराशि रु0 19.13 करोड़ उपलब्ध कराने विषयक

163–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लाइसेन्सी फर्म में अंसल हाउसिंग कान्सट्रक्शन लि0 द्वारा लखनऊ नगर में आशियाना कालोनी निर्मित/विकसित की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालोनी में सड़क, नाली, नाला, पार्क इत्यादि के पुनर्स्थापित किये जाने हेतु रु0 19.13 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है तथा उक्त के सम्बन्ध में मे0 अंसल्स द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, परन्तु धनराशि नहीं दी गई जिसके कारण आशियाना कालोनी की अधिकांश जन सुविधायें बदहाल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि नगर निगम को दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जन सुविधाओं का नगर निगम के पर्यवेक्षण में पुनर्स्थापन कराते हुए मे0 अंसल हाउसिंग कान्सट्रक्शन लि0 द्वारा आशियाना कालोनी को नगर निगम लखनऊ को

हस्तगत कराये जाने हेतु मे0 अंसल हाउसिंग कान्सट्रक्शन लि0 को लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

शारदा परियोजना शाहजहांपुर के अन्तर्गत शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम कुनिया आदि में ई0सी0 बैग द्वारा स्परों का निर्माण कर बोल्डर पिचिंग सम्बन्धी पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी की मांग

164–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–03–2015 जो शारदा परियोजना शाहजहांपुर के अन्तर्गत शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम कुनिया आदि में ई0सी0 बैग द्वारा स्परों का निर्माण कर बोल्डर पिचिंग लगाने सम्बन्धी कार्यों विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम कुनियां हरिहरपुर, पहरूआ, मौजमपुर की रामगंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु एक परियोजना बनाई गयी है। परियोजना के साध्य पाये जाने एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात कार्रवाई किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के गांव ओइला थाथरमई हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने की मांग

165–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के गांव ओइला थाथरमई हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं है जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी योजना में सम्मिलित कर उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम ओइला थाथरमई की कुल आबादी 2001 की जनगणना के आधार पर 304 (500 से कम) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी शून्य होने के कारण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में जाम की भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित कराने की मांग

166–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जाम की भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर निर्माण की अवस्थापना हेतु लगभग रुपये 9 करोड़ की धनराशि ए0डी0एम0एल0ए0 आगरा को जमा कराई गई थी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त परियोजना में विलम्ब के कारण लागत बढ़कर रु0 30 करोड़ हो जाने के चलते दिनांक 10–04–2015 को बोर्ड बैठक में फिरोजाबाद, शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार परियोजना में बढ़ी हुई धनराशि को आवश्यक बजटीय प्राविधान कर उक्त जनपद में ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित कराने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। फिरोजाबाद शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा धनराशि रु0 8.96 करोड़ ए0डी0एम0एल0ए0 आगरा को जमा करायी गयी थी।

फिरोजाबाद नगर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापना की पूरी परियोजना के लिए पहले से ही लगभग 30 करोड़ रुपये का व्यय संभावित था। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता और उसके लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजे की धनराशि तथा पूरी परियोजना के निर्माण हेतु बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड बैठक में उक्त योजना को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराजपुर कानपुर महानगर के मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कार्रवाई

167–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर, कानपुर महानगर के मार्गों का नवनिर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–89, 90 व 91 आ0स0/2015, दिनांक 14–05–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–89 में उल्लिखित 05 मार्गों में से क्रम संख्या–4 पर वर्णित मार्ग राज्य कृषि उत्पादन एवं मण्डी परिषद का है। शेष 4 मार्गों की मरम्मत हेतु आंकलित लागत रु0 168.28 लाख है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पत्र संख्या–90 में उल्लिखित 07 मार्गों की मरम्मत हेतु आंकलित लागत रु0 122.14 लाख है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पत्र संख्या–91 आ0स0/2015 में उल्लिखित 11 मार्गों में से क्रम संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रम संख्या–7 व 11 पर वर्णित मार्गों की मरम्मत हेतु आंकलित धनराशि रु0 259.52 लाख है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रम संख्या–10 पर अंकित मार्ग नगर निगम के स्वामित्व का है।

उपर्युक्तानुसार।

मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुण्डा में मकानों के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन हटवाये जाने विषयक

168–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुण्डा में डा0 नेगी के मकान के ऊपर एवं न्यू भोपाल विहार कालोनी, निकट गढ़रोड कालोनी के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त आवासीय क्षेत्रों में हाई वोल्टेज लाइन होने के कारण आये दिन जनहानि एवं दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहानि/दुर्घटनायें रोकने के लिये उक्त आवासीय क्षेत्रों से हाई वोल्टेज लाइन हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उपलब्ध विभागीय अभिलेखों के अनुसार किसी प्रकार की दुर्घटना/घटना की सूचना संज्ञान में नहीं है।

विभागीय नियमानुसार हाई वोल्टेज लाइन पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के व्यय पर हटाने का प्राविधान है।

विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड सल्टौआ, गोपालपुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी की मांग

169–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सल्टौआ, गोपालपुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5नं0–580987, दिनांक 30–08–2014, अधि0अभि0 लोक निर्माण खण्ड, प्रथम,

बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर अन्तर्गत देईपार से भैसहवा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 6.05 किमी0 है। मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य शासनादेश दिनांक 13.01.2015 द्वारा स्वीकृत है। इस मार्ग के 3.05 किमी0 की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत दसिया महनुआ मार्ग पर स्थित हरिहरपुर चौराहे से सिसवां बरुआर जाने वाले मार्ग का निर्माण

170–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत दसिया महनुआ मार्ग पर स्थित हरिहरपुर चौराहे से सिसवां बरुआर जाने वाला मार्ग जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत बस्ती डुमरियागंज राजमार्ग से लपसी गांव तक जाने वाला क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

171–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत बस्ती डुमरियागंज राजमार्ग से लपसी गांव तक जाने वाला मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सर्वे कराकर निर्माण/मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत बसडीला सिंहारीखुर्द मार्ग से बढ़या सरदहा तक तथा सल्टौआ मुडवरा मार्ग आदि का निर्माण सम्बन्धी पत्र

172–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत बसडीला सिंहारीखुर्द मार्ग से बढ़या सरदहा तक तथा सल्टौआ मुडवरा मार्ग पर स्थित रुदलापुर चौराहे से देईडीहा ग्राम तक जाने वाला मार्ग को जिला योजना अन्तर्गत बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16–09–2014 लो0 निर्माण विभाग प्रथम, बस्ती को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित दोनों मार्गों का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

बरेली जिला अस्पताल में डायलेसिस मशीन तथा डायलेसिस तकनीशियन एवं चिकित्सकों की नियुक्ति की जाने की मांग

173–डा0 अरुण कुमार–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला अस्पताल में डायलेसिस मशीन काफी समय से तकनीशियन की कमी के कारण निष्प्रयोज्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में बढ़ते हुए गुर्दा रोगियों की संख्या को देखते हुए डायलेसिस तकनीशियन एवं चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। तकनीशियन की कमी कारण नहीं वरन् मशीन तकनीकी खराबी के कारण निष्प्रयोज्य है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में बरेली कालेज के पश्चिमी गेट से थाना बरादरी तक उपरिगामी पुल का निर्माण कराया जाना

174–डा0 अरुण कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2015 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–146 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आस–पास की दुकानों और मकानों की थोड़ी–थोड़ी जमीन का अधिक मुआवजा देकर अधिग्रहण कर पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्तमान में प्रदेश सरकार की योजनाओं से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बरेली से बहेड़ी तक प्रवेश राजमार्ग के निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

175–डा0 अरुण कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली से बहेड़ी तक प्रवेश राजमार्ग जो काफी दिनों से बन रहा है अभी पूरी तरह से नहीं बन पाया है, को पूरा करने की कोई समय–सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, बरेली से बहेड़ी (बरेली–अल्मोड़ा मार्ग एस0एच0–37) तक प्रवेश राजमार्ग का उच्चीकरण उ0 प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति पर कराया जा रहा है जिस हेतु समय–सीमा निर्धारित है।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 अगस्त, 2015 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम समेसी में चकबन्दी कार्य को पूरा कराया जाना

176–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के तृतीय गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0–24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम समेसी में चकबन्दी कार्य 60 माह का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर चकबन्दी कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम समेसी, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की चकबन्दी पूर्ण होने के पूर्व ही जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, लखनऊ की संस्तुति दिनांक 15–01–2015 के आधार पर चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा–6 (1) के अधीन जारी विज्ञप्ति संख्या–300/जी0–47/54–80, दिनांक 16–01–15 के द्वारा ग्राम समेसी में प्रचलित उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा–4क (2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या–4189/जी0–47/54–80, दिनांक 13–11–2002 निरस्त कर दी गयी है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 28–02–2015 को हो चुका है। तद्नुसार ग्राम समेसी को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किये जाने के फलस्वरूप ग्राम का चकबन्दी कार्य पूर्ण कराये जाने का अब कोई औचित्य ही नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन हानि को देखते हुए बरसात से पहले कटान को रोके जाने सम्बन्धी प्रयासों की जानकारी

177–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन की हानि के दृष्टिगत आगामी बरसात के मौसम से पहले ही बाढ़ से बचाव की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर गांवों को कटान से बचाव के कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ की रोकथाम हेतु निम्नलिखित परियोजनायें तैयार कर स्वीकृत की गयी है तथा कार्य प्रगति में है :–

1–जनपद शाहजहांपुर में तहसील सदर के ग्राम खिरिया हीर में गर्रा नदी से हो रहे कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक की परियोजना लागत रु0 334.00 लाख।

2–जनपद शाहजहांपुर में तहसील सदर के ग्राम रूद्रपुर में गर्रा नदी से हो रहे कटान को रोकने हेतु कटाव निरोधक की परियोजना लागत रु0 477.00 लाख।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व बाढ़ से बचाव हेतु संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये जाते हैं।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव इकरीखेड़ा में विद्युतीकरण के बाद तार, पोल आदि को ठीक करवाने की मांग

178–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव इकरीखेड़ा में विद्युतीकरण के बाद पोल, तार आदि उखड़ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव का पुनः विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव इकरीखेड़ा का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर की डी0पी0आर0 में पोल, तार आदि लगाये जाने व पूर्ण विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित है।

विद्युतीकरण का कार्य किये जाने हेतु मेसर्स आई0एल0एफ0एस0 को एल0ओ0आई0 29–07–2015 को जारी की जा चुकी है। तद्नुसार विद्युतीकरण का कार्य माह जुलाई, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत स्थित भगवानपुर गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक

179–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत स्थित भगवानपुर गांव की सड़कों का निर्माण व मरम्मत पी0डब्लू0डी0 ने लगभग डेढ़–दो साल पहले किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि बाढ़ के पानी के कारण सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की सड़कों के निर्माण व मरम्मत का कार्य करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

माह अगस्त, 2013 में गंगा नदी में आयी बाढ़ के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

जी हां।

मार्ग की निर्माण व मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में स्थित सामने घाट पर गंगा नदी के द्वारा निरन्तर कटान को रोकने की सरकार की योजना

180–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में स्थित सामने घाट पर गंगा नदी के द्वारा निरन्तर कटान होने के कारण महेशनगर व आस–पास के रिहायसी मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा के किनारे के उक्त कटान को रोकने हेतु कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

रिहायसी मकान गंगा नदी के फ्लड जोन में निर्मित होने के कारण उनके गिरने की सम्भावना रहती है।

तकनीकी मानकों के अनुसार गंगा नदी के फ्लड जोन में निर्माण कार्य कराने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी मानकों के अनुसार गंगा नदी के फ्लड जोन में निर्माण कार्य कराने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बसे गांव में सब्जी व फूल की खेती को प्रति वर्ष नष्ट होने से बचाने का सरकारी प्रयासों की जानकारी

181–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बसे गांव में सब्जी व फूल की खेती बाढ़ से प्रति वर्ष नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों के खेतों को बचाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गंगा नदी के फ्लड जोन में स्थित गांवों में सब्जी व फूल की खेती को बाढ़ से नुकसान होता है।

तकनीकी मानकों के अनुसार गंगा नदी के फ्लड जोन में निर्माण कार्य कराने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी के रामनगर के नागरिकों से नगरीय क्षेत्र विद्युत के रेट से बिजली का भुगतान लेने तथा आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र की तरह आपूर्ति कराने का औचित्य

182–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के रामनगर के नागरिकों से नगरीय क्षेत्र विद्युत के रेट से बिजली का भुगतान लिया जाता है, लेकिन उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति दी जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उन्हें नगरीय क्षेत्र की भांति विद्युत की आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद का रामनगर क्षेत्र नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत होने पर सभी मीटर्ड उपभोक्ताओं को नगरीय क्षेत्र के आधार पर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप विद्युत के बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल द्वारा इलाहाबाद के प्रयागघाट रेलवे स्टेशन के पूरब लगभग 70 भूमिधरी की भूमि पर लगभग 40–50 वर्षों से मकानों में रह रहे लोगों को उजाड़े जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

183–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल द्वारा इलाहाबाद के प्रयागघाट रेलवे स्टेशन के पूरब लगभग 70 भूमिधरी की भूमि पर लगभग 40–50 वर्षों से मकान बनाकर निवासित लोगों को बिना भूमि अधिग्रहण किये जबरदस्ती सुखाधिकार छीनकर उजाड़ने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04 मई, 2015 आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। परन्तु इसी विषय से सम्बन्धित पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2015 प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की गयी है। इलाहाबाद के प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन के पूरब लगभग 70 परिवार अपनी भूमिधरी की भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। जिनके द्वारा रास्ते का उपयोग रेलवे की भूमि से किया जा रहा है। जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारियों एवं प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य की संयुक्त बैठक दिनांक 1–5–2015 में यह सहमति हुई कि जटाशंकर यादव के बाद नीला मकान से स्टेशन प्रयाग घाट की ओर जाने वाले खड़न्जा रास्ता को 08 फीट चौड़ाई (नाली को छोड़ते हुए) प्रदान करते हुए रेलवे विभाग अपनी दीवार का निर्माण करे तथा जहां भी सम्भव हो यह चौड़ाई बढ़ा दी जाय ताकि फायर बिग्रेड व एम्बुलेन्स आदि गाड़ियों का आवागमन हो सके तथा प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण हो जाने के पश्चात् माघ मेला, अर्द्धकुम्भ एवं कुम्भ मेला के दौरान तीर्थ यात्रियों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में गोमती नदी से बरसात के पूर्व निकाली गई शिल्ट को हटवाया जाना

184–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरसात से पूर्व लखनऊ शहर में गोमती नदी से जो शिल्ट निकाली गयी है उसको हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, लखनऊ शहर में गोमती नदी से निकाली गयी अनुपयोगी सिल्ट हटा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मा0 काशी राम शहरी गरीब आवास योजना में हंसखेड़ा में लगी पानी की टंकी के खराब होने से ठीक कराकर पेयजल व्यवस्था को बहाल किया जाना

185–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मा0 काशी राम शहरी गरीब आवास योजना में हंसखेड़ा पारा की चार मंजिला पुरानी कालोनी थाना पारा, लखनऊ की पानी टंकी लगभग 3 वर्षों से बन्द पड़ी है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 1500 आबादी वाले आवासीय क्षेत्र की सीवर लाइन का पानी रोड पर बह रहा है, जिससे महामारी बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो उक्त समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नगर निगम एवं जलकल विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल पेयजल एवं जलकल व्यवस्था के हस्तान्तरण के निर्देश दिये गये हैं। नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा समस्या के निराकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत चौबीसा क्षेत्र में पड़ने वाली सिकन्द्राबाद बराल सम्पर्क मार्ग नगला काला होकर सहपानी सम्पर्क मार्ग का निर्माण विषयक पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

186–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत चौबीसा क्षेत्र में पड़ने वाली सिकन्द्राबाद बराल सम्पर्क मार्ग नगला काला होकर सहपानी सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5–661359, दिनांक 17–11–2014, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम नगला कला एवं ग्राम सहपानी पूर्व से ही अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं, इन ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत के ग्राम लम्ब से हेवा छपरौली क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने विषयक

187–श्री वीरपाल राठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत जनपद के ग्राम लम्ब से हेवा छपरौली मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से संचालित है। यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश भर में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से पीड़ित पात्र किसानों को मुआवजा दिये जाने विषयक

188–श्री सुरेश राणा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा दिये पात्र किसानों को मुआवजा न मिलने की सरकार को कोई जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उन किसानों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश के 73 जनपदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम मानक के अनुसार ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से रु0 7543.14 करोड़ की कृषि फसलों की क्षति हुयी है जिसका मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा मेमोरेण्डम के सापेक्ष अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा रु0 478.70 करोड़ राज्य आपदा मोचक निधि से तथा रु0 2968.00 करोड़ की धनराशि स्वयं के स्रोतों से अर्थात् कुल रु0 3446.70 करोड़ की धनराशि कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये स्वीकृत की गयी है।

भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण सभी पात्र किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित नहीं हो पाया है।

भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने पर सभी पात्र किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की मांग

189–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट न होने की वजह से आगरा मण्डल की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार से इन्टरनेशनल एयरपोर्ट हेतु अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में टुण्डला के निकट स्थित हिरन गांव में ताज इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिये औपचारिक साइट क्लीयरेन्स हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से मा0 प्रधानमंत्री जी को पत्र प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम प्रताप तिवारी, सेवानिवृत्त बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के पेंशन, जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा आदि के भुगतान का प्रकरण

190–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम प्रताप तिवारी, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन राजकीय टी0वी0 क्लीनिक बाराबंकी से दिनांक 28 फरवरी, 2015 को सेवानिवृत्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी पेंशन का निर्धारण तथा बकाया जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा राशि आदि देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पेंशन तथा बकाया जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा राशि आदि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

श्री राम प्रताप तिवारी, सेवानिवृत्त बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण का भुगतान कर दिया गया है। जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत का भुगतानादेश अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के आदेश दिनांक 16–7–2015 के द्वारा कर दिया गया है। बीमा राशि का भुगतानादेश जारी करने हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय के पत्र दिनांक 24–6–2015 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है।

श्री आर0पी0 तिवारी के पेंशन प्रपत्र अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय के पत्र दिनांक 8 जनवरी, 2015 के माध्यम से किया गया था परन्तु अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार द्वारा ई–पेंशन सिस्टम के माध्यम से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिनांक 30–4–2015 को आपत्ति लगा कर वापस कर दिया गया है। ई–पेंशन सिस्टम के अन्तर्गत पेंशन प्रपत्र दिनांक 27–5–2015 को अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार को भेज दिये गये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं पेंशन प्रपत्र की हार्ड कापी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के पत्र दिनांक 01–6–2015 द्वारा प्रेषित किये गये थे तथा पुनः आपत्ति निवारण के उपरान्त दिनांक 15–7–2015 को अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार को ई–पेंशन के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, जो अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के स्तर से अपेक्षित है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 27–7–2015 को श्री तिवारी की अनन्तिम पेंशन एवं 90 प्रतिशत ग्रेच्युटी के भुगतानादेश जारी किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

191–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

रू 1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत 2015–16 के जिला कार्य योजना में सम्मिलित करके 18 कार्यों की प्रस्ताव सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई विषयक

192–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2015–16 के जिला कार्य योजना में सम्मिलित करने के

लिये कुल 18 कार्यों का प्रस्ताव सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 एन0–321711 दिनांक 10–02–2015 जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

18 मार्गों में से 03 मार्गों को वित्तीय वर्ष 2015–16 की जिला योजना में निर्माण हेतु सम्मिलित किया गया है। 10 मार्ग पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से जुड़े हुए हैं। सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत इन मार्गों का निर्माण शासन की प्राथमिकता में नहीं है। 05 मार्ग मानक के अनुरूप न होने के कारण जिला योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये गये हैं। जिला योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–हाथरस के ब्लाक–हसायन के अन्तर्गत ग्राम–सीतापुर के पुल सुहावली राजवाह की सिल्ट की सफाई न होने से फसलों की बर्बादी का प्रकरण

193–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हाथरस के ब्लाक–हसायन के अन्तर्गत ग्राम–सीतापुर के पुल सुहावली राजवाह से एक नाला जो भौकुरी रतिभानपुर मार्ग के किनारे होते हुए ईसन नदी में सिहोरी के पास जाकर मिलता है, की सफाई न होने के कारण सैकड़ों बीघा फसल बारिस के समय बाढ़ आने से नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत नाले में सिल्ट जमा होने के कारण वर्षाकाल में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

भविष्य में पानी की समुचित निकासी हेतु नाले की सफाई करायी जानी प्रस्तावित है।

वर्षा ऋतु के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के क्षेत्र महाराजपुर, मोहल्ला यशोदानगर में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 11 सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराने सम्बन्धी विषयक

194–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–106/आ0स0/2014–15, दिनांक 10–06–2015 जो विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर, कानपुर नगर के मोहल्ला यशोदानगर में त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत कतिपय

11 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित समस्त 11 सम्पर्क मार्ग नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त कर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत आगणन गठित कर लिया गया है तथा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शिवाली से ग्राम सदरपुर होते हुए सलेमपुर की ओर जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क काफी जगहों से टूट जाने से जनहित में बनाये जाने की मांग

195–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शिवाली से ग्राम सदरपुर होते हुए जो सलेमपुर की ओर जाने वाली प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनी सड़क बीच–बीच में काफी जगह से टूट रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को जनहित में बनाये जाने की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी प्रधानमंत्री सड़क के क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत की मांग

196–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी प्रधानमंत्री सड़क योजना की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

कुल 37 मार्गों में से 36 मार्ग अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के उपरान्त लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित हो चुकी है, जिसमें से 13 मार्गों का मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य 2012–13 व 2014–15 में कराया जा चुका है, जिनकी दशा संतोषजनक है। 05 मार्गों का मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2015–16 में स्वीकृत है, जिन पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई प्रगति पर है। शेष मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के ग्राम वाड़ी के प्राइमरी स्कूल से नं0 देवराय तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

197–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के ग्राम वाड़ी के प्राइमरी स्कूल से नं0 देवराय तक का रास्ता खराब है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रास्ते को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की कुल लम्बाई 1.20 कि0मी0 के सापेक्ष 0.60 कि0मी0 लो0नि0वि0 का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग है। शेष 0.60 कि0मी0 कच्चा है।

लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। ग्राम नगला देवराय (लम्बाई 0.600 कि0मी0) की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 208 है। अतः वर्तमान में 500 से कम आबादी के ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ शहरी गरीब आवास योजना हंसखेड़ा पारा की चार मंजिल पुरानी कालोनी में सीवर चोक होने से सड़क पर बह रहे गन्दे पानी को रोकने हेतु कार्रवाई किये जाने विषयक

198–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ शहरी गरीब आवास योजना हंसखेड़ा पारा की चार मंजिल पुरानी कालोनी में 1500 आवास हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालोनी में सीवर लाइन चोक है और सीवर का गन्दा पानी रोड पर बहता है, जिससे महामारी फैलने की पूर्ण सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सीवर की सफाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालोनी की पानी की टंकी जो तीन वर्षों में कार्यशील नहीं हैं, चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नगर निगम एवं जलकल विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल पेयजल एवं जलकल व्यवस्था के

हस्तान्तरण के निर्देश दिये गये हैं। नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नगर निगम एवं जलकल विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल पेयजल एवं जलकल व्यवस्था के हस्तान्तरण के निर्देश दिये गये हैं। नगर निगम एवं जलकल विभाग द्वारा समस्या के निराकरण हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12.17, उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री चितरंजन स्वरूप के निधन की सूचना

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही गम और अफसोस के साथ मैं यह सूचना आपके माध्यम से सदन को दे रहा हूं कि हमारे साथी चितरंजन स्वरूप मा0 राज्य मंत्री जी, जो काफी अर्से से बीमार थे, आज उनका स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान विधान सभा के सदस्य एवं राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप के निधन के कारण आज की शेष मदें कल यथावत् लिये जाने का अनुरोध

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, उचित यह होगा कि मा0 चितरंजन स्वरूप जी मा0 मंत्री भी थे और इस सदन के सदस्य भी थे तो ऐसे हालात में सूचना आ जाने के बाद सदन चलाने का औचित्य नहीं उठता है इसलिए शोक–संवेदना व्यक्त करके सदन को स्थगित किया जाना चाहिए और आज के सारे मद कल यथावत् ले लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो यहां पर सूचना दी है और माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं कि आज के सारे कार्य कल ले लिए जाएं, उसकी अलग से सूचना देने की आवश्यकता न पड़े। मान्यवर, सदन की सारी कार्यवाही रोककर पहले शोक–संवेदना करवा लें उसके बाद सदन स्थगित कर दें।

'श्री प्रदीप माथुर–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA
* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 चितरंजन स्वरूप के आकस्मिक निधन से हम सब लोग और हमारा दल बहुत दुःखी है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने जो विचार प्रकट किये हैं उससे हम अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। आज की कार्यवाही स्थगित करते हुए शोक–संवेदना देते हुए, आज के सारे कार्य को कल के लिए स्थगित कर दें और हमारे व हमारे दल की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सभी साथियों की भावनाओं से अपने व अपने दल को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है हम भी उसका समर्थन करते हैं।

वर्तमान विधान सभा के सदस्य एवं राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप शोक–संवेदना व्यक्त करेंगे?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि सदन के चंद बहुत संजीदा और बहुत शरीफ साथियों में चितरंजन स्वरूप जी का शुमार था और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमारा भाई है, कोई सगा है, न कोई धर्म का भेद, न कोई जाति का। बहुत कम लोग राजनीति में आज ऐसे हैं जैसे चितरंजन स्वरूप जी थे। उनका लम्बा राजनैतिक इतिहास है, इसके साथ ही साथ उन्होंने समाज की बहुत सेवा की है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सेवा की है, मेडिकल कॉलेज हैं, इन्जीनियरिंग कॉलेजेज हैं और दूसरे शिक्षण संस्थान हैं। बहुत योगदान रहा उनका राजनीति में और समाज के लिए। मेरे लिए यह बात इसलिए बहुत ज्यादा दर्द की और दुःख की है कि पिछली सरकार में भी मेरे साथ राज्यमंत्री थे। जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में, उसकी इमारतों को बनाने में उन्होंने हर तरह का बहुत सहयोग दिया। बहुत से मामलात् में, बहुत सी चीजों में बहुत आगे जाकर जहां लगता था कि मैं थककर बैठ जाऊँगा, वहां भी चितरंजन स्वरूप जी का सहयोग मिला। बहुत प्यारा साथी आज हमसे जुदा हुआ है। उनका स्थान मेरे दिल में उनकी जिन्दगी में भी बहुत ऊंचा था और कभी आप अगर फाइल्स पर या उनके पत्रों पर नोटिंग्स देखेंगे तो कभी मैंने उनके पत्रों पर इन्कार नहीं लिखा, हमेशा यही लिखा कि 'कर दें'। मेरा एक जाती दोस्त आज जुदा हुआ है और बहुत अच्छा साथी हमसे जुदा हुआ है। एक बहुत बड़ा मेरा जाती नुकसान भी है, एक हमदर्द का नुकसान है और इस विधान सभा के एक अच्छे सदस्य का रूख़सत होना हम सबको दुःखी कर रहा है।

मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनको अल्लाह ताला सुकून दे और उनके खानदान को इस सदमे को बर्दाश्त करने की कुब्बत दे। वह बहुत प्रिय थे, अपने परिवार के लिए वह बहुत डिवोटेड थे, अपने लोगों के लिए इस हद तक चले जाते थे कि मेरा हाथ पकड़कर बैठ जाते थे कि जब तक उसके लिए काम की हां न लिखवा लें हाथ

नहीं छोड़ते थे। उनके परिवार तक हम सबका यह गम पहुंचाने की मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी–अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि चितरंजन स्वरूप जी हमारे बीच में नहीं रहे, स्वाभाविक रूप से पूरे सदन को इस बात का सदमा लगा। उनका एक लम्बा राजनीतिक सफर रहा है और राजनीति में रहकर भी जो आज तमाम राजनीतिक द्वेष पैदा हुए हैं उससे पूर्णतः बहुत दूर थे और उनके परिवेश और वेशभूषा हमेशा एक आदर्श राजनीतिज्ञ के पर्याय थी। प्रायः कभी–कभी ऐसा भी होता था जब इत्तेफाक से संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहते थे या कोई वरिष्ठ मंत्री नहीं रहते थे तो संसदीय कार्य मंत्री जी की सीट पर आ करके वह सरकार का जवाब देते थे और बहुत ही संजीदगी के साथ सरकार का पक्ष रखते थे। हमने उनको कभी उग्र होते हुए नहीं देखा। हमने कभी उनको विचलित होते हुए भी नहीं देखा। बिल्कुल सामान्य तरीके से प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनको जब भी कभी मौका मिला है उन्होंने सन्तोषजनक उत्तर दे करके पूरे सदन को आश्वस्त भी किया। स्वाभाविक रूप से मान्यवर, मौत तो अंततः आती ही है। जो भी पैदा हुआ एक दिन हमारे बीच से जायेगा। मृत्यु सत्य है, तिथि निश्चित नहीं है तो स्वाभाविक रूप से एकाएक उनके निधन की सूचना मिलना हम सबको हतप्रभ और व्याकुल कर देने वाली रही है। इससे पूरा सदन स्तब्ध हुआ और उनके राजनीतिक जिन्दगी में कभी कोई किसी प्रकार का दाग भी नहीं लगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अद्वितीय योगदान रहा। जैसा अभी संसदीय कार्य मंत्री ने खुद भी अवगत कराया कि मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं उन्होंने स्थापित करके शिक्षा की ज्योति को घर–घर, जन–जन में भी पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिये मान्यवर, ऐसे वरिष्ठ पुराने राजनीतिज्ञ बहुत ही संजीदे जो वर्तमान को अपने पहनावे वेश–भूषा और बोल चाल से एक विशिद्ध रूप से राजनीतिक होने का संदेश देता था उनके निधन से हम सब दुःखी हैं। उनके इस आकस्मिक मौत पर मैं अपनी ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से, और समूचे विपक्ष की ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से शोक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मान्यवर, आपसे अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की सम्वेदनाएं उनके परिवारीजन तक पहुंचा दी जायं और उनके परिवार की दुःख की घड़ी में हमारी सम्वेदनाएं उनको मजबूत सम्बल प्रदान करे और मान्यवर, साथ ही साथ आज इस मौके पर जो पीड़ा है वह व्यक्त नहीं की जा सकती। सम्वेदना ही व्यक्त की जा सकती है। हम सम्वेदना व्यक्त करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिन शब्दों में माननीय चितरंजन स्वरूप जी के सम्बन्ध में बताया निश्चित रूप से वह पीड़ादायक है और हम सब लोग उनकी आकस्मिक मृत्यु पर दुःखी हैं क्योंकि मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को इतना दुःखी कभी नहीं देखा। जाहिर है कि हमसे तो हमारा एक साथी बिछड़ा। इस विधान सभा का एक सदस्य बिछड़ा और मुज्जफरनगर जो उनका कार्य क्षेत्र था उसने

अपने सही मायनों में चचा के रूप में वह जाने जाते थे। उन्होंने एक अभिभावक, एक संरक्षक एक चचा खो दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि बताया गया उनका बहुत बड़ा योगदान है। कई विद्यालयों के निर्माण में उसके संस्थापक सदस्य के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह भी अपने आप में एक यादगार है। आज हम उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं श्रद्धान्जली अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी शोक संवेदनायें और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचायें और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और उनके इष्ट मित्रों, शुभचिन्तकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 चितरंजन स्वरूप जी के आकस्मिक निधन को अचानक सुनकर हम लोग बहुत दुखी हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ भी अवगत कराया हम सब दिल की गहराईयों से अपनी संवेदनायें प्रकट करते हैं। चितरंजन स्वरूप जी हमारे अच्छे मित्र भी थे, बहुत सौम्य थे, और बहुत अच्छे, नेकदिल इंसान थे। उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक लम्बे अरसे तक सेवा की। हमारी पार्टी के भी वह सदस्य रहे, विधायक रहे, हम लोगों को उनके साथ रहने का मौका मिला। एक अच्छे शिक्षाविद, एक ईमानदार व्यक्तित्व और समाज में जाने वाली शख्सियत थे वह, आज उनके निधन से सारा सदन दुखी है, हम और हमारा दल उनके प्रति अपनी शोक संवेदनायें प्रकट करता है। हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।ऐसी हमारी भावना है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज चितरंजन स्वरूप के निधन पर सारा सदन शोक मग्न है। दो–चार बार मेरी उनसे मुलाकात हुई बड़े सज्जन, बड़े भले और शील स्वभाव के व्यक्ति थे। आज हमारे बीच से उनके जाने का सभी को दुख है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत गहनता से प्रकाश डाला है उनके इस कृतित्व को सुनकर और दुख हुआ। अभी उनकी देश को प्रदेश को समाज को बहुत आवश्यकता थी। आज वह हमारे बीच से इस दुनिया से चले गए हैं।मैं अपनी तरफ से अपने दल की तरफ से शोक संवेदनायें व्यक्त करता हूँ।हमारी शोक संवेदनायें आप उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य श्री चितरंजन स्वरूप का आज दिनांक 19 अगस्त, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे।

श्री चितरंजन स्वरूप का जन्म 9 मार्च 1946 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री चितरंजन स्वरूप वर्ष 1974 में कांग्रेस, वर्ष 2002 तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री चितरंजन स्वरूप राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल तथा वर्तमान मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे थे। वे कई शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध थे। उनकी अध्ययन में विशेष रुचि थी।

श्री चितरंजन स्वरूप के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

श्री चितरंजन स्वरूप जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे जब मैं पिछली बार स्पीकर था तब भी मंत्री थे। अबकी बार जब सरकार बनी तो फिर वह मंत्री बनाये गये। मैं मुजफ्फरनगर उनके घर भी गया, मैंने उनके घर को भी देखा है। उनकी सहजता और उनकी मिलनसारिता को भी मैंने देखा है, कई बार वह खुद अपने घर बुलाकर ले गए और हमसे कहा कि हमारे यहां भोजन करिए। मैं उनके यहां गया, भोजन किया, उन्होंने भोजन में काफी प्रतिष्ठित लोगों को बुला रखा था। उनका व्यवहार न केवल मुजफ्फरनगर अपने मतदाताओं के साथ, अपितु उनके अपने सम्पर्क वालों में और व्यवसायी वर्ग में भी उनका काफी सम्मान रहा है, उसको भी उन्होंने संगठित करने की कोशिश की है। इस सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री जी के सहयोगी के रूप में, काफी अच्छा काम उन्होंने किया, आज वह हमारे बीच से चले गये इस शोक की घड़ी में हम सब बहुत दुखी हैं। इस शोक की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शान्ति प्रदान करे और उनके परिवार को इस वेदना को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष–

अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने–अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 अगस्त, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ–37 पर

औसत विद्युत उपलब्धता (मि0यू0)

माह	जलीय से आयात (उ0प्र0)	विष्णु प्रयाग एवं अलकनन्दा	तापीय से आयात	को–जेनेरेशन	रोजा	बजाज एनर्जी प्रा0लि0	बजाज ललितपुर	लैन्को	केन्द्र से आयात	यू0आर0एस0	द्वि–पक्षीय/बैंकिंग	पावर एक्सचेन्ज	ओवरड्राल/डरड्राल	उपजलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जनवरी, 2014	2.6	0.0	70.3	15.4	16.0	2.3	0.0	17.6	87.3	0.1	11.8	0.2	–0.2	221.7
फरवरी, 2014	2.9	0.0	60.3	16.8	21.2	6.1	0.0	17.4	93.4	0.0	3.2	0.1	–1.9	219.5
मार्च, 2014	2.9	0.0	62.3	14.7	20.5	3.6	0.0	19.6	90.3	0.7	10.5	0.5	–2.2	223.4
अप्रैल, 2014	2.5	1.4	62.6	10.9	23.5	7.6	0.0	21.8	98.5	2.1	14.4	2.4	–1.5	246.2
मई, 2014	3.7	5.3	63.7	2.6	25.2	8.0	0.0	21.3	106.1	6.1	10.5	7.5	1.0	260.8
जून, 2014	3.7	9.4	66.2	1.2	24.5	7.6	0.0	21.7	119.3	3.6	6.6	6.1	–0.4	269.4
जुलाई, 2014	3.9	7.4	60.7	1.2	24.8	8.6	0.0	19.2	116.4	4.1	3.0	6.0	2.0	257.3
अगस्त, 2014	5.8	9.9	52.6	0.5	19.2	6.8	0.0	19.7	114.3	6.8	4.6	9.2	3.2	252.6
सितम्बर, 2014	5.9	10.0	54.3	0.4	24.2	7.2	0.0	20.0	97.1	9.9	–10.4	18.4	3.5	240.3
अक्टूबर, 2014	4.2	5.3	59.7	0.8	20.9	7.5	0.0	20.0	91.7	2.8	6.7	8.6	0.2	228.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
नवम्बर, 2014	1.2	2.7	60.3	3.4	22.3	7.5	0.0	22.8	96.7	1.1	–1.0	0.0	0.2	217.1
दिसम्बर, 2014	2.0	2.1	63.9	17.7	20.5	5.5	0.0	22.8	91.0	0.7	–2.5	0.2	–0.5	223.4
जनवरी, 2015	2.5	1.7	68.6	19.2	21.6	8.0	0.0	20.4	94.9	1.1	–5.5	0.0	0.3	232.8
फरवरी, 2015	2.1	1.6	64.7	19.2	18.1	5.4	0.0	15.6	102.9	1.5	–3.4	0.0	–0.1	227.6
मार्च, 2015	3.0	1.9	65.7	19.2	9.8	0.1	0.0	21.1	94.5	1.0	–1.7	0.6	–0.3	214.8
अप्रैल, 2015	3.5	3.8	61.8	12.7	19.6	2.3	0.0	22.0	104.9	1.9	0.6	0.2	–0.7	232.8
मई, 2015	2.0	11.6	67.3	3.6	23.4	7.0	0.0	22.2	121.8	1.1	13.3	0.5	0.1	273.7
जून, 2015	2.4	12.3	69.7	2.9	20.5	7.9	0.2	22.9	125.7	2.3	13.3	0.0	–0.1	280.0
जुलाई, 2015	4.3	6.3	68.4	2.3	17.0	6.9	1.3	21.8	126.2	3.9	9.9	0.0	1.1	269.3

पी0एस0यू0पी0–एल0 157 विधान सभा (278)–26–11–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।